प्रशिक्षण कैलेंडर

2021-2022

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

प्रशिक्षण कैलेंडर

2021-2022

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

नौएडा

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उ.प्र

प्रकाशन वर्ष : 2021

प्रतियों की संख्या : 200

मुद्रण स्थान : चन्दु प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली–110 092

विषय सूची

egkfun'kd dh dye ls	**iv**
lLFkku dk fotu ,oa fe'ku	**vi**
lLFkku dh :ijs[kk	**1-38**
लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
शासी निकाय	1
अवस्थिति एवं परिसर	2
हॉस्टल	2
संगोष्ठी / प्रशिक्षण हॉल	2
प्रशिक्षण एवं शिक्षा	3
परामर्शी सेवा	5
अनुसंधान	7
एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र	31
प्रकाशन	32
प्रमुख उपलब्धियाँ	35
अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार	38
çf'k{k.k fooj.k	**39-108**
श्रम प्रशासन कार्यक्रम	40
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	48
क्षमता निर्माण कार्यक्रम	59
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम	76
बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम कार्यक्रम	80
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कार्यक्रम	85
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	92
ladk; :ijs[kk	**109-130**
lEidZ uEcj ,oa bZ&esy irs	**131**

श्रम अधिगम की दुनिया में हार्दिक स्वागत है।
महानिदेशक की कलम से

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) अनन्य रूप से श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रकाशन के लिए समर्पित एक अग्रणी एवं राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है। जुलाई 1974 में अपनी स्थापना के समय से ही संस्थान ने प्रमुख सामाजिक भागीदारों एवं सभी संबंधित हितधारकों तक श्रम की दुनिया से संबंधित उभरती प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुकूल जानकारी एवं सुसंगत कौशल के प्रसार का प्रयास किया है। संस्थान साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुसंधान अध्ययन करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। संस्थान अनुसंधान निष्कर्षों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इनपुट के तौर पर समाविष्ट करते हुए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फीडबैक का अनुसंधान के लिए प्रयोग करते हुए अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास करता है।

अपने अस्तित्व के चार दशकों में संस्थान ने श्रम एवं संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाले विख्यात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, संस्थान ने संयुक्त प्रशिक्षण कार्यकलाप करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को हाल ही में पाँच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया है। संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की आईटीईसी स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सूचीबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में संस्थान ने आईटीईसी के तहत 90 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 122 देशों के वरिष्ठ एवं मध्यम–स्तरीय अधिकारियों और सुसंगत सामाजिक भागीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान श्रम अध्ययनों के ब्रिक्स नेटवर्किंग में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। संस्थान का पुस्तकालय श्रम सूचना के सबसे संपन्न संसाधान केंद्रों में से एक है, इसमें 70000 पुस्तकें/रिपोर्टें/जिल्दबंद पत्रिकाएं हैं तथा यह 200 से अधिक व्यावसायिक पत्रिकाओं एवं मैगजीनों का अभिदान करता है।

संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यकलापों ने पिछले दो दशकों में श्रम की दुनिया में हो रहे व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में सवंर्धित एवं अधिकतम सार्थकता हासिल कर ली है। डिजिटल रूप से संचालित प्रौद्योगिकियों के समूह, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स से लेकर आर्टीफिशल इंटेलिजेंस एवं इंटरनेट तक हैं, और गहरी एवं व्यापक डिजिटल पैठ से स्वरूप बदलने और इन अभूतपूर्व परिवर्तनों की गति में तेजी आने की उम्मीद है। इस तरह के घटनाक्रम ने जहाँ एक ओर विशेषकर ज्ञान–आधारित उत्पादन प्रक्रिया एवं आर्थिक कार्यकलापों के संदर्भ में नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर कार्य एवं कार्य संबंधों के बदलते स्वरूपों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता जैसी नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। कार्य के भविष्य के ऐसे परिदृश्य से हमें प्रभावकारी ढंग से निपटने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब श्रम से संबंधित प्रमुख हितधारक यथा श्रम प्रशासक, ट्रेड यूनियन नेता, औद्योगिक संबंध प्रबंधक, सिविल सोसायटी संगठन तथा शोधकर्ता विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक

संज्ञानात्मक एवं व्यवहार कौशल से लैस हों। असल में, 1919 में स्थापित विश्व के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक भागीदारों द्वारा कार्य एवं कार्य संबंधों के विकसित स्वरूपों पर विचार–विमर्श करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 'कार्य का भविष्य' को अपने शताब्दी समारोह की विषय–वस्तु के तौर पर चुना है।

वीवीजीएनएलआई द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण हस्तक्षेप इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। वीवीजीएनएलआई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षण–आवश्यकताओं के समुचित मूल्यांकन तथा संस्थान द्वारा पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यकलापों से संचित अनुभव के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। संस्थान प्रशिक्षण कार्यकलापों में एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाता है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज्ञान का प्रसार व्याख्यानों, सहभागितापूर्ण अधिगम, रोल प्ले, मामला अध्ययन तथा क्षेत्र आधारित कार्यकलापों के द्वारा किया जाता है। हम दृढ़ता से यह मानते हैं कि घटक समूहों के बीच एवं अपने आपस में अनुभवों को साझा करके ही ज्ञान के परिणामों को अधिकतम किया जा सकता है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि संस्थान द्वारा वर्ष 2021–22 में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रम एवं संबंधित मुद्दों से संबद्ध सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। सभी संबंधितों का वीवीजीएनएलआई एवं श्रम अधिगम की दुनिया में हार्दिक स्वागत है।

(डॉ. एच. श्रीनिवास)
महानिदेशक

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

विज़न

''संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य संबंधों और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प हो।''

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है :

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित प्रमुख सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का प्रसार करना;
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और
- श्रम से संबंधित विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा साझेदारी बनाना।

संस्थान

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में जुलाई 1974 में स्थापित **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान है। संस्थान अपनी स्थापना के समय से ही अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है, जिनका सरोकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से है। इन प्रयासों के केंद्र में संस्थान की प्रतिबद्धता यह रही है कि वह श्रम के सभी पहलुओं के बारे में अपनी अकादमिक अंतर्दृष्टि और समझ का प्रयोग नीति–निर्माण, कानून और संबंधित कार्रवाई में इस प्रकार करे कि श्रम को समतावादी और प्रजातांत्रिक समाज में न्याससंगत और उचित स्थान प्राप्त हो सके।

लक्ष्य और उद्देश्य

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन व्यापक क्रियाकलापों की जानकारी दी गई है, जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम, गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना और उन्हें आयोजित करने में सहायता देना;
- स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्य करना, उसमें सहायता देना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;
- निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना :
  - शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिविन्यास;
  - अनुसंधान, जिसमें क्रियाविधि अनुसंधान शामिल है;
  - परामर्शी सेवा; और
  - प्रकाशन और अन्य ऐसी गतिविधियां, जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।
- उन विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना जो श्रम और उससे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सामने आती हैं, और उनके समाधान के लिए उपचारी उपायों के सुझाव देना;
- पुस्तकालय और सूचना सेवाएं स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और भारत तथा विदेश में ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना, जिनके समरूप उद्देश्य हों।

शासी निकाय

महापरिषद, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) का शीर्ष शासी निकाय है, संस्थान के कार्यचालन के लिए नीति संबंधी स्थूल प्राचल निर्धारित करती है और इसके क्रियाकलापों के लिए सामान्य दिशानिर्देश देती है। मूल रूप से, यह एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें केंद्रीय सरकार, ट्रेड यूनियन संघों, नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में योगदान करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं।

संस्थान के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए महापरिषद द्वारा **कार्यपरिषद** का गठन किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव कार्यपरिषद के अध्यक्ष हैं।

संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो संस्थान के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

अवस्थिति एवं परिसर

यह संस्थान नौएडा, उत्तर प्रदेश के सैक्टर 24 में स्थित है। यह संस्थान हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय बस अड्डे (आईएसबीटी) से लगभग 20 किलोमीटर और इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ मेट्रो रेल, टैक्सियों और बसों के जरिए पहुंचा जा सकता है। नौएडा, जो दिल्ली का एक सेटेलाइट नगर है, दिल्ली की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह संस्थान लगभग 12.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके परिसर में प्रशिक्षण और पुस्तकालय ब्लॉकों सहित एक प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल, आवासीय परिसर, हरे–भरे लॉन, आंतरिक जल आपूर्ति प्रणाली, और विद्युत सब–स्टेशन हैं।

हॉस्टल

संस्थान में एक उत्कृष्ट हॉस्टल इमारत है। इसमें संलग्न स्नानागारों और स्वतंत्र बालकनियों वाले 99 पूरी तरह सज्जित कमरे, भोजन कक्ष और मनोरंजन की सुविधाओं से युक्त एक भलीभांति सुसज्जित विश्राम कक्ष हैं। सभी कमरे वातानुकूलित हैं और उनमें वाई–फाई एवं रंगीन टीवी लगे हुए हैं। शोर और प्रदूषण से मुक्त हरे–भरे और खुले वातावरण से रिहायशी कार्यक्रमों में सकारात्मक रूप से भाग लेने में सहायता मिलती है। मनोरंजन के लिए हॉस्टल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक अति आधुनिक व्यायामशाला भी है, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और फिटनैस को समर्पित ट्रैडमिल्स, रिकम्बैंट बाइक, क्रास ट्रेनर, शोल्डर प्रेस, लैग प्रेस बाईसेप्स कर्ल, मल्टीस्टेशन जिम आदि हैं। परिसर में आउटडोर एवं इंडोर खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

संगोष्ठी/प्रशिक्षण हॉल

संस्थान में पूरी तरह से वातानुकूलित छह प्रशिक्षण हॉल और एक मिनी ऑडिटोरियम हैं। प्रत्येक हॉल में श्रव्य–दृश्य सुविधाएँ हैं।

पता एवं संपर्क संख्या

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

जिला –गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) भारत,

टेलीफोन : 2411470, 2411533, 2411534, 2411535, 2411538

फैक्स : 2411471

एसटीडी कोड : 91–0120

ई–मेल : dg.vvgnli@gov.in/ao.vvgnli@gov.in

वेबसाइट : http : //www.vvgnli.gov.in

प्रशिक्षण और शिक्षा

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनकी प्राप्ति के लिए संस्थान, अपने विविध कार्यकलापों के जरिए श्रम संबंधी मुद्दों के संबंध में समन्वित ढंग से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान कार्यकलापों के लिए इनपुट तथा अनुसंधान कार्यक्रमों का आउटपुट प्रशिक्षण कार्यकलापों एवं नीति–निर्माण के लिए इनपुट बन जाता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, एनजीओ, नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों, नीति–निर्माताओं, श्रम अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशिक्षकों, कामगारों एवं अन्य सामाजिक भागीदरों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा किया जाता है। भाग लेने वाले व्यक्तियों से सतत रूप से प्राप्त फीडबैक का उपयोग प्रशिक्षण पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने और साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूलों की पुनर्संरचना करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभाव्य साधन के रूप में देखा जा सकता है। इनसे सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभिक स्तर पर नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करता है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के हितों की देखभाल करने के लिए स्वतंत्र संगठनों के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अभिवृत्ति संबंधी परिवर्तन, कौशल विकास और ज्ञान के संवर्धन पर भी समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरणों, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों और व्यवहार विज्ञान तकनीकों के समुचित मिश्रण का उपयोग किया जाता है। संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा अतिथि संकाय सदस्यों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान में निम्नलिखित समूहों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान किये जाते हैं :

- केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारीगण;
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रक उद्योगों के प्रबंधक और अधिकारीगण;
- ट्रेड यूनियन नेता, औद्योगिक संबंध प्रबंधक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के विभिन्न हितधारक; और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्रीय कामगार एवं श्रम मुद्दों से सरोकार रखने वाले अन्य व्यक्ति।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन्हें, केंद्रीय और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रम प्रशासन, समाधान, श्रम कल्याण और प्रवर्तन के संबंध में अनेकों विशय शामिल हैं। ये आवासीय कार्यक्रम हैं, जिन्हें संस्थान परिसर में अथवा देश में चुनिंदा राज्य श्रम संस्थानों/केंद्रों में आयोजित किया जाता है।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के संकल्पनात्मक और व्यावहारिक, दोनों क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों

और ट्रेड यूनियनों को भागीदारी प्रबंधन की जानकारी दी जाती है तथा इनमें सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श को बढ़ावा दिया जाता है। इन कार्यक्रमों को वीवीजीएनएलआई के अलावा देश के विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों से लोग इनमें भाग ले सकें।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम से संबंधित विभिन्न हितधारकों के नेतृत्व विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए तैयार किए जाते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों और अन्य सामाजिक भागीदारों के अलावा सरकार, सार्वजनिक

एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंको, यथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, एस्कोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, हीरो हौंडा लिमिटेड, ईएसआईसी आदि के अधिकारियों के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएँ विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक संघ, गैर–सरकारी संगठन, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, पीआरआई, एनसीएलपी शिक्षक और अधिकारी आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम यूनिसेफ, राज्यों के संस्थानों आदि के सहयोग से आयोजित किये जाते हैं।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत युवा शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं तथा साथ ही सरकारी संगठनों के व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ताकि वे श्रम अनुसंधान और नीति में अपने सरोकारों को हासिल कर सकें।

पूर्वोत्तर राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम तथा रोजगार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित कार्यक्रमों पर काफी जोर देता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के सरकारी विभागों, संस्थानों, नियोक्ता संगठनों के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान यह कार्यक्रम वर्ष 1999–2000 से आयोजित कर रहा है तथा आज तक संस्थान ने ऐसे कुल 97 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 123 देशों के 2260 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

देश का एक अग्रणी श्रम संस्थान होने के नाते, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके विविध कार्यकलापों का लाभ पूरे देश में विभिन्न संस्थानों, हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों तक पहुंचे। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, दोनों क्षेत्रों में समान उद्देश्यों वाले राज्य श्रम संस्थानों एवं क्षेत्रीय केंद्रों के साथ नेटवर्किंग व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए इन संस्थानों के सहयोग से राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

परामर्शी सेवा

संस्थान का एक अधिदेश उद्योग, सरकार और संबंधित संगठनों को श्रम, सरकार की रोजगार योजनाओं आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना है। परामर्शी सेवाओं में कंपनी के भीतर प्रशिक्षण, नैदानिक अध्ययन और अनुसंधान, सर्वेक्षण, पायलट परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी के अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार को मुख्य रणनीति माना जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर इस तरह की अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार गतिविधियों में भाग लेने हेतु वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं।

और अधिक जानकारी और विवरण के लिए कृपया संपर्क करें :

कार्यक्रम अधिकारी
टेलीफैक्सः 0120–2411471
ई–मेल : dg.vvgnli@gov.in

प्रशासन अधिकारी
फोनः 0120–2411533/34 एक्स. 221
ई–मेल : dg.vvgnli@gov.in

महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
फोनः 0120–2411470
ई–मेल : dg.vvgnli@gov.in

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का एक प्रमुख स्थान है। अनुसंधान के विषय में संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रम संबंधी मुद्दों और समस्याओं का विस्तृत फलक शामिल है। अनुसंधान के विषय तय करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे विषय सामयिक सरोकार वाले हों और नीति निर्माण से सुसंगत हों। संस्थान सामान्य रूप से असंगठित और संगठित क्षेत्रों में श्रम के मुद्दों पर और इनमें से अधिक लाभ–वंचित व्यक्तियों जैसे कि बाल श्रमिकों, महिला श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के मुद्दों एवं समस्याओं पर विशेष रूप से अधिक बल देता है। अनुसंधान क्रियाकलापों में प्रशिक्षणार्थियों के विभिन्न समूहों जैसे कि संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेताओं और संगठनकर्ताओं, सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रबंधकों, श्रम प्रशासकों और गैर–सरकारी संगठनों के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की बुनियादी आवश्यकताओं का भी पता लगाया जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का प्रयोग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी संस्थानों में नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख योगदान देने के अलावा संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर किया जाता है। निम्नलिखित नौ केंद्र अनुसंधान से संबंधित मुख्य विषयों पर अध्ययन कार्य करते हैं:

- श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
- रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
- कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
- श्रम और स्वास्थ्य संरक्षण अध्ययन केंद्र
- लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र
- पूर्वोत्तर भारत केंद्र
- जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

प्रत्येक केंद्र का मार्गदर्शन एक **अनुसंधान सलाहकार समिति** द्वारा किया जाता है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। संस्थान के संकाय को इन अनुसंधान केंद्रों को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और रुचि के अनुसार आवंटित किया गया है।

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान क्रियाकलाप विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में संचालित किए जाते हैं। ऐसा एक अनुसंधान केंद्र अर्थात श्रम बाजार अध्ययन केंद्र, श्रम बाजार में हो रहे रूपांतरणों का अनुसंधानिक विष्लेशण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान क्रियाकलापों का लक्ष्य श्रम बाजार परिणामों में सुधार लाने के लिए नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र के अनुसंधान संबंधी वर्तमान कार्यकलाप निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं :

- रोजगार और बेरोजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक क्षेत्र
- मजूदरी
- कार्य का भविष्य

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूरी की गई/आरंभ की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल हैं:

- भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यूनतम रेफरल मजूदरी का संचालन (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सौंपा गया, 2016)
- भारत में आंतरिक प्रवासन की बदलती गतिशीलता (वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2017)
- भारत – जीसीसी प्रवासन कॉरिडोर में परिवर्तनः रुझान एवं निर्धारक तत्व (वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2017)
- प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और रोजगार के नये रूप, अर्थव्यवस्था के साझाकरण पर फोकस के साथ (श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया अनुसंधान अध्ययन, 2018)
- भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजनः कार्यनीतियाँ और आगे की राह (वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2018)
- राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने की कार्यप्रणाली के निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2019)
- युवा रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देनाः स्टार्ट अप पर विशेष फोकस के साथ अध्ययन (वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान)
- भारत में युवा और श्रम बाजार परिदृश्यः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया अनुसंधान अध्ययन, 2019)
- कार्य की बदलती दुनिया और कौशल (श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया अनुसंधान अध्ययन, 2020)

वर्ष 2020 के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यशालाएं

- **'स्टार्टअप्स और युवा उद्यमीः अवसर एवं चुनौतियां' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 28 फरवरी 2020 को संस्थान में 'स्टार्टअप्स और युवा उद्यमीः अवसर एवं चुनौतियाँ' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप शुरू करने और बढ़ती युवा बेरोजगारी से निपटने में इसकी भूमिका के बारे में सभी संबंधित हितधारकों के बीच एक संवाद शुरू करना था। इस कार्यशाला में संस्थान द्वारा 'युवा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 'स्टार्ट–अप्स' के विशेष संदर्भ में अध्ययन' पर शुरू किए गए स्टार्टअप्स पर शोध अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार किया गया। इस कार्यशाला में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और सिविल सोसायटी संगठनों के 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **श्रम प्रवासनः मुद्दे और आगे की राह पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 15 सितंबर 2020 को श्रमिक प्रवासनः मुद्दे और आगे की राह पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया : जैसे कि श्रमिक प्रवासन के सभी रूपों को मापने में भारत में डेटा के मौजूदा माध्यमिक स्रोत कितने प्रभावी हैं? विभिन्न स्थानों और समय के साथ श्रम प्रवासन के हालिया और प्रमुख रुझान और पैटर्न क्या हैं? श्रम विनियम और सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम (जैसे कि मनरेगा) विभिन्न प्रकार के प्रवासन प्रवाह को कैसे प्रभावित करते हैं? कोविड–19 महामारी के बाद में प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अल्पकालिक और चलायमान प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख कमजोरियाँ क्या हैं? प्रवासी कामगारों की असुरक्षा को कम करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए उपाय कितने प्रभावी हैं? और हम तेजी से बदलाव, अनिश्चितता और व्यवधान के समय श्रम प्रवासन एवं कार्य के भविष्य के प्रतिच्छेदन को कैसे स्थापित करते हैं? ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला में 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री साजी नारायणन, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ
- श्री राजीव कपूर, भारतीय उद्योग परिसंघ तथा पूर्व सदस्य महापरिषद एवं कार्यपरिषद, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
- डॉ. अरूप मित्रा, आर्थिक विकास संस्थान
- प्रो. बाबू पी. रमेश, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली
- डॉ. जी. सी. मन्ना, पूर्व महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

केंद्र समन्वयक

डॉ. एस. के. शशिकुमार

वरिष्ठ फेलो

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

ई–मेल : sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

सह–समन्वयक

डॉ. धन्या एम. बी.

एसोसिएट फेलो

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

ई–मेल : dhanyamb.vvgnli@gov.in

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

बदलते रोजगार संबंधों के प्रति समझ विकसित करना ताकि समुचित कानूनी विनियमन ढांचा निरूपित करने और उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाता है :

- ट्रेड यूनियनें और उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका।
- अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रक में उभरते रोजगार संबंध।
- असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में विद्यमान कानूनी ढांचे की सीमाएं।
- न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन।
- श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण।
- न्यूनतम मजदूरी विनियमन।
- संविदा श्रम एवं निश्चित–अवधि रोजगार का विनियमन
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक एवं श्रम विनियमन

हाल ही में पूरी/आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाएँ

केंद्र द्वारा हाल ही में शुरू और पूरी की गयी कतिपय अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- श्रम कानूनों में संशोधन तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरु की गई अन्य सुधार पहलें: एक विश्लेषणात्मक प्रभाव आकलन
- भारत में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों की रोजगार, कार्य एवं सेवा दशाएं।
- भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों का विनियमन।
- आईएलओ अभिसमय 181: भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां।
- न्यूनतम मजदूरी नीति तथा विनियामक ढांचे का विकास : एक अंतर–देशीय परिप्रेक्ष्य।
- निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: ओखला तथा नौएडा का एक मामला अध्ययन।
- संविदा श्रम एवं न्यायिक हस्तक्षेप।
- उल्लंघनों को रोकने के लिए श्रम कानूनों को सुदृढ़ बनाना।

ऊपर वर्णित अधिकांश अनुसंधान अध्ययन एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए गए हैं।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के विभिन्न कार्यकलापों को सम्पन्न करने में मार्गदर्शन, अभिमुखीकरण, और निदेश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति इस केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में शामिल हैं :

1. सुश्री अमरजीत कौर, राष्ट्रीय सचिव एवं समन्वयक, एआईटीयूसी
2. प्रो. सुरेंद्र नाथ, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार
3. प्रो. बी. टी. कौल, भूतपूर्व अध्यक्ष, दिल्ली न्यायिक अकादमी

केंद्र समन्वयक

डॉ. संजय उपाध्याय

वरिष्ठ फेलो

ई–मेल : sanjay.vvgnnli@gov.in

टेलीफोन : 0120–2411736

0120–2411533 / 34 / 35, एक्सटेंशन 215

सह–समन्वयक

डॉ. मनोज जाटव

एसोसिएट फेलो

Jatav.manoj@gov.in

0120–2411533 / 34 / 35, एक्सटेंशन 324

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

कृषि संबंध और ग्रामीण अध्ययन का महत्व

दुनिया भर में श्रम बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पूरी ग्रामीण श्रम शक्ति को अकेले कृषि क्षेत्र द्वारा पर्याप्त रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता है, तथापि रोजगार सृजन में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तार से शोध की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित प्रमाण हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया था कि कृषि स्थिति की जांच करने तथा इसका और अधिक वैज्ञानिक तौर पर एवं सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने के लिए और अधिक विशेषज्ञता की जरूरत होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक तकनीकी क्रांति को देखते हैं जो मूल रूप से हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को बदल सकती है। इसके पैमाने और दायरे में, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी कल्पना मानव द्वारा नहीं की गई होगी।

सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए, विशेष रूप से कार्यस्थल पर, यह न केवल महत्वपूर्ण है कि कठिन कौशल को तेज और सुदृढ़ किया जाना चाहिए बल्कि नरम कौशल को कार्य संस्कृति के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले नरम कौशल, व्यवहार और अभिवृत्ति संबंधी हस्तक्षेप, व्यक्तियों और उन संगठनों जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता बढ़ाने और कार्यस्थल पर संस्कृति को बेहतर बनाने में भी काफी सहायक होंगे।

नरम कौशलों में अन्य कौशलों के साथ व्यक्तिगत कौशल, सामाजिक कौशल, चरित्र और व्यक्तित्व लक्षण, अभिवृत्ति, कैरियर की विशेषताएं, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धिमत्ता का एक संयोजन शामिल है, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।

केंद्र का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों; केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों, सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि की व्यवहार और अभिवृत्ति कौशल आवश्यकताओंको संबोधित करना है। केंद्र सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया

लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल इत्यादि जैसे विभिन्न संगठनों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाता रहा है।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के उपकरण और तकनीक जैसे कि मामला अध्ययन, रोल प्ले, मैनेजमेंट गेम्स, अभ्यास और अनुभव साझा करना आदि शामिल हैं।

हाल ही में पूरी की गई/आरंभ की गई परियोजनाएँ

- कृषि सुधार और पश्चिम बंगाल के कृषि विकास पर इसका प्रभाव।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान–खुर्जा, उत्तर प्रदेश।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान–चितौड़गढ़, राजस्थान।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान–कांचीपुरम, तमिलनाडु।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान–निवारी तथा पृथ्वीपुर, मध्य प्रदेश।
- तम्बाकू की खेती करने वालों, तेंदु पत्ता एकत्र करने वालों तथा बीड़ी लपेटने वालों की आजीविका पर तम्बाकूरोधी कानूनों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- रोजगार की संभावनाओं का मूल्यांकन – एक मामला अध्ययन (पश्चिम बंगाल)।
- मध्य प्रदेश क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों की कल्याण निधि का मूल्यांकन।
- मध्य प्रदेश के चूना पत्थर और डोलोमाइट कर्मकारों की कल्याण निधि के प्रचालन का मूल्यांकन।
- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क खदान कर्मकारों का मूल्यांकन।
- जनश्री बीमा योजना का अध्ययन।
- कृषि ढांचा, सामाजिक संबंध तथा कृषि विकासः राजस्थान के गंगानगर और जोधपुर जिलों का मामला अध्ययन।
- अरूणाचल प्रदेश में अनौपचारिक क्षेत्र।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, मुर्शिदाबाद।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, खुर्जा, उत्तर प्रदेश।
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के विकल्प
- कृषि संकट को समझनाः उत्पादन, रोजगार और उभरती चुनौतियों का अध्ययन
- नेतृत्व विकास मॉड्यूल
- संगठनात्मक संरचना, संस्कृति और उत्पादकता मॉड्यूल

अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र

- केंद्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है :
- ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण
- वैश्वीकरण तथा ग्रामीण श्रमिकों पर इसका प्रभाव।
- ग्रामीण श्रम बाजार की बदलती संरचना के पैटर्न।
- संगठनात्मक कार्यनीतियों के संबंध में सूचना का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार।
- सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण श्रमिक।
- मनरेगा और ग्रामीण श्रमिकों पर इसका प्रभाव।

- ग्रामीण श्रमिकों का प्रवासन
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा अनुसंधान, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए अनेक विशिष्ट विषयों का भी विनिर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :

- भू–धारण और भू–उपयोग पद्धति में परिवर्तन।
- कृषि विकास में ऋण व अन्य निविष्ट सुविधाएं।
- बदलती कृषि पद्धतियां तथा रोजगार संबंध।
- ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार और गरीबी की प्रवृत्तियों की जांच करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में कार्य संबंधी सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की जांच करना।
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विभिन्न घटकों पर वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव
- कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की उत्पादकता और रोजगार पर नई प्रौद्योगिकी का प्रभाव।
- ग्रामीण श्रमिकों, उत्पादकता और संपदा के वितरण पर भूमि सुधारों का प्रभाव
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विकास के लिए, सरकारी संगठनों से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं की स्थानीय पहलों का अध्ययन।
- आय सृजन विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक और आर्थिक संगतता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन।
- विभिन्न ग्रामीण व्यवसायों, विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में लैंगिक असमानता का प्रभाव।

अनुसंधान सलाहकार समूह

अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्य निम्न प्रकार हैं:

- श्री के. बी. सक्सेना, प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद
- डॉ. एम. एम. रहमान, भूतपूर्व सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई
- श्री सुनित चोपड़ा, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कृषि कामगार यूनियन
- प्रोफेसर प्रवीण झा, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
- श्री नगेन्द्र नाथ ओझा, अध्यक्ष, भारतीय खेत मजूदर यूनियन
- श्री वी. एस. निर्मल, महासचिव, भारतीय खेत मजूदर यूनियन

केंद्र समन्वयक
डॉ. शशि बाला
फेलो
टेलीफोन : 0120–2411533/34, एक्सटेंशन 225
balashashi.vvgnli@gov.in

सह–समन्वयक
डॉ. रम्य रंजन पटेल
एसोसिएट फेलो
टेलीफोन : 0120–2411533/34, एक्सटेंशन 323
rrpatel.vvgnli@nic.in

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

उद्देश्य और कार्यकलाप

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना बाल श्रम प्रकोष्ठ के रूप में वर्ष 1990 में यूनिसेफ, आईएलओ तथा श्रम मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और गैर–सरकारी सामाजिक साझेदारों के साथ साझेदारी में काम करने के लिए की गई थी। वर्ष 1993 में प्रख्यात केंद्र के रूप में इसका राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र में उन्नयन बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्षमता का सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न प्रकार से तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ–साथ बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के समग्र उद्देश्य से किया गया था।

पिछले तीन दशकों में हितधारकों की संख्या और सीमा का विस्तार हुआ है, इनमें शामिल हैं – सरकारी विभाग और एजेंसियां; राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं उप जिला स्तरों पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग; आईएलओ, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन; कामगार संगठन; नियोक्ताओं/निर्माताओं/निर्यातकों के संघ और व्यवसाय; समुदाय–आधारित संगठन (सीबीओ), गैर–सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी संगठन; मीडिया; एनएसएस, एनवाईके एवं अन्य युवा समूह; सांस्कृतिक समूह; न्यायपालिका, शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समाज कार्य और अन्य सामाजिक विज्ञान के छात्र; विकास क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्मिक; पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधि, विभिन्न बाल संरक्षण संरचनाओं और तंत्रों, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरणों, बाल कल्याण समितियों, चाइल्ड लाइन के अध्यक्ष और सदस्य, सीएसआर के अधिकारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्युए), और अन्य।

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) नीति निर्माताओं, योजनाकारों, और परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य लोगों को बाल श्रम की रोकथाम और प्रगतिशील उन्मूलन के उनके कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह केंद्र बाल श्रम से निपटने के लिए उनकी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करता है।

एनआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन/प्रभाव मूल्यांकन, प्रशिक्षण नियमावली/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यक्रम विकास, पक्ष समर्थन, तकनीकी सहायता/कानून में संशोधन के सुझाव में सलाहकार सेवाएं, प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार करना, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को मजबूत करके अभिसरण को बढ़ावा देना और जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता का सृजन करना शामिल हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए राज्य कार्य योजना विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना एनआरसीसीएल का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

केंद्र, बाल श्रम के विभिन्न रूपों में बच्चों की पहचान करने और उनके बचाव, उनके प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, उन्हें शिक्षा में मुख्यधारा में लाने एवं उनके पुनःएकीकरण और उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के लिए भी प्रशिक्षण

और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य बाल संरक्षण और बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

- भारत में बाल श्रम की स्थिति, विशेषकर चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण मानक जानकारी का सृजन।
- बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा और बाल श्रम के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाते हुए सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
- बाल श्रम पर उपलब्ध साहित्य, जिसमें समाचार कवरेज, अकादमिक लेख और ऑनलाइन विश्लेषणात्मक निबंध शामिल हैं, की समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बाल श्रम के संबंध में उपलब्ध आँकड़ों और बाल श्रम पर राज्य–वार न्यायालय के मामलों का संकलन।
- पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, बाल श्रम के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में लाने, पुनःएकीकरण, उनकी निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कार्यतैयार करना।
- सफल अनुभवों का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में कवर किये गये विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं: समस्या की प्रमात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों का अवैध व्यापार, बाल कामगारों की सुभेद्यता एवं असुरक्षितताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी ढांचा एवं कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी एवं गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा, जीवन एवं कार्यदशाओं की स्थिति, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम, आदि। एनआरसीसीएल ने अनेक अनुसंधान अध्ययन और प्रमुख मूल्यांकन, प्रभाव/निष्पादन मूल्यांकन और अध्ययन पूरे किये हैं।

अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्य

- श्री आमोद कंठ
- डॉ. सत्य प्रकाश
- डॉ. कोमल गनोत्रा
- डॉ जोसेफ गाथिया
- डॉ. लक्ष्मी दसिका

केंद्र समन्वयक

डॉ. हेलन आर. सेकर

वरिष्ठ फेलो

ई–मेल : helenrsekar.vvgnli@gov.in

टेलीफोन : 0120–2412498

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी), श्रम इतिहास अनुसंधान के संबंध में एक विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से की गई थी, जो श्रम इतिहास में रुचि रखने वाले व्यावसायिक इतिहासकारों और विद्वानों का एक निकाय है।

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम का सर्वोपरि उद्देश्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना, उसे एकीकृत और पुनर्जीवित करना है, और देश में अपनी किस्म का यह पहला प्रयास है।

प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कार्यक्रम के तीन परस्पर पुनर्बलनकारी घटक हैं, जैसे कि भारतीय श्रम का डिजिटल अभिलेखन, भारत के श्रम इतिहास को लिखना तथा अंतर विधात्मक अनुसंधान।

अभिलेखागार श्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रलेखों और सामग्री का, विभिन्न हितधारियों (जैसे ट्रेड यूनियनें, गैर–सरकारी संगठन, सरकारी विभाग और व्यापारी घराने) के सहयोग और नेटवर्किंग के माध्यम से संकलन और डिजिटल रूप में परिरक्षण करता है। डिजिटल अभिलेखन में लगी ऐसी ही एजेंसियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग भी अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अभी तक यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं जिसका समकालीन नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है।

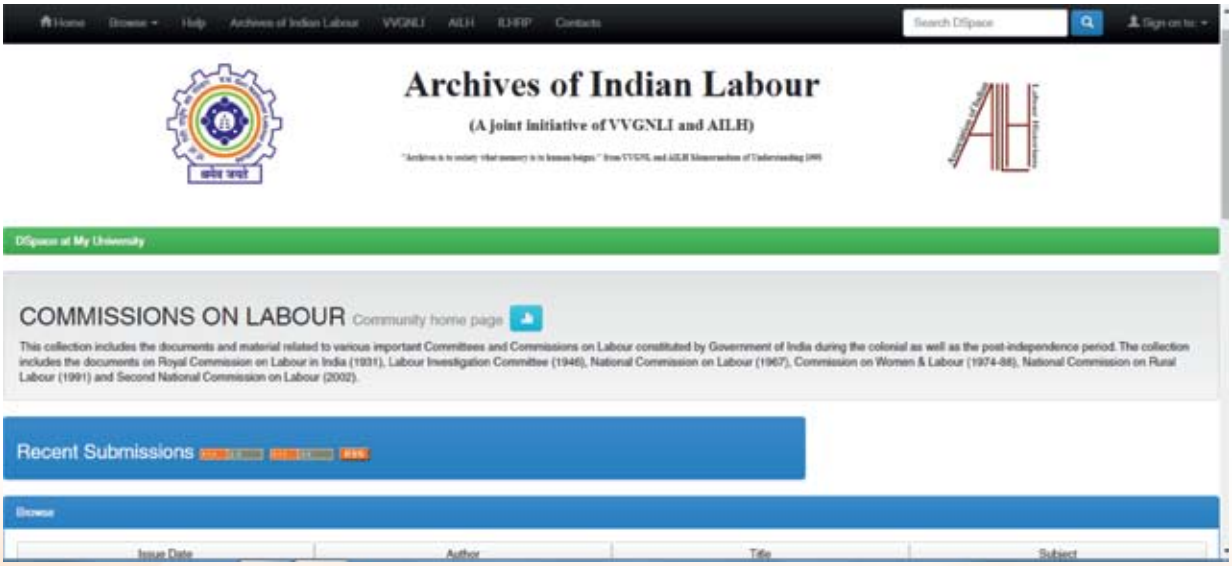

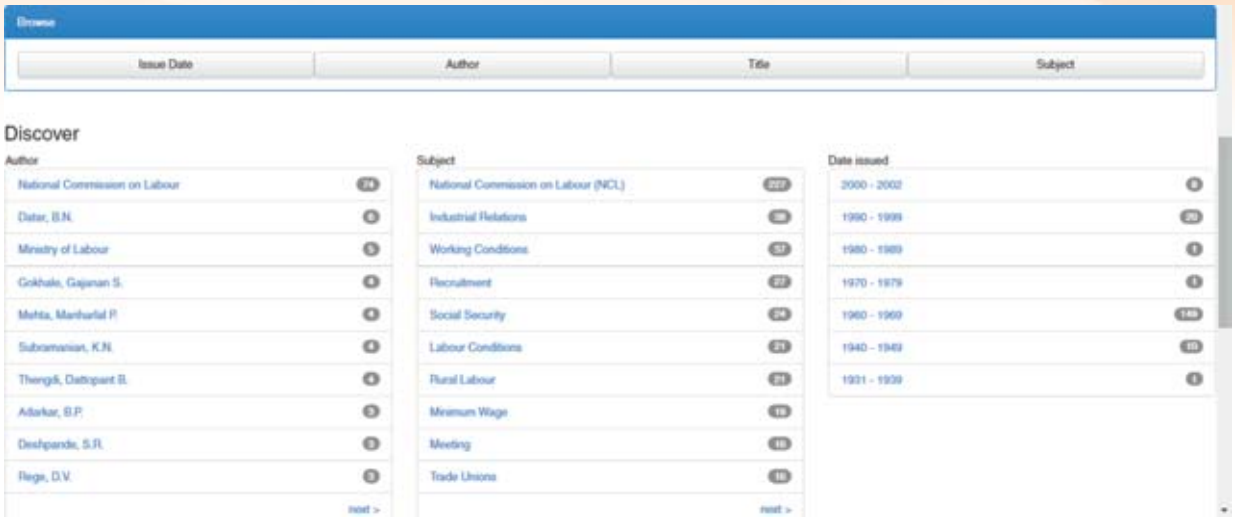

अभिलेखागार के कुछ प्रमुख संग्रह इस प्रकार हैं: श्रम आयोग (1929–2002); ट्रेड यूनियन संग्रहण (भारतीय मजूदर संघ एवं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस); सेवा; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन–भारतीय कार्यालय संग्रहण 1929–1970; अंबेडकर एवं श्रमिक संग्रहण; श्रमिक आन्दोलन का मौखिक इतिहास; अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिक तथा गाँधी एवं श्रमिक।

कार्यक्रम श्रम इतिहास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर नियमित शैक्षिक चर्चा, सेमिनार और वार्तालाप का आयोजन करता है। कार्यक्रम में अब तक 50 से अधिक पूर्ण/चल रहे अनुसंधान और संग्रह परियोजनाएं हैं। वर्ष 2000 से, कार्यक्रम ने 20 वर्किंग पेपर पत्र प्रकाशित किए हैं और श्रम इतिहास पर 12 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सहित लगभग 90 सेमिनार/चर्चाएं आयोजित की हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम इतिहास सम्मेलन

आईएलएचआरपी के उल्लेखनीय योगदानों में से एक प्रमुख योगदान 'टुवर्ड्स ग्लोबल लेबर हिस्ट्री: न्यू कंपेरिज़ंस', 'एक्सपेंडिंग दि फ्रंटियर्स ऑफ लेबर हिस्ट्री', 'वर्क एंड नॉन–वर्क: हिस्ट्रीज़ इन दि लॉन्ग टर्म', 'लेबर हिस्ट्री – ए रिटर्न टु पॉलिटिक्स' तथा 'दि फ्यूचर ऑफ वर्क इन दि मिरर ऑफ पास्ट' जैसे श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों पर 12 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना रहा है। ये सम्मेलन श्रम इतिहास की विविध गतिशीलता पर विचार–विमर्श करने तथा श्रम एवं श्रमिक वर्ग की दशाओं की ऐतिहासिक समझ को बढ़ाने के लिए इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों एवं अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। विश्व के लगभग 20 देशों के विद्वान श्रम इतिहास सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं।

संयुक्त सलाहकार समिति

कार्यक्रम को सलाह देने व इसे मॉनीटर करने के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :

- डॉ. एच. श्रीनिवास
  महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई
- प्रोफेसर सुमित सरकार
  सेवानिवृत्त प्रोफेसर, आधुनिक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय
- श्री प्रणव खुल्लर, महानिदेशक
  राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत
- डॉ. रवि वासुदेवन
  वरिष्ठ फेलो, विकासशील समाजों के अध्ययन का केंद्र

- प्रोफेसर माधवन के. पालट
  प्रधान संपादक, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एवं
  सेवानिवृत्त प्रोफेसर–इतिहास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- डॉ. इंदु अग्निहोत्री
  निदेशक, महिला विकास अध्ययन केंद्र
- डॉ. प्रभु पी. महापात्रा
  एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
  दिल्ली विश्वविद्यालय
- डॉ. राणा पी. बहल
  एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस
- डॉ. चित्रा जोशी
  एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस
- डॉ. एस. के. शशिकुमार
  वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई

केंद्र समन्वयक

डॉ. एस. के. शशिकुमार

वरिष्ठ फेलो

ई–मेल : sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

टेलीफोनः 0120–2411022

श्रम और स्वास्थ्य संरक्षण अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

विकासशील देशों में वर्षों से काम का बढ़ता हुआ अनौपचारिकीकरण हो रहा है। इससे एक ओर काम के अनिश्चित और असुरक्षित रूप सामने आए हैं और दूसरी ओर औपचारिक कार्यस्थलों और श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियाँ अक्सर अनौपचारिक श्रमिकों की पहुंच से बाहर हैं। इस प्रकार, बिना किसी सुरक्षा जाल के बृहत्तर स्वास्थ्य जोखिम एक बढ़ता हुआ मुद्दा और साथ ही चिंता का विषय भी है। इसके अलावा, कई विकासशील देशों में सरकारों को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं सहित कल्याण कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए मजबूर किया गया है। इससे विकासशील देशों में अधिकांश श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य असुरक्षा और भेद्यता बढ़ गई है।

भारत में, जहाँ अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं स्वास्थ्य सुरक्षा, संरक्षण के साथ ही लाभों के संबंध में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा और संरक्षण के इन प्रमुख मुद्दों और कार्य की दुनिया के साथ इसके अंतर–संबंधों का समाधान करने के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य संरक्षण अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

केंद्र के मूल अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार के नए और अनिश्चित रूप और उभरते स्वास्थ्य जोखिम;
- श्रम बाजार रूपांतरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली तक पहुंच में असमानताएं;
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा और अन्य सुरक्षा जाल।

अनुसंधान के विशिष्ट मुददे

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों और अनौपचारिक रोजगार में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ की कमी, प्रवासी श्रमिकों और महिला श्रमिकों के संदर्भ में स्वास्थ्य असुरक्षा को समझना;
- श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करने के संदर्भ में नियोक्ताओं की भूमिका को समझना;
- अनौपचारिक रोजगार में श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्यदशाएं और स्वास्थ्य लाभ हासिल करने के संदर्भ में ट्रेड यूनियनों की भूमिका को समझना;
- श्रमिकों की धारणाओं को उनकी कार्यदशाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के संबंध में समझना;

- अनौपचारिक रोजगार में श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित मुकाबला कार्यनीतियों और उनके जीवन और आजीविका पर इसके प्रभाव को समझना।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के विभिन्न कार्यकलापों को सम्पन्न करने में मार्गदर्शन, अभिमुखीकरण, और निदेश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति इस केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में शामिल हैं :

- प्रो. रवि श्रीवास्तव, भूतपूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और संप्रति प्रोफेसर एवं निदेशक, रोजगार अध्ययन केंद्र, मानव विकास संस्थान, दिल्ली
- प्रो. इंद्राणी गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख, स्वास्थ्य नीति अनुसंधान इकाई, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
- डॉ. शक्तिवेल सेल्वाराज, निदेशक, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, वित्तपोषण एवं नीति; भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दिल्ली
- डॉ. टी. के. जोशी, भूतपूर्व निदेशक, व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य केंद्र, लोक नायक अस्पताल, दिल्ली
- श्री विरजेश उपाध्याय, अध्यक्ष, डीटीएनबीडब्ल्युइ

केंद्र समन्वयक

डॉ. रूमा घोष

फेलो

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर – 24, नौएडा

टेलीफोन : 0120–2411573, एक्सटेंशन 224

rumaghosh.vvgnli@gov.in

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना कार्य की दुनिया लैंगिक मुद्दों के अवबोधन पर ध्यान देने और उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की गयी है। पूरे विश्व के अनेक देशों में लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण विकासात्मक नीतियों के आधार रहे हैं तथा ये सतत विकास लक्ष्यों के लिए केंद्रीय विशेषता बने हुए हैं। श्रम बल प्रतिभागिता दरों और बेरोजगारी दरों में लिंगीय अंतर वैश्विक श्रम बाजार की शाश्वत विशिष्टताएँ हैं। इन मुद्दों के समाधान की जरूरत है ताकि श्रम बाजार में लिंगीय समानता सुनिश्चित की जा सके जिसके लिए शैक्षणिक और नीतिगत – दोनों स्तरों पर संगठित प्रयासों की जरूरत है।

श्रम बाजार में लैंगिक विषमता विकासशील देशों में अधिक है तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्न ने बहुधा इसे बढ़ाया ही है क्योंकि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य क्षेत्रों के सीमित दायरे में हैं जिनमें से अधिकांश कमजोर और असुरक्षित हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार में घरेलू कामगार, स्व–रोजगार, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह आधारित कामगार तथा कम कौशल वाले प्रवासी कामगारों के रूप में लगे हुए हैं, जिससे कम आय एवं कम उत्पादकता होती है। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजूदरी में अंतर एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके समाधान के लिए सभी हितधारकों से निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरूषों के मुकाबले कमतर और विकृत करके दिखाया जाता है। पारंपरिक श्रम आँकड़े वास्तविकता की आंशिक धारणा प्रदान करते हैं क्योंकि वे महिलाओं के काम को पर्याप्त रूप से पकड़ने में असमर्थ हैं। श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और श्रम बाजारों की प्रकृति को देखते हुए विशिष्ट तंत्रों की आवश्यकता है ताकि लैंगिक सरोकारों को नीति निर्माताओं द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर समग्र रूप से मुख्यधारा में लाया जा सके। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने हेतु पूर्ण उत्पादक रोजगार के नए लक्ष्यों को प्राप्त करने, उनकी स्थिरता और सामाजिक समावेश के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

समावेशी विकास और मूल समानता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और पक्ष समर्थन के माध्यम से नीतियों, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करना लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियां होंगी। इस ढांचे के अंदर लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र का गठन कार्य की दुनिया में लिंग से संबंधित विभिन्न आयामों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करने , परामर्शी कार्य, प्रकाशन आदि के लिए किया गया है। केंद्र का लक्ष्य लिंग और श्रम अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को सूचित करने के लिए अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

हाल ही में पूरी की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रशिक्षण मॉड्यूल (समसामयिक प्रकाशन –2017)
- डिजिटल अंतर को कम करने के लिए आईसीटी अनिवार्यताएँ: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य

- कृषि में युवा रोजगार की संभावनाएँः मुद्दे और चुनौतियाँ
- आईटी /आईटीईएस उद्योग में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का प्रभाव
- लघु बागान सैक्टर में पारिवारिक श्रमः दक्षिण भारत के चुनिंदा क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस के साथ एक अध्ययन
- कम मजदूरी और लैंगिक भेदभावः पश्चिम बंगाल में बागान कामगारों का मामला
- भारत में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में जटिलता
- पूर्वोत्तर भारत में महिला श्रमिकों के अवैतनिक कार्य और समय का उपयोग पैटर्नः त्रिपुरा का विशेष संदर्भ
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल और चुनौतियों की पहचान (समसामयिक प्रकाशन–2019)
- दक्षिण एशिया में महिला कामगारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा पर कानून, नीतियों और प्रथाओं के अवलोकन पर आईएलओ अध्ययन (2019)

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में शामिल हैं :

1. डॉ. रत्ना एम. सुदर्शन, भूतपूर्व निदेशक, आईएसएसटी, नई दिल्ली
2. सुश्री चित्रा चोपड़ा, भूतपूर्व भा.प्र.से., नई दिल्ली
3. सुश्री अमरजीत कौर, राष्ट्रीय सचिव एवं समन्वयक, एआईटीयूसी, नई दिल्ली
4. प्रोफेसर सरस्वती राजू, सीएसआरडी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
5. डॉ. रेणुका सिंह, प्रोफेसर, सीएसएसएस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
6. सुश्री इंद्राणी मजूमदार, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युडीएस, नई दिल्ली

केंद्र समन्वयक

डॉ. शशि बाला
फेलो
दूरभाष : 0120 – 2411776
0120–2411533 / 34 / 35, एक्सटेंशन 225
ई–मेलः balashashi.vvgnli@gov.in

डॉ. एलीना सामंतराय जेना
फेलो
दूरभाष : 0120–2411483
0120–2411533 / 34 / 35, एक्सटेंशन 223
ई–मेलः ellinasroy.vvgnli@gov.in

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत है और यहां की जनसंख्या कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) का 3.8 प्रतिशत है। यह हिमालय की पूर्वी सीमा पर तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। इतिहास और भू–राजनीति से परेशान एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और खराब प्रशासन के साथ उत्पादकता एवं और बाजार तक पहुंच कम है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुल कार्यबल (2011–12) के 3.6 प्रतिशत को निरूपित करता है। एनईआर में श्रम परिदृश्य अनेक कारकों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक सहित) के कारण देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अनोखा है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की निम्न दर और आधुनिक सेवा क्षेत्र का सीमित प्रसार हुआ है। कृषि कार्य (झूमिंग जैसी अनूठी प्रणालियों की उपस्थिति के साथ) भी विशिष्ट हैं। यहां पर श्रम बाजार की भागीदारी को नियंत्रित करने वाले सांस्कृतिक लोकाचार भिन्न हैं, जो लैंगिक और सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रवासन है जो कई सामाजिक–राजनीतिक विचारों के कारण जनसंख्या के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के भीतर और बाहर) के साथ–साथ देश के बाहर से मजदूरों की आमद, दोनों के संदर्भ में जटिल हो जाता है

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति उन्मुखी अनुसंधान करने और श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 2009 में पूर्वोत्तर केन्द्र (सीएनई) स्थापित किया है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं श्रम
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका कार्यनीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल अन्तराल अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिक और कामगार आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य समूहों में क्षेत्र के आठ राज्यों से श्रम अधिकारी, महिला कामगार एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और अनुसंधानकर्ता शामिल हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ विषय नीचे दिए गए हैं:

- श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- श्रम प्रशासन और श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन
- श्रम बाजार और रोजगार के अवसरों को समझना
- महिला श्रमिकों से संबंधित श्रमिक मुद्दों और कानूनों पर जागरूकता बढ़ाना
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- उत्तर पूर्व में श्रम बाजार, रोजगार और सामाजिक संरक्षण मुद्दे
- लिंग, गरीबी और रोजगार
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र
- सामाजिक सुरक्षा के लिए एक साधन के रूप में विकास योजनाएं
- कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना

पूरी की गई परियोजनाएँ

- दिल्ली में पूर्वोत्तर प्रवासी: सामाजिक–आर्थिक अध्ययन
- मणिपुर में हथकरघा बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा
- असम में चाय बागान श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण
- पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण एवं श्रम बाजार
- बच्चों के रोजगार की गतिशीलता एवं सामाजिक–आर्थिक वास्तविकता; मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों में खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों का अध्ययन।
- पूर्वोत्तर भारत में युवाओं का कौशल विकास: आगे की राह
- त्रिपुरा में मनरेगा: दक्षता एवं साम्य का अध्ययन
- खतरनाक नियोजन में प्रवासी एवं तस्करी कर लाए गए बच्चे: नागालैंड का मामला
- त्रिपुरा में रबड़ की प्राकृतिक खेती का विस्तार: भू–धारण, रोजगार एवं आय पर प्रभाव
- ग्रामीण अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता एवं समय–उपयोग पैटर्न
- पूर्वोत्तर से शहरी केंद्रों में प्रवासन: दिल्ली क्षेत्र का मामला
- एक विनियमित श्रम बाजार में जीवन को महत्व देना: असम के चाय बागानों पर अध्ययन
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार की स्थिति: हाल के रुझान एवं उभरती चुनौतियाँ
- पूर्वोत्तर भारत में गैर–कृषि रोजगार का विकास, संयोजन एवं निर्धारक

सहयोग

संस्थान पूर्वोत्तर के विभिन्न संस्थानों नामतः मणिपुर विश्वविद्यालय; नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय –क्षेत्रीय परिसर, मणिपुर; धनमंजुरी सामुदायिक महाविद्यालय, धनमंजूरी विश्वविद्यालय, इंफाल; टाटा समाजविज्ञान संस्थान, गुवाहाटी; त्रिपुरा विश्वविद्यालय; राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर; तेजपुर विश्वविद्यालय; भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, शिलॉन्ग; मिजोरम विश्वविद्यालय; डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय; सिक्किम विश्वविद्यालय; सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जेएनयू; सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च, जामिया मिल्लिया इस्लामिया; दिल्ली विश्वविद्यालय।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में शामिल हैं :

- प्रो. तिप्लुट नोंग्ब्री, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया
- प्रो. भगत ओइनम, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- प्रो. महेन्द्र पी. लामा, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

केंद्र समन्वयक

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

फेलो

दूरभाष : 0120 – 2411533 / 34 एक्सटेंशन : 212

मोबाइल : 9818107829

otojit@gmail.com, otojit.vvgnli@gov.in

जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक चिंता है और भारत में, जहां अधिसंख्य लोग गरीब हैं और अपने जीवनयापन के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और काम की दुनिया के साथ इसके अंतर–संबंधनों के मुख्य मुद्दे को हल करने की दिशा में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वर्ष 2010 में एक नये अनुसंधान केंद्र, नामतः जलवायु परिवर्तन एवं श्रम केंद्र की स्थापना की है। अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों तथा उनकी आजीविका से इसके अंतर–संबंधनों के मुद्दे पर नीति–उन्मुख अनुसंधान किया जाए।

मुख्य मूल अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों तथा आजीविका के अंतर–संबंधनों को समझना;
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार संबंधी चुनौतियां और ''ग्रीन रोजगार'' की ओर संक्रमण;
- मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर जलवायु परिवर्तनीयता तथा परिवर्तन के प्रति आजीविका अनुकूलन तथा प्रशमन कार्यनीतियों का निर्धारण;
- जलवायु परिवर्तन और उत्प्रवास पर इसका प्रभाव;
- प्राकृतिक संसाधनों, वनों तथा आम जनता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- मजदूरी संहिता।

विशिष्ट अनुसंधान–योग्य मुद्दों में निम्न शामिल हैं :–

- ऐसे कमजोर कर्मकारों जो निर्वाहयोग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र, समुद्र तटीय मछलीपालन/नमक निर्माण/कृषि समुदाय में कार्यरत हैं, और वनों पर निर्भर क्षेत्रीय, अनुसूचित जनजाति के लोगों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को पुनः संगठित करने, नौकरी की हानि से संरक्षण तथा माइक्रो नीतियों के पुनराभिमुखीकरण में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका;
- दीर्घकालिक सूखे, बाढ़ तथा अत्यधिक अनियमित मानसून के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में कमी के साथ इसके संबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- आजीविका सुरक्षा का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन में नरेगा की भूमिका;
- जलवायु परिवर्तन तथा लिंग;
- जलवायु परिवर्तन और उत्प्रवास प्रक्रियाओं को तेज करने पर इसका प्रभाव;
- जलवायु के प्रभाव संबंधी स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रक क्षमताओं तथा मौजूदा अनुकूलन कार्य को समझना;
- जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के बारे में, इसके संभावित प्रभाव तथा विभिन्न अनुकूलन तथा प्रशमन कार्यनीतियों के बारे में विभिन्न पणधारियों के लिए सक्षमता निर्माण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

केंद्र समन्वयक

डॉ. अनूप कुमार सतपथी

फेलो

दूरभाष : 0120 – 2411483

ई–मेल : anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

नेटवर्किंग (अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय)

उद्देश्य और कार्यकलाप

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित है, जो श्रम तथा इससे संबद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संस्थान ने पिछले वर्षों में विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किए है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं जिससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है, बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी) ट्यूरिन, राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, श्रीलंका, यूएन वीमेन, वैश्विक इतिहास में आईजीके कार्य तथा मानव जीवन चक्र, हम्बोत विश्वविद्यालय जर्मनी तथा आधुनिक भारतीय अध्ययन का केंद्र, गोटिंजेन विश्वविद्यालय, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ भी दीर्घकालीन तथा नए संबंधों का निर्माण हुआ है। इन संस्थानों के साथ जिन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का आदान–प्रदान किया जा रहा है, उनमें बाल श्रम, श्रम प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रमिक इतिहास, उत्कृष्ट श्रम तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी सूचीबद्ध है। वर्ष 2018–19 के दौरान संस्थान ने नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, स्वास्थ्य संरक्षण तथा सुरक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन, श्रम में लिंगीय मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तथा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना जैसे मुख्य विषयों पर 06 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1999 में सूचीबद्ध होने के पश्चात संस्थान ने अभी तक 97 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 123 देशों से 2260 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के बीच व्यावसायिक सहयोग को पाँच वर्षों के लिए आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 28 नवम्बर 2018 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन सभी के लिए सभ्य कार्य का संवर्धन करने हेतु प्रशिक्षण क्रियाकलापों में दोनों संस्थानों के बीच सहयोग का विस्तार करना है। दोनों संगठन अन्य बातों के साथ–साथ निम्न से संबंधित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे– (i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना; (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास करना;

तथा (iii) संकाय का आदान–प्रदान। ऐसे सहयोग से कार्य की दुनिया में रूपांतरणों से उत्पन्न चुनौतियों पर कार्रवाई करने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन होने की आशा है। इस सहयोग का उद्देश्य वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को शुरूआत में सार्क क्षेत्र के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना है तथा आगे श्रम तथा संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर प्रशंसित उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में इसका विकास करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान आईएलओ–आईटीसी, ट्यूरिन के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत संस्थान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए 08 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को शाश्वत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आशा करता है कि विश्व के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ, खास तौर पर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों, संकाय आदान–प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करने के संबंध में इसके दीर्घकालीन सहयोग और बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय सहयोग

संस्थान ने श्रम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलाप आयोजित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ (आईआईएम–एल); राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद (एनआईआरडी एंड पीआर); टाटा समाजविज्ञान संस्थान, गुवाहाटी (टीआईएसएस–जी); समाजविज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता आदि के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान श्रम, कौशल विकास, रोजगार आदि के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक भागीदारों एवं हितधारकों के लिए महात्मा गाँधी श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, गाँधीनगर; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; त्रिपुरा विश्वविद्यालय; ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों के राज्य श्रम संस्थानों आदि के साथ सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ आयोजित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम विषय–विशिष्ट होते हैं और ये विभिन्न केंद्रों के संकाय सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (dg.vvgnli@gov.in)

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्रों में से एक है। संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नितीश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को इस केंद्र का पुनःनामकरण उनके नाम पर किया गया था। यह केंद्र पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराता है:

भौतिक उपलब्धियां

पुस्तकें/पत्रिकाएं/सेवाएं – अप्रैल 2020 से अक्तूबर 2020 के दौरान पुस्तकालय में 08 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-पत्रिकाएं/सीडी/एवी/वीसी खरीदी गयीं जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र-पत्रिकाओं/स्लाइड/ऑडियो विजुअल/वीडियो/सीडी/फोटोग्राफ/पोस्टर/बैनर/क्लिपिंग/पैनल आदि की संख्या **65,527** तक पहुंच गई है। पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान नियमित तौर पर **148** व्यावसायिक पत्रिकाओं, मैगजीनों एवं समाचार पत्रों का मुद्रित एवं इलैक्ट्रॉनिक, दोनों स्वरूपों के लिए अभिदान किया। यह ज्ञान केंद्र प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनित प्रसार (एसडीआई), सामयिक (करंट) जागरूकता सेवा, संदर्भ सेवा, ऑन लाइन खोज, पत्रिकाओं के लेखों की अनुक्रमणिका, समाचारपत्रों के लेखों की कतरनें, माइक्रो–फिच खोज और मुद्रण, रिप्रोग्राफिक सेवा, सीडी–रोम खोज, श्रव्य दृश्य सेवा, समसामयिक (करंट) विषय–वस्तु सेवा, आर्टिकल अलर्ट सेवा, उधारी सेवा और अंतर्पुस्तकालय ऋण सेवा।

उत्पाद

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं को मुद्रित रूपों में निम्न उत्पाद उपलब्ध कराता है :–

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका – तिमाही अन्तःसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगजीनों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है;
- सम–सामयिक जागरूकता बुलेटिन – तिमाही अन्तःसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में अधिप्राप्ति संबंधी संदर्भ सूचना उपलब्ध कराता है;
- आर्टिकल अलर्ट – एक साप्ताहिक प्रकाशन, जो अभिदत्त सभी पत्रिकाओं/मैगजीनों के महत्वपूर्ण लेखों की संदर्भ सूचना उपलब्ध कराता है;
- समसामयिक (करंट) विषयवस्तु सेवा – मासिक प्रकाशन। यह अभिदत्त पत्रिकाओं की विषय–सूचियों के पृष्ठों का संकलन है;
- आर्टिकल अलर्ट सेवा – यह साप्ताहिक सेवा जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ई–न्यूजपेपर कतरन सेवा – श्रम और संबंधित विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचारों की स्कैन कॉपी की एक साप्ताहिक सेवा।

विशेष संसाधन केंद्रों का अनुरक्षण

संदर्भ उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित दो विशेषीकृत संसाधन केंद्र सृजित एवं अनुरक्षित किए गए हैं:–

i) राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
ii) राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

अधिक जानकारी और ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री एस. के. वर्मा
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201301
ई–मेल : skverma.vvgnli@gov.in
टेलीफोन : 0120–2411262 (सीधा) 2411533/34/35/एक्सटेंशन : 202

प्रकाशन

संस्थान अपने व्यावसायिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों यथा पत्रिकाओं, एनएलआई अनुसंधान श्रृंखला, वर्किंग पेपर, अनुसंधान मोनोग्राफ, न्यूजलेटर का प्रकाशन करता है।

लेबर एंड डेवलपमेंट

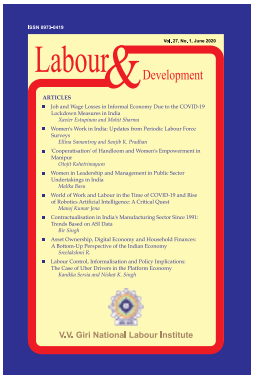

लेबर एंड डेवलपमेंट एक छमाही शैक्षणिक पत्रिका है। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक विश्लेषण और आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का वर्धन और उसका प्रसार करना है। यह पत्रिका छात्रों और श्रम अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले व्यावसायिकों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

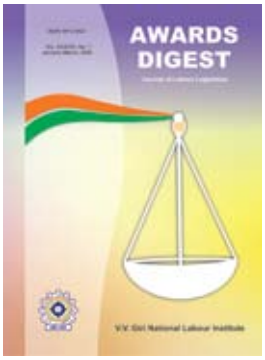

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संषोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

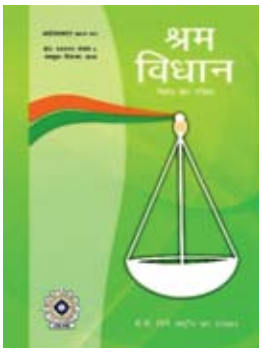

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णायज विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में श्रम संबंधी मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेटों और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

यह संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक द्वि–मासिक न्यूजलेटर है, जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, कार्यशाला, सम्मेलन आदि की बहुविध गतिविधियों का प्रकाशन किया जाता है।

इस समाचार पत्र में संस्थान के महानिदेशक तथा संकाय सदस्यों के व्यावसायिक कार्यों को रेखांकित करने के साथ–साथ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के दौरों की रूपरेखा का भी विशिष्ट प्रकाशन किया जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का त्रैमासिक न्यूजलेटर है। इस न्यूजलेटर का प्रकाशन समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने तथा इस दिशा में उनके प्रयासों को लामबंद करने के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया जा रहा है।

श्रम संगम

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान अपने अध्ययन कार्यों के निष्कर्षों के प्रसार के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के शीर्षक वाली एक श्रृंखला भी प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने अब तक इस श्रृंखला के अंतर्गत 142 अनुसंधान निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में हाल ही में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययनों में निम्न शामिल हैं :

139/2019	रूरल इंडस्ट्रलाईजेशन एंड ऑप्शंस फॉर सेल्फ एंप्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ – डॉ. पूनम एस. चौहान एंड डॉ. शशि बाला
140/2019	यूथ एंड दि लेबर मार्किट लैंडस्केप इन इंडिया: इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्ज़ – डॉ. एस. के. शशिकुमार
141/2020	प्रमोटिंग यूथ एंप्लॉयमेंट एंड एंट्रिप्रिन्योरशिप: अ स्टडी विद स्पेशल फोकस ऑन 'स्टार्टअप्स' – डॉ. धन्या एम. बी.
142/2020	इंप्लीमेंटेशन ऑफ दि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, 1976 – डॉ. शशि बाला

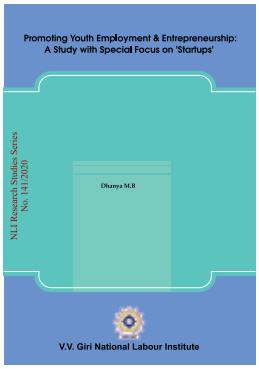

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों तथा श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभावों के साथ–साथ आगे की कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अंगीकार किया जा सकता है, पर फोकस किया जाता है।

- भारत में श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा पर विशेष मुद्दा
- इंडियाज़ कोड ऑन वेजिज – इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूजिव ग्रोथ – *डॉ. एच. श्रीनिवास*
- इन्हांसिंग दि डेवलपमेंट पेऑफ्स ऑफ रेमिटेंस फ्लोज़: अ माइग्रेंट सेंट्रिक अप्रोच – *डॉ. एस. के. शशिकुमार*
- टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग दि रोल ऑफ एंप्लॉयर्स इन स्किल डेवलपमेंट – *संतोष मेहरोत्रा*
- नई श्रम संहिता – भारत को उच्च विकास पथ पर लाना – *डॉ. एच. श्रीनिवास*

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला

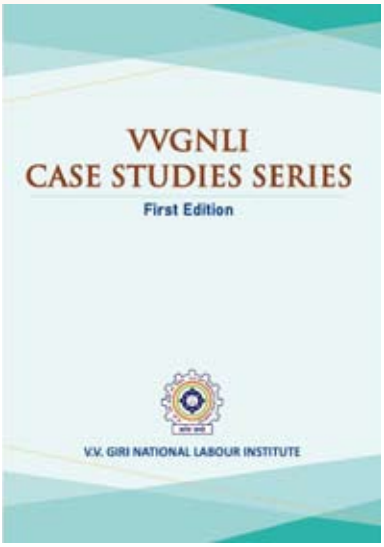

मामला अध्ययन सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षण उपकरणों में से एक हैं। संस्थान प्रतिभागियों को संज्ञानात्मक और समस्या को सुलझाने के कौशल के मिश्रण से लैस करने के लिए अपने प्रशिक्षण हस्तक्षेप में मामला अध्ययनों का उपयोग करता है ताकि कार्य की दुनिया में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सके और उन पर अनुक्रिया दी जा सके। तदनुसार, संस्थान के संकाय सदस्य अपनी अनुसंधान रुचि और क्षेत्र विशेषज्ञता के आधार पर मामला अध्ययन करते हैं।

संस्थान में तैयार किए गए मामला अध्ययनों का पहला संकलन ***वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला*** वर्ष 2020 में प्रकाशित किया गया। इस संकलन में श्रम और संबंधित मुद्दों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामला शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन सुशासन पर अच्छी प्रथाएं: भारत के *ईमाइग्रेट* का मामला अध्ययन – *डॉ. एस. के. शशिकुमार*
- सामान्य रूप से और कोविड–19 महामारी आपदा के संदर्भ में बाल श्रम का समाधान करना: घरेलू बालिका का मामला अध्ययन – *डॉ. हेलन आर. सेकर*
- औद्योगिक विवादों के प्रभावी निराकरण में तथ्यों का उचित अभिमूल्यन और सुलह अधिकारी की साख की भूमिका – *डॉ. संजय उपाध्याय*
- अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अच्छी प्रथाएं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को मामला अध्ययन – *डॉ. रूमा घोष*
- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की अच्छी प्रथाएं एवं इससे सीखे गए सबक – *डॉ. अनूप सतपथी*
- मातृत्व सुरक्षा: एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*
- एक्सपोजर संवाद कार्यक्रम (ईडीपी) – *डॉ. एलीना सामंतराय*
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम) का मामला अध्ययन – *डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*
- रोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षण: फील्ड इंटरैक्शंस से मामले – *श्री पी. अमिताभ खुंटिआ*
- सेवा और कुडंबश्री के अनुभव: सामाजिक सुरक्षा आधार – *डॉ. धन्या एम. बी.*
- गाँधी के एक नेता के रूप में उभरने पर मामला अध्ययन: *डॉ. रम्य रंजन पटेल*
- असंरक्षित की रक्षा करना: संगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए माथाडी मॉडल का एक मामला अध्ययन – *डॉ. मनोज जाटव*

अधिक जानकारी और विवरण के लिए कृपया संपर्क करें:

डॉ. एस. के. शशिकुमार
वरिष्ठ फेलो एवं प्रकाशन (प्रभारी)
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
ई–मेल : publications.vvgnli@gov.in
टेलीफोन : 0120–2411022

प्रमुख उपलब्धियाँ

कोविड–19: बाल श्रम से बच्चों की रक्षा, अब पहले से कहीं अधिक! पर एक राष्ट्र–स्तरीय वेबिनार का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन डीडब्ल्यूटी/सीओ इंडिया और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से 12 जून 2020 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्यूडीएसीएल) मनाने के लिए किया गया।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ अभियान में सरकार, आईएलओ के सामाजिक साझेदारों, मीडिया, सिविल सोसायटी संगठनों, युवा समूहों, महिलाओं के समूहों और अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। जैसा कि इस वेबिनार के शीर्षक 'कोविड–19: बाल श्रम से बच्चों की रक्षा, अब पहले से कहीं अधिक' में परिलक्षित होता है इस वेबिनार ने बाल श्रम पर कोविड–19 संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। वेबिनार का उद्घाटन **श्री संतोष कुमार गंगवार**, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया था। **श्री कैलाश सत्यार्थी,** नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। **श्री हीरालाल समारिया,** सचिव, एमओईएल, भारत सरकार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। **सुश्री डगमर वॉल्टर,** निदेशक, आईएलओ इंडिया, **सुश्री कल्पना राजसिंहोत,** संयुक्त सचिव, एमओईएल, और **डॉ. एच. श्रीनिवास**, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

श्री जी. अशोक कुमार, अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्युआर, आरडी एंड जीआर; **श्री इंसाफ निजाम** (बाल श्रम पर आईएलओ विशेषज्ञ); **सुश्री मनाली शाह**, राष्ट्रीय सचिव, स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा), **श्री संजय भाटिया**, सदस्य, कार्यकारी समिति, एआईओई; **प्रो फैजान मुस्तफा**, कुलपति, एनएएलएसएआर, हैदराबाद; **श्री प्रियांक कानूनगो**, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर और **श्री बी. एल. सोनी**, डीजीपी, राजस्थान इस वेबिनार के संसाधन व्यक्ति थे। **डॉ. हेलन आर. सेकर**, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने इस वेबिनार का समन्वय किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 15 सितंबर 2020 को **श्रमिक प्रवासन: मुद्दे और आगे की राह** पर राष्ट्र–स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यशाला में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: श्रमिक प्रवासन के सभी रूपों को मापने में भारत में डेटा के मौजूदा माध्यमिक स्रोत कितने प्रभावी हैं? विभिन्न स्थानों और समय के साथ श्रम प्रवासन के हालिया और प्रमुख रुझान और पैटर्न क्या हैं? श्रम विनियम और सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम (जैसे कि मनरेगा) विभिन्न प्रकार के प्रवासन प्रवाह को कैसे प्रभावित करते हैं? कोविड–19 महामारी के बाद में प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अल्पकालिक और चलायमान प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख कमजोरियां क्या हैं? प्रवासी कामगारों की असुरक्षा को कम करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए उपाय कितने प्रभावी हैं? और हम तेजी से बदलाव, अनिश्चितता और

व्यवधान के समय श्रम प्रवासन एवं कार्य के भविष्य के प्रतिच्छेदन को कैसे स्थापित करते हैं? इस वेबिनार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलअसाई) और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के साथ मिलकर **09 जुलाई 2020** को महिला श्रम बल की भागीदारी पर पाँचवाँ क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया। कोविड–19 महामारी के कारण यह परामर्श डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया। परामर्श का उद्घाटन **डॉ. सुश्री रेखा शर्मा,** अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यु ने किया। **सुश्री मीता राजीवलोचन**, सदस्य सचिव, एनसीडब्ल्यु ने स्वागत भाषण दिया। **प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह,** माननीय कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) ने अध्यक्षीय भाषण दिया। **श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर** ने परामर्श में विशेष भाषण दिया। परामर्श में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी, महिला कार्यकर्ताओं पर मौजूदा विधानों का प्रभाव, महिला श्रम बल भागीदारी पर बाल संरक्षण नीतियों का प्रभाव और कम होती एफएलएफपी के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रमुख सरोकारों पर विचार–विमर्श किया गया। परामर्श ने देश के चार क्षेत्रों (गुजरात, चंडीगढ़, बैंगलोर, असम और कटक) में किए गए पिछले परामर्शों का पुनर्कथन प्रदान किया। कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यु, वीवीजीएनएलआई, राज्य महिला आयोग, राज्यबाल अधिकार संरक्षण आयोग, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, यूनिसेफ के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के विद्वानों, कानून विशेषज्ञों और एनएलयू के संकाय और छात्रों ने भाग लिया। **डॉ. हेलन आर. सेकर,** वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई और **डॉ. एलीना सामंतराय,** फेलो वीवीजीएनएलआई ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुतीकरण दिए। **डॉ. एलीना सामंतराय** ने एनसीडब्ल्यू, नई दिल्ली के साथ इस आयोजन का सह–समन्वय भी किया।

एनसीएलपी के अध्यक्षों के लिए **'पेंसिल पोर्टल'** पर राष्ट्र–स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला 17 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के उद्देश्य थेः पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति के सावधानीपूर्वक परिश्रमी अंकन पर प्रकाश डालना, पेंसिल पोर्टल पर स्टाइपेंड मॉड्यूल पर जोर देना, डीएससी का पंजीकरण, लाभार्थी सत्यापन, और अन्य संबंधित पहलू। इसका उद्देश्य एनसीएलपी जिलों द्वारा लाभार्थियों को वजीफा जारी करना, पेंसिल पोर्टल पर ऑन–लाइन उपस्थिति, डीएससी का पंजीकरण, लाभार्थी डेटा, क्यूपीआर, एपीआर, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि को अपलोड करने के संबंध में चुनौतियों पर चर्चा करना था।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया। डॉ, एच, श्रीनिवास महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। **सुश्री कल्पना राजसिंहोत**, संयुक्त सचिव, एमओईएल ने 'ऑपरेशनल चैलेंजिजः एन ओवरव्यू' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। बाल श्रम प्रभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने पेंसिल पोर्टल के विभिन्न पहलुओं और जिला–विशिष्ट चुनौतियों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। **डॉ. हेलन आर. सेकर**, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन और समन्वय किया।

'समाधान' पोर्टल (निगरानी, निपटान और लागू/मौजूदा औद्योगिक विवादों को देखने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग) का आयोजन 17 सितंबर 2020 को किया गया। यह पोर्टल औद्योगिक विवादों को अंतिम रूप देने में देरी की समस्याओं का समाधान करने और न्याय का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था।

इस कार्यशाला का उद्घाटन **श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार)** ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने शिकायतों और औद्योगिक विवादों के समय पर निपटान के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण पर जोर दिया। **श्री डी. पी. एस. नेगी,** सीएलसी और एसएलईए ने अपने संबोधन में श्रम अधिकारियों को समय पर औद्योगिक विवादों को निपटाने की सलाह दी। **सुश्री कल्पना राजसिंहोत,** संयुक्त सचिव, एमओएलई ने समाधान पोर्टल के कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। **डॉ. एच. श्रीनिवास**, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने अपने स्वागत भाषण में जोर दिया कि 'न्याय में देरी करना, न्याय से वंचित करना है' और कहा कि औद्योगिक विवादों को समय पर सुलझा लिया जाना चाहिए। इस कार्यशाला में मुख्य श्रम आयुक्तालय के देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात सभी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र, गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गाँधीग्राम, तमिलनाडु के सहयोग से 'आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकासः समावेश और अवसर' पर तीन–दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।

इस कार्यशाला ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पीआरआई के अधिकारियों, एनजीओ और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, कौशल विकास संस्थानों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, जो आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के समावेश और कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए अवसर और मंच प्रदान किया। कार्यशाला के उप–विषय थेः (i) आदिवासी और ग्रामीण युवाओं द्वारा कौशल विकास की चुनौतियों का सामना करना, (ii) आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर, (iii) आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, (iv) आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास से संबंधित समावेश नीतियों पर चर्चा करना, (v) समावेशी और सार्थक कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को बढ़ाने में सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र की पहल। कार्यशाला का उद्घाटन **डॉ. एच. श्रीनिवास,** महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और इसमें सत्तर प्रतिभागी शामिल हुए। **डॉ शशि बाला,** फेलो ने वेबिनार का समन्वय किया।

अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार

सरकार की ओर से वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में प्रासंगिक सूचना का अभिविन्यास, पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे अभिविन्यास, पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं।

नवीनतम अभिनव सरकारी योजनाओं और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी हस्तक्षेपों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए संस्थान ने बड़े अभिविन्यास, पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों जैसे कि **हाँसी, हरियाणा में 'राइज़ इन हरियाणा; कठुआ, जम्मू और कश्मीर में 'सरंचना–2019' तथा सुरेंद्र नगर, गुजरात में 'डेस्टिनेशन गुजरात'** में भाग लिया। संस्थान, इस तरह की गतिविधियों में भाग लेते हुए, मुख्य रूप से संस्थान के प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है और श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार; कौशल विकास; सामाजिक सुरक्षा; राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल; श्रम; बाल श्रम; लिंग और कार्य; ग्रामीण एवं कृषि श्रम आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है संस्थान भी इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रमुख प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

देश में कोविड–19 महामारी के कारण, देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ऐसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं जिनमें संस्थान भाग ले सके।

समन्वयक

पी. अमिताभ खुंटिआ

एसोसिएट फेलो

फोनः 020–2411533 / 34 / 35, विस्तार 251

p.amitav.vvgnli@gov.in

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की हालिया पहल

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य श्रम संहिताओं, जो देश में नए उभरते श्रम और रोजगार परिदृश्य में सभी हितधारकों के लिए काफी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं, की प्रमुख विशेषताओं को समझना और उन पर चर्चा करना है।
उद्देश्य	• भारत में श्रम कानूनों की संहिता की आवश्यकता और संदर्भ की समझ प्रदान करना • विभिन्न संहिताओं की व्यापक योजना और मुख्य विशेषताओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करना • भारत में श्रम बाजार पर श्रम संहिताओं के निहितार्थ पर चर्चा करना • इन श्रम संहिताओं के प्रावधानों पर विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण पर चर्चा करना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मजदूरी श्रम संहिता; औद्योगिक संबंध श्रम संहिता; सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं श्रम संहिता तथा अनुपालन तंत्र
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभव साझा करना और पैनल चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम विभागों के अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता
संकाय	श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों से अनुभवी एवं प्रख्यात व्यक्ति तथा शिक्षाविद।
तारीख	04–07 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा।
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

नई श्रम संहिताओं और नियमों को समझना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम संहिताओं की विस्तृत योजना और मुख्य विशेषताओं से लैस करना है।
उद्देश्य	• श्रम कानून संहिता की आवश्यकता और संदर्भ की समझ प्रदान करना • मानवाधिकारों और विभिन्न श्रम संहिताओं के संवैधानिक ढांचे की समझ प्रदान करना • विभिन्न श्रम संहिताओं की व्यापक योजना और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संविधान और मानव अधिकार; विभिन्न श्रम संहिताओं की रूपरेखा; मजदूरी श्रम संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध श्रम संहिता का मसौदा; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं श्रम संहिता का मसौदा; सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता का मसौदा।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र और राज्य श्रम विभागों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ श्रम प्रशासक।
तारीख	01–03 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

श्रम संहिताओं पर जागरूकता बढ़ाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• श्रम विधान के संदर्भ की समझ प्राप्त करना। • विभिन्न श्रम कानूनों की सारभूत और प्रक्रियात्मक विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • श्रम कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की नई दिशाओं के संबंध में अवबोधन विकसित करना। • विद्यमान संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उपाय खोजना। • श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके उपचारात्मक उपाय खोजना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संविधान और श्रम, चुनिंदा श्रम कानूनों के सारभूत और प्रक्रियात्मक पहलू, नवीनतम श्रम विधिशास्त्र और प्रवर्तन की तकनीकें।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभव साझा करना और पैनल चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र एवं राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम निरीक्षक
संकाय	श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों से अनुभवी एवं प्रख्यात व्यक्ति तथा शिक्षाविद।
तारीख	17–21 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	26–29 अप्रैल 2021, 21–24 मार्च 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• श्रम विधान के संदर्भ की समझ प्राप्त करना। • विभिन्न श्रम कानूनों की सारभूत और प्रक्रियात्मक विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • श्रम कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की नई दिशाओं के संबंध में अवबोधन विकसित करना। • विद्यमान संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उपाय खोजना। • श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा उनके उपचारात्मक उपाय खोजना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संविधान और श्रम, चुनिंदा श्रम कानूनों के सारभूत और प्रक्रियात्मक पहलू, नवीनतम श्रम विधिशास्त्र और प्रवर्तन की तकनीकें।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभव साझा करना और पैनल चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी और श्रम निरीक्षक जिन्हें पाँच से कम वर्षों का अनुभव हो।
संकाय	श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों और शैक्षणिक संस्थाओं के अनुभवी और प्रख्यात व्यक्ति तथा शिक्षाविद।
तारीख	03–07 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर अभिविन्यास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की प्रमुख विशेषताओं की व्यापक समझ से लैस करना है।
उद्देश्य	• सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं पर चर्चा करना। • संगठित और असंगठित क्षेत्र, प्रत्येक लाभ के लिए कवरेज और पंजीकरण प्रक्रियाओं के संदर्भ में संहिता के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण करना। • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संचालित करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा संगठन / निकायों की भूमिका और विभिन्न अपराधों के लिए दंड प्रावधानों पर चर्चा करना। • संहिता में किए गए सुधारों/परिवर्तनों को समझना और यह भी समझना कि ये सुधार श्रमिकों के मुद्दों को कैसे संबोधित करेंगे तथा संहिता नियोक्ताओं को उनके व्यवसायों पर कैसे प्रभाव डालेगी।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संगठित और असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझना, संहिता में किए गए सुधारों और श्रमिकों और नियोक्ताओं पर इसके प्रभाव को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र और राज्य श्रम विभागों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं नियोक्ता संगठनों से बाह्य संकाय, और वरिष्ठ श्रम प्रशासक।
तारीख	01–04 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा।
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन की दिशा में : चुनौतियाँ एवं विकल्प

लक्ष्य	रोजगार, अपनी मात्रात्मकता में तथा सुसंगत रूप से अपने गुणात्मक पहलुओं में लोकनीति की केन्द्रीय चिंताओं में से एक है। जबकि रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण दीर्घ अवधि नीतिगत लक्ष्य बना हुआ है, यह अब आर्थिक मंदी को कम करने में एक अति महत्वपूर्ण नीतिगत साधनों के रूप में उभर रहा है। रोजगार केवल एक मैक्रो आर्थिक फेनोमेना नहीं है, इसका महत्व तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर काफी बड़ा है। रोजगार व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और असुरक्षा के समाधान के लिए प्रमुख साधन बना हुआ है। इसी संदर्भ में कार्यक्रम टिकाऊ एवं समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में गुणवत्ता रोजगार के सृजन से संबंधित विभिन्न आयामों को प्राप्त करता है।
उद्देश्य	• रोजगार, आर्थिक विकास और विकास के बीच लिंकेजों की जांच। • रोजगार में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण। • गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन पर अच्छी पद्धतियों को साझा करना। • गुणवत्तापूर्ण रोजगार को टिकाऊ और महत्वपूर्ण वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विषय–सूची के रूप में विकसित करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार, वृद्धि और विकास के बीच लिंकेज, रोजगार में उभरती प्रवृत्तियां, गुणवत्ता रोजगार सृजन के मुख्य आधार, रोजगार सृजन में अच्छी पद्धतियां, रोजगार को लोक नीति के केंद्रीय सरोकार के रूप में स्थापित करने के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	रोजगार, मामलों से संबंधित सरकारी कर्मचारी; रोजगार पर विशेषीकृत अनुसंधानकर्त्ता; रोजगार सृजन से संबंधित मामलों में लगे ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों से प्रतिनिधि।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, वरिष्ठ स्तर के श्रम प्रशासक और ट्रेड यूनियनों एवं नियोक्ता संगठनों के मुख्य अधिकारी।
तारीख	05–09 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा।
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस.के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

तकनीक तथा रोजगार के नए रूप

लक्ष्य	मुख्यतः डिजिटल तकनीक द्वारा जनित वर्तमान तकनीकी परिवर्तनों के रोजगार एवं रोजगार संबंधों के लिए दूरगामी प्रभाव एवं निहितार्थ हैं। उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि कार्य की प्रकृति एवं कार्य संबंधों पर तकनीक एवं डिजिटल विस्तार के प्रभाव दुनिया भर में भिन्न हैं। तकनीकी परिवर्तनों से रोजगार के नए रूप उभरे हैं तथा इससे भविष्य में कार्य एवं कार्य संबंधों की रूप–रेखा काफी हद तक प्रभावित होने की उम्मीद है। इसी संदर्भ में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य तकनीकी विकास के पैटर्न और रोजगार के नए रूपों एवं काम के भविष्य पर इसके प्रभाव पर हमारी समझ को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• तकनीकी परिवर्तनों और कार्य एवं कार्य संबंधों पर इसके प्रभाव एवं निहितार्थ का पता लगाना। • रोजगार के नए रूपों की विशेषताओं एवं प्रक्रियाओं की जाँच करना। • कार्य के भविष्य के संदर्भों को समझना। • कार्य एवं कार्य संबंधों के बदलते रूपों की अनुक्रिया में नीतिगत अनुमानों की पहचान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	तकनीकी परिवर्तन, रोजगार के नए रूप, कार्य का भविष्य, कार्य एवं कार्य संबंधों के प्रबंधन में नई प्रथाएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं, और मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	नीति–निर्माता, शोधकर्ता, श्रम एवं रोजगार के मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक भागीदार।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और अग्रणी विश्वविद्यालयों, प्रमुख शोध संस्थानों एवं संबंधित सरकारी विभागों से बाह्य विशेषज्ञ।
तारीख	04–07 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस.के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

कार्य का भविष्यः परिवर्तनों को प्रभावी रूप से नेविगेट करना

लक्ष्य	विभिन्न मेगा रुझानों – तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय संक्रमण और वैश्वीकरण – से प्रेरित कार्य की दुनिया पिछले दो से तीन दशकों में बड़े पैमाने पर परिवर्तनों का सामना कर रही है। कार्य की दुनिया के इस महत्वपूर्ण और विकसित चरण में, कोविड–19 ने विशेष रूप से नौकरियों और लोगों की आय की सुरक्षा के संदर्भ में अभूतपूर्व चुनौतियां पेश कीं। एक ओर कार्य की दुनिया में चल रहे परिवर्तनों की समझ और विश्लेषण, दूसरी ओर श्रम और रोजगार परिदृश्य में कोविड–19 से संबंधित संकट के प्रभाव, कुछ प्रमुख मार्गों, जो कार्य के अनुकूल और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए श्रम से संबंधित सार्वजनिक नीतियों द्वारा नेविगेट किए जा सकते हैं, की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए हमें सभी संबंधित हितधारकों, सरकार, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों से लेकर शोधकर्ताओं और सिविल सोसायटी समाज संगठनों तक, की सामूहिक कार्रवाई और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम 'कार्य का भविष्यः परिवर्तनों को प्रभावी रूप से नेविगेट करना' को निम्न विशिष्ट उद्देश्यों के साथ आयोजित कर रहा है।
उद्देश्य	• कार्य के भविष्य के प्रमुख संदर्भों का विश्लेषण करना। • कार्य और कार्य संबंधों के लिए तकनीकी परिवर्तनों और उनके प्रभावों का पता लगाना। • कोविड–19 के प्रमुख श्रम बाजार निहितार्थों की जांच करना और विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करना। • कार्य के उज्ज्वल और न्यायसंगत भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मार्गों के घटकों को चित्रित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कार्य की दुनिया में रूपांतरण, तकनीकी परिवर्तन और नौकरियां, श्रम विनियम और रोजगार के नए रूप, कोविड और श्रम, कार्य का भविष्य।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	रोजगार के मुद्दों से संबंधित सरकारी अधिकारी, रोजगार सृजन से संबंधित मुद्दों में लगे ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, रोजगार और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले शोधकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, अग्रणी विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और संबंधित सरकारी विभागों से बाह्य संकाय।
तारीख	19–22 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस.के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित कानून

लक्ष्य	उन प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना, जो महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में लगे हुए हैं।
उद्देश्य	• श्रम में लिंगीय मुद्दों पर विचार–विमर्श। • महिला कामगारों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों की नई दिशाओं और न्यायिक व्याख्याओं से संबंधित अवबोधन विकसित करना। • महिला कामगारों से संबंधित कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कार्यनीतियां विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लैंगिक मुद्दे, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	03–07 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

श्रम प्रशासन एवं श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• श्रम विधान के संदर्भ की समझ होना; • विभिन्न श्रम कानूनों के सारभूत तथा प्रक्रियात्मक विषयों की जानकारी होना; • श्रम कानूनों तथा न्यायिक व्याख्या में नये निर्देशनों के संबंध में समझ विकसित करना; • मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के तरीकों का पता लगाना; • श्रम कानूनी के प्रभावी प्रवर्तन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना तथा उपचारी उपायों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में श्रम एवं रोजगार प्रवृत्तियों का पर्यावलोकन, संविधान और श्रम, चुनिंदा श्रम कानूनों के सारभूत तथा प्रक्रियात्मक पहलू, नवीनतम श्रम न्यायशास्त्र तथा प्रवर्तन की तकनीकें।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चा एवं सामान्य चर्चा, मंत्रालयों और नीति–निर्माता निकायों के उच्च अधिकारियों के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र एवं राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम अधिकारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, मंत्रालयों से अधिकारी, नीति–निर्माता एवं विकास विशेषज्ञ।
तारीख	10–14 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

सुलह को प्रभावी बनाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सुलह अधिकारियों को समकालीन औद्योगिक संबंध परिदृश्य तथा सुलह वाले मुद्दों की प्रकृति का मूल्यांकन करने के कौशलों से लैस करना तथा प्रभावी सुलह के लिए आवश्यक व्यवहार कौशल विकसित करना है।
उद्देश्य	• समकालीन औद्योगिक संबंध परिदृश्य; • सुलह वाले मुद्दों की प्रकृति का सही मूल्यांकन सुकर बनाना; • सुलह प्रक्रिया से संबंधित औद्योगिक संबंध कानून के प्रावधानों एवं संगत निर्णयज विधियों का सूक्ष्म विश्लेषण करना; तथा • प्रभावी सुलह के लिए आवश्यक व्यवहार कौशल विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों पर विशेष जोर के साथ श्रम कानूनों के मूलतत्व, सुलह की कार्यवाही में देरी की समस्या, सुलह की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से करने के लिए व्यवहार विज्ञान की जानकारी तथा सुलह के क्षेत्र में कानूनों की हाल की प्रवृत्ति, सुलह के प्रति नियोजकों/यूनियनों का रवैया।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभव साझा करना तथा सांविधिक रिपोर्टों को तैयार करने पर कार्यशाला।
प्रतिभागिता स्तर	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सुलह अधिकारी
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	12–16 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj @gov.in

अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी : भूमिका और कार्य

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य अर्ध–न्यायिक भूमिका निभाने की दक्षता को सुदृढ़ बनाना है।
उद्देश्य	• मौजूदा सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में अर्ध–न्यायिक कार्यों को निपटाने के लिए संकल्पनात्मक ढांचा विकसित करना। • अर्ध–न्यायिक प्राधिकारियों की समस्याओं पर चर्चा करना। • श्रम कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं में उभरती प्रवृत्तियों को समझना। • संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के संगत क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	विभिन्न श्रम अधिनियमनों के अंतर्गत अर्ध–न्यायिक अधिकारियों की भूमिकाएं और कर्त्तव्य, अर्ध–न्यायिक भूमिका को निभाने में समस्याएं और इन समस्याओं के समाधान के अर्थोपाय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और नवीनतम श्रम विधिशास्त्र ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अर्ध–न्यायिक अधिकारी।
संकाय	श्रम विभाग से वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी और संस्थान के संकाय सदस्य।
तारीख	06–09 सितम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य श्रम विभागों के तहत आने वाले कारखाना निदेशालयों के अधिकारियों की समझ एवं क्षमताओं में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (आऐ सएच) के क्षेत्र में अतंर्राष्ट्रीय मानकों और मानदडों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना। • भारत के संदर्भ में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (आऐ सएच) पर मौजूदा काननी उपायों और नीतियों को समझना। • कारखानों में सुरक्षा और जोखिम प्रबधंन के मानदडों को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कारखानों में सुरक्षा की मलूबातों को समझना, कारखानों में जोखिम प्रबधंन पर अतंदृष्टि प्रदान करना, अनुभवों और सर्वातम प्रथाओं को साझा करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की शुरुआत के लिए क्षमता निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों के तहत आने वाले कारखाना निदेशालयों के अधिकारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	05 – 09 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

कार्य का भविष्य और श्रमिकों का सामाजिक संरक्षण

लक्ष्य	कार्य व्यवस्था की बढ़ती विविधता आज के श्रम बाजारों की एक विशिष्ट विशेषता बन गई है। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि स्वचालन और डिजिटलीकरण ने रोजगार के कई पारंपरिक रूपों को बदल दिया है और इसके परिणमस्वरूप रोजगार के कई नए रूपों जैसे कि 'प्लेटफॉर्म' अर्थव्यवस्था का उद्भव भी हुआ है। जैसे–जैसे कार्य की दुनिया डिजिटलीकरण, स्वचालन और वैश्वीकरण जैसे वैश्विक रुझानों के साथ–साथ सामाजिक–जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ विकसित होती जा रही है सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को बदलते संदर्भों और मांगों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि कुछ उभरते हुए कार्य और रोजगार की व्यवस्था श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए लचीलापन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे सामाजिक संरक्षण की कवरेज में महत्वपूर्ण कमी ला सकते हैं। कार्य की बदलती दुनिया के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना और उन्हें अनुकूलित करना आवश्यक है। गरीबी को रोकने, असमानता को कम करने, आय सुरक्षा में वृद्धि और श्रमिकों एवं उनके परिवारों को कार्य और जीवन संक्रमण नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पहले से कहीं है।
उद्देश्य	• श्रम बाजार में परिवर्तनों का पता लगाना और श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण के संदर्भ में इसके निहितार्थ को समझना। • उन अभिनव नीति प्रतिक्रियाओं को समझना जो देशों ने बदलती दुनिया में बढ़ती मांगों के लिए अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर रूप से अनुकूलित करने के लिए पेश किए हैं। • हालिया सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के माध्यम से भारतीय संदर्भ में नीति विकल्पों की समीक्षा करना और उन पर प्रकाश डालना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार के नए रूप, कार्य का भविष्य, सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतरालों को समझना, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर अभिनव नीति प्रतिक्रियाएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, श्रम एवं रोजगार के मुद्दों को देखने वाले ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और संबंधित सरकारी विभागों से बाह्य संकाय।
तारीख	26–30 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर क्षमता निर्माण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में श्रम सुधारों की प्रक्रिया पर प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना है। यह प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं पर एक समझ रखने के लिए उन्मुख करेगा।
उद्देश्य	• भारत में श्रम कानून के समग्र ढांचे और श्रम कानून सुधारों के संदर्भ में चर्चा करना, • श्रम कानून बनाने के लिए संवैधानिक ढांचे का अवलोकन प्रदान करना, • भारत में चार श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना, • श्रम बाजार पर इन संहिताओं के निहितार्थ को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम विधान का ढाँचा, संवैधानिक प्रावधान, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, श्रम शोधकर्ता, सरकार के मध्य स्तर के कार्यकारी, केंद्र और राज्य श्रम विभागों के अधिकारी, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि आदि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	26–30 जून 2021; मार्च 7–11, 2022
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय, डॉ. मनोज जाटव ellinasroy.vvgnli@gov.in, jatav.manoj@gov.in

भारत में श्रम एवं रोजगार संबंधी कानूनों पर जागरूकता का निर्माणः नई श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर विशेष फोकस

लक्ष्य	भारत में अधिकांश श्रम एवं रोजगार कानून बहुत पुराने और जटिल हैं तथा ये श्रम नियम व्यावसायिक वातावरण को बाधित करते हैं और रोजगार सृजन को भी हतोत्साहित करते हैं। श्रम सुधारों की पहल चार श्रम संहिताएं बनाते हुए मौजूदा और अतिव्यापी श्रम कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही है। इससे व्यापार सुगमता और रोजगार सृजन करने में आसानी होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चार संहिताओं (चवालीस केंद्रीय श्रम कानूनों से संहिताबद्ध) जिनमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। सभी चार श्रम संहिताओं को संसद ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब यह नियम तय करने की प्रक्रिया में है। श्रम सुधारों पर इस हालिया पहल पर जागरूकता निर्माण भारतीय श्रम बाजार के कार्यचालन की बेहतर समझ के लिए समय की आवश्यकता है।
उद्देश्य	पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को कर्मचारियों और कंपनी के विकास के लिए अनुकूल कार्य के माहौल के लिए मजदूरी संहिता के महत्व पर शिक्षित करना है। अधिक विशेष रूप से इस सत्र के उद्देश्य हैं: • चार श्रम संहिताओं पर पृष्ठभूमि, परिभाषाओं और प्रमुख निष्कर्षों को शिक्षित करना। • मजदूरी संहिता और मजदूरी से संबंधित चार केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर की जांच करना। • सामाजिक सुरक्षा संहिता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर की जांच करना। • औद्योगिक संबंध संहिता और औद्योगिक संबंधों से संबंधित तीन केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर की जांच करना। • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित तेरह केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर की जांच करना • सभी चार श्रम संहिताओं के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना और इनका विश्लेषण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	परिभाषाओं और शर्तों का पर्यावलोकन, श्रम संहिताओं के प्रमुख निष्कर्ष और मुख्य विशेषताएं, प्रत्येक संहिता और विशेष रूप से उस संहिता से संबंधित केंद्रीय श्रम अधिनियमन के प्रावधानों के बीच अंतर, चार श्रम संहिताओं के प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण, चर्चाएं एवं प्रायोगिक अभ्यास।
प्रतिभागिता स्तर	कर्मचारी/नियोक्ता/पेशेवर/प्रबंधन कार्मिक और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों और ट्रेड यूनियनों/संघों/महासंघों के प्रतिनिधि
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	16–18 नवम्बर 2021
शुल्क	रु. 12,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 10,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को श्रम विधान और हाल के श्रम विधिशास्त्र के संदर्भ की जानकारी प्रदान करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा विधानों की समझ प्राप्त करना; • मजदूरी कानून के बारे में पूरी जानकारी विकसित करना; • संविदा श्रम से संबंधित कानून की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक संबंध कानून, जिनमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं, की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक सुरक्षा कानूनों, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम शामिल हैं, के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं और मजदूरी से संबंधित कानून की मुख्य विशेषताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभव साझा करना और पैनल चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम–स्तरीय कार्यपालक और ट्रेड यूनियनों/संगठनों/परिसंघों के प्रतिनिधि।
संकाय	श्रम प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों से अनुभवी व प्रख्यात व्यक्ति।
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
तारीख	21–25 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

श्रम संहिताओं का प्रभाव और आकलन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य श्रम कानून और हाल के श्रम न्यायशास्त्र के संदर्भ में प्रतिभागियों को लैस करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और प्रक्रियात्मक विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • सामाजिक सुरक्षा विधानों की समझ प्राप्त करना। • मजदूरी कानून की अंतर्दृष्टि विकसित करना। • संविदा श्रम से संबंधित कानून की समझ प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ट्रेड यूनियन अधिनियम, आईई (एसओ) अधिनियम अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित औद्योगिक संबंध कानून की मुख्य विशेषताएं, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, पेंशन योजना 1995 सहित सामाजिक सुरक्षा कानूनों उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं, मजदूरी से संबंधित कानूनों की मुख्य विशेषताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतीकरण और मामला अध्ययन साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारी और ट्रेड यूनियनों/संघों/महासंघों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, प्रख्यात संस्थानों के अतिथि संकाय।
तारीख	20–24 सितम्बर 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

नई श्रम संहिताएं: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम संहिताओं की विस्तृत योजना और मुख्य विशेषताओं से लैस करना है
उद्देश्य	• श्रम कानून संहिताकरण की आवश्यकता और संदर्भ की समझ प्रदान करना। • मानवाधिकारों और विभिन्न श्रम संहिताओं के संवैधानिक ढांचे की समझ प्रदान करना। • विभिन्न श्रम संहिताओं की व्यापक योजना और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संविधान और मानव अधिकार; विभिन्न श्रम संहिताओं की रूपरेखा; मजदूरी श्रम संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध श्रम संहिता का मसौदा; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं श्रम संहिता का मसौदा; सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता का मसौदा।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पैनल चर्चा, समूह चर्चाएं और प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	संगठित क्षेत्र से ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआसई संकाय, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और नियोक्ता संगठनों से वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ श्रम प्रशासक।
तारीख	18–21 अक्टूबर 2021
शुल्क	रु. 16,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 13,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और श्रम विभाग के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य कार्यस्थल पर ओएसएच नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम करने के लिए देश में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और नीतियों पर समझ को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की अवधारणा का पर्यावलोकन प्रदान करना और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करना, • अंतर्राष्ट्रीयश्रम मानकों की समझ प्रदान करना और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अच्छी प्रथाओं को साझा करना, • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और श्रम बाजार पर संहिता के निहितार्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करना, • कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की अवधारणा, ओएसएच पर अंतर्राष्ट्रीयश्रम मानक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 सहित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नीति और कानून, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
प्रशिक्षण पद्धति	यह प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से व्याख्यान, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करने का उपयोग किया जाएगा। इसमें समूह चर्चा भी शामिल होगी और इस प्रकार यह प्रकृति में सहभागितापूर्ण होगा।
प्रतिभागिता स्तर	उद्योग से वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नियोक्ता संगठनों, कामगार संगठनों के अधिकारी
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ
तारीख	10–14 मई 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

कार्य की बदलती दुनिया में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम प्रबंधन संबंधों के प्रमुख अवसरों और चुनौतियों के बारे में औद्योगिक संबंध प्रबंधकों और ट्रेड यूनियन नेताओं के अवबोधन में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• रोजगार संबंधों को प्रभावित करने वाले वैश्वीकरण के प्रमुख घटकों को समझना और उनका विश्लेषण करना। • वैश्वीकृत होती जा रही अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंधों और ट्रेड यूनियनवाद के उभरते मुद्दों और चुनौतियों की जांच करना और अनुक्रिया करना। • श्रम प्रबंधन पद्धतियों के नये स्वरूपों को सीखना और अनुभवों को साझा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकरण: संकल्पनाएं और विशेषताएं, औद्योगिक संबंध: उभरते परिदृश्य; ट्रेड यूनियन अनुक्रियाओं पर मामला अध्ययन; श्रम प्रबंधन संबंधों पर अच्छी पद्धतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	वरिष्ठ और मध्य स्तरीय औद्योगिक संबंध अधिकारी और ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के वरिष्ठ स्तरीय पदाधिकारी।
तारीख	06–09 सितम्बर 2021, 06–09 दिसम्बर 2021
शुल्क	रु. 16,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 13,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस.के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

उत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य संगठनात्मक विकास के लिए आवश्यक व्यक्तिगत एवं सामूहिक कौशलों को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों से परिचित कराना। • प्रभावी नेतृत्व के लिए कौशल एवं तकनीक विकसित करना। • सकारात्मक नीतियों एवं श्रम कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना। • कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल, निर्णय लेना, समय प्रबंधन, प्रबंधन कौशल, मुखरता तकनीक, संचार कार्यनीतियां, बेहतर कार्य संबंध, भावनाओं के प्रबंधन की तकनीकें तथा परियोजना प्रबंधन कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	रोल प्ले, प्रयोग एवं अभ्यास सत्र, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	ट्रेड यूनियन नेता, प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, प्रख्यात संस्थानों के अतिथि वक्ता।
तारीख	19–23 अप्रैल 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शषि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारवादी कौशल

लक्ष्य	वैयक्तिक तथा सामूहिक नेतृत्व के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्ति के जरिए प्रभावी नेतृत्व के लिए जरूरी वैयक्तिक और सामूहिक कौशलों को बढ़ाना।
उद्देश्य	• प्रभावी नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना; • संप्रेशण कौशलों को तीक्ष्ण करना; • प्रेरणात्मक शैलियों से अवगत कराना; • सर्वसम्मति निर्माण को मजबूत करना; • विवाद सुलझाने के कौशल को बढ़ाना; और • वार्ताकारी कौशल उत्पन्न करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास में नेतृत्व की भूमिका, व्यवहार शैलियां, संप्रेशण प्रक्रिया, भावनात्मक समझ के जरिए नेतृत्व, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, दल प्रबंधन और स्वयं को व टीम को प्रेरित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	निम्नलिखित वैयक्तिक बनाम सामूहिक प्रक्रियाओं के जरिए अनुभव–आधारित शिक्षा प्राप्तिः प्रभावी नेतृत्व को समझना, अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रयोग करना, बढ़ाना और मजबूत बनाना, आंतरिक बनाना, लागू करना और बनाए रखना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों/संगठनों/परिसंघों के प्लांट स्तरीय प्रतिनिधि।
संकाय	बाह्य संसाधन व्यक्ति तथा संस्थान के संकाय सदस्य।
तारीख	17–21 मई, 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

कार्यकुशलता बढ़ाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्यकुशलता के महत्व के बारे में नेताओं को जागरूक करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंधों में परिवर्तनों एवं रुझानों से परिचित होना। • नेतृत्व तथा वित्त प्रबंधन के कौशल तीक्ष्ण करना। • उभरते आर्थिक–राजनैतिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करना। • क्रोध, समय एवं तनाव का प्रबंधन।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	समय प्रबंधन के सिद्धांत एवं तकनीक, टीमवर्क, नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना, तनाव प्रबंधन के लिए प्रभावी संचार कौशल, क्रोध को नियंत्रित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधकीय खेल, समूह कार्य, व्याख्यान एवं साधनों का उपयोग। समग्र रूप से कार्यक्रम सहभागितापूर्ण प्रकृति का होगा।
प्रतिभागिता स्तर	ट्रेड यूनियनों/संगठनों/परिसंघों के प्लांट स्तरीय प्रतिनिधि।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और व्यवहार–विज्ञान के प्रख्यात बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	14–18 जून 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

कार्य का प्रभावी प्रबंधन : व्यवहारवादी दृष्टिकोण

लक्ष्य	संगठनात्मक संस्कृति एवं विकास के विभिन्न पहलुओं की बेहतर समझ विकसित करना और संगठनों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए समुचित व्यवहार कौशल सिखाना।
उद्देश्य	• संगठनात्मक विकास एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचित होना। • कार्य एवं कार्यालय प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानना। • कार्य संस्कृति एवं आचार नीति से परिचित होना। • विभिन्न व्यवहार कौशलों (सकारात्मक दृष्टिकोण, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, संचार कौशल, निर्णय लेना, स्व प्रेरणा, कार्य संतुलन, भावनात्मक बुद्धि) और इनके महत्व के बारे में जानना। • स्वयं, समूह और संगठन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करना। • संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए बातचीत के कौशल, आम सहमति बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से परिचित होना। • प्रभावी नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना। • तनाव प्रबंधन। • सकारात्मक दृष्टिकोण को तीव्र करना। • भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा से परिचित होना। • प्रभावी संचार के कौशलों को बढ़ाना; और • आम सहमति निर्माण को मजबूत करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पारम्परिक बनाम दूरदर्शी नेतृत्व, वैयक्तिक तथा संगठनात्मक जीवन में काल्पनिक नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व को बनाए रखने के कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से प्रबंधन कार्मिक तथा यूनियन नेता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा व्यवहार विज्ञान के क्षेत्रों से प्रख्यात बाहरी संकाय सदस्य।
तारीख	12–16 जुलाई, 2021, 07–11 फरवरी, 2022
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला, डॉ. रम्य रंजन पटेल balashashi.vvgnli@gov.in, rrpatel.vvgnli@nic.in

कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रबंधकों और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को संगठनात्मक विकास के लिए अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण और कौशल युक्त बनाना है।
उद्देश्य	• संकल्पनाकारी दृष्टिकोण; • वैयक्तिक और व्यावसायिक सफलता में सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव पर विशिष्ट प्रकाश डालना; • नकारात्मक दृष्टिकोण और उसके प्रभाव से निपटने के लिए कौशल विकसित करना; • संगठनात्मक उत्कृष्टता पर सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव को समझना; • कार्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संगठनात्मक विकास, निर्णय लेने तथा स्वयं एवं अन्यों को प्रेरित करने में सकारात्मक दृष्टिकोण की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से प्रबंधन कार्मिक तथा यूनियन नेता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और व्यवहार–विज्ञान के प्रख्यात संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	09–13 अगस्त 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य मानव संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में समझ को बढ़ाना तथा नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए जानकारी एवं कौशल प्रदान कराना है।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों से परिचित कराना है। • प्रभावी नेतृत्व के लिए कौशल एवं तकनीक विकसित करना। • सकारात्मक नीतियों एवं श्रम कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना। • कार्य की दुनियों में लैंगिक मुद्दों की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल, निर्णय लेना, समय प्रबंधन, प्रबंधन कौशल, मुखरता तकनीक, संचार कार्यनीतियां, बेहतर कार्य संबंध, भावनाओं के प्रबंधन की तकनीकें तथा परियोजना प्रबंधन कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	रोल प्ले, प्रयोग एवं अभ्यास सत्र, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधक, पर्यवेक्षक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, प्रख्यात संस्थानों के अतिथि वक्ता।
तारीख	08–12 नवम्बर 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की क्षमता को बढ़ाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रमिक–प्रबंधन संबंधों से संबंधित मुख्य अवसरों एवं चुनौतियों के बारे में औद्योगिक संबंध प्रबंधकों एव ट्रेड यूनियन नेताओं की समझ को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा उसके उत्पादक रोजगार/अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान के साथ अंतर–संबद्धता पर चर्चा करना; • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के समाधान के लिए कानूनी ढांचे पर चर्चा करना; • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण करने के लिए आवश्यक कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	यौन उत्पीड़न रोकने की अवधारणा, यौन उत्पीड़न रोकने से संबंधित मिथक एवं तथ्य, यौन उत्पीड़न के परिणाम एवं प्रभाव, उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशः विधायी पहल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	यौन उत्पीड़न आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का कार्य देखने वाले अधिकारी।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, ट्रेड यूनियनों एवं नियोक्ता संघों के वरिष्ठ स्तरीय पदाधिकारी।
तारीख	27–30 सितम्बर 2021
शुल्क	रु. 16,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 13,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

श्रम कानून, औद्योगिक संबंध और श्रम प्रशासन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों पर एक अभिविन्यास प्रदान करना है। यह विभिन्न श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रशासन मशीनरी पर समझ को बढ़ाता है।
उद्देश्य	• पृष्ठभूमि और संवैधानिक प्रावधानों के साथ विभिन्न श्रम कानूनों का पर्यावलोकन प्रदान करना। • औद्योगिक संबंधों से संबंधित कानूना पर विचार–विमर्श करना। • श्रम कानूनों में लैंगिक आयामों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना। • औद्योगिक संबंधों एवं ट्रेड यूनियनवाद के मुद्दों एवं चुनौतियों पर चर्चा करना। • श्रम कानूनों में हालिया सुधारों और श्रम प्रशासन पर अच्छी प्रथाओं को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंध कानून, औद्योगिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों की भूमिका, महिला कामगारों से संबंधित श्रम कानूनों, प्रभावी श्रम प्रशासन में अच्छी प्रथाओं का पर्यावलोकन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक कार्य, मामला अध्ययन, अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के औद्योगिक संबंध अधिकारी, सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य स्तर के अधिकारी, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों, परिसंघों आदि के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य, अनुभवी श्रम प्रशासन अधिकारी, शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के वरिष्ठ पदाधिकारी।
तारीख	20–24 दिसम्बर 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

उत्तरदायी व्यावसायिक व्यवहार तथा औद्योगिक संबंध

लक्ष्य	औद्योगिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की जाँच करना।
उद्देश्य	• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा से परिचित कराना; • सीएसआर के प्रमुख निर्धारकों की जाँच करना; • वैश्विक स्तर पर विभिन्न सीएसआर/स्थिरता रिपोर्टिंग मानकों एवं दिशा–निर्देशों को समझना; • भारत में सीएसआर प्रकटीकरण पहलों से परिचित कराना। • भारत में काम कर रही कंपनियों की व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का मूल्यांकन करना। • सीएसआर के माध्यम से कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, सीएसआर के प्रमुख निर्धारक, वैश्विक स्तर पर स्थिरता रिपोर्टिंग मानक एवं दिशा–निर्देश, भारत में सीएसआर प्रकटीकरण पहल, कंपनियों की व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का मूल्यांकन, भारत में काम कर रही विभिन्न कंपनियों के मामला अध्ययन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से प्रबंधन कार्मिक तथा यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, ट्रेड यूनियनों एवं नियोक्ता संघों के वरिष्ठ स्तरीय पदाधिकारी।
तारीख	01–04 फरवरी 2022
शुल्क	रु. 16,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 13,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियो को यह जानने के लिए प्रशिक्षित करेगा कि वे नेतृत्व के माध्यम से कैसे अपनी प्रबंधन शैली का समंजन करें तथा लोगों का प्रबंधन कैसे करें। नेतृत्व कौशल अभ्यास में रोल प्ले, प्रयोग एवं अभ्यास सत्र का उपयोग किया जाता है; परस्पर संवादात्मक कार्यकलापों के साथ नेतृत्व मॉडलों का प्रयोग करने से टीम सफलता हासिल होती है तथा प्रबंधक को सम्मान मिलता है।
उद्देश्य	• प्रबंधकीय शैलियों की जाँच करना तथा नेतृत्व शैली के माध्यम से स्व–जागरूकता को बढ़ाना। • बातचीत, संप्रेषण, नेतृत्व, अंतर–वैयक्तिक कौशलों एवं समय प्रबंध के कौशल विकसित करना। • यह सीखना कि प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित की जाएं, कार्यस्थल में अव्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाए तथा दबाव में निर्णय कैसे लिये जाएं। • प्रबंधन के लिए व्यावहारिक तकनीक सीखना और यह समझना कि कैसे भावनाएं आपके कार्य–निष्पादन को प्रभावित करती हैं। • अनुसंधान एवं सूचना के द्वारा अपने विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। • उत्तरजीविता एवं उन्नति के लिए मुखरता तकनीक सीखना और सर्वोत्तम कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल, निर्णय लेना, समय प्रबंधन, प्रबंधन कौशल, मुखरता तकनीक, संप्रेषण कार्यनीतियां, बेहतर कार्य संबंध, भावनाओं को काबू में रखने की तकनीक तथा परियोजना प्रबंधन कौशल
प्रशिक्षण पद्धति	रोल–प्ले, प्रयोग एवं अभ्यास सत्र, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	महिला प्रबंधन कार्मिक तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों से ट्रेड यूनियनों/संघों/परिसंघों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, प्रख्यात संस्थानों के अतिथि संकाय।
तारीख	22–24 सितम्बर 2021
शुल्क	रु. 12,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 10,500 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

आंतरिक जाँचः सिद्धांत एवं अभ्यास

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को आंतरिक जाँच के प्रक्रियात्मक एवं कानूनी पहलुओं से लैस करना है।
उद्देश्य	• उद्योग में अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना। • अनुशासनहीनता को रोकने के अर्थोपाय। • नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के निहितार्थ को समझना। • आंतरिक जाँच की प्रक्रियात्मक उलझनों को सुलझाना। • जाँच के दौरान जाँच अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों/कामगारों के प्रतिनिधियों की भूमिका की अंतर्दृष्टि विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, संवैधानिक कानून की रूपरेखा, जाँच प्रक्रिया, जाँच अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों/बचाव सहायकों की भूमिका, प्रशासनिक दिशा–निर्देश, आंतरिक जाँच के मामलों के कानूनी रुझान, श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों की शक्तियाँ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, आभासी अभ्यास तथा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना आदि।
प्रतिभागिता स्तर	मानव संसाधन अधिकारी, जाँच अधिकारी, पीठासीन अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी तथा आंतरिक जाँच के मामले देखने वाले अन्य अधिकारी एवं ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	श्रम कानूनों के क्षेत्र की अंतर्दृष्टि एवं समझ रखने वाले वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, बाह्य विशेषज्ञ।
तारीख	23–27 अगस्त, 2021; जनवरी 3–7, 2022
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विकसित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों की समझ एवं क्षमताओं को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का पर्यावलोकन प्रदान करना। • व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं मानदंडों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना। • भारत के संदर्भ में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) पर मौजूदा कानूनी उपायों एवं नीतियों को समझ करना। • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को समझना; कार्यस्थल में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शुरु करने हेतु क्षमता निर्माण; अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं सामूहित प्रस्तुतीकरण, अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी स्थापनाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	04–08 अक्तूबर, 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य ट्रेड यूनियन नेताओं के जागरूकता/ज्ञान कौशल के साथ–साथ व्यवहार कौशलों के आधार को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंधों में प्रवृत्तियों और परिवर्तनों से अवगत होना। • उभर रहे आर्थिक–राजनीतिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करना। • श्रम कानूनों और श्रम कानूनों में हाल ही के परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। • नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकरण और औद्योगिक संबंधों के मुद्दे, चयनित श्रम कानूनों और नवीनतम श्रम विधि शास्त्र और नेतृत्व शैलियों का पर्यावलोकन।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, सामूहिक कार्य, समूह चर्चाएं और व्यवहार विज्ञान तकनीक।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों/संगठनों/परिसंघों के प्लांट स्तरीय प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ विख्यात संस्थानों के अतिथि वक्ताओं को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	16–20 अगस्त 2021
शुल्क	रु. 18,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति आवासीय प्रतिभागी रु. 15,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी, प्रति गैर–आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

श्रमिक मुद्दे एवं नए श्रम कानून

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य ट्रेड यूनियन नेताओं के ज्ञान एवं कौशल आधार को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• कार्य की दुनिया एवं उत्कृष्ट श्रम को समझना। • प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम एवं रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों से परिचित कराना। • श्रम कानूनों एवं श्रम कानूनों में हालिया परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम और वैश्वीकरण को समझना, ग्रामीण असंगठित सैक्टर के मुद्दे एवं विस्तार, ट्रेड यूनियनों की संरचना एवं कार्य और उभरती चुनौतियां, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम, श्रम में लैंगिक मुद्दे, नेतृत्व/संप्रेषण कौशल और श्रम कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन, अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और ग्रामीण संगठन।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	06–10 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

लिंग और श्रम कानून

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य लैंगिक और श्रमिक मुद्दों पर प्रतिभागियों की समझ को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को श्रम बाजार में प्रचलित विभिन्न असमानताओं से परिचित कराएगा और उन्हें श्रम बाजार में मौजूद चुनौतियों के बारे में समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगा।
उद्देश्य	• लिंग और कार्य का वैचारिक पर्यावलोकन विकसित करना, • कार्य की दुनिया में प्रचलित विभिन्न असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर करना, • महिला कार्यकर्ताओं पर कोविड–19 के प्रभाव पर चर्चा करना, • कोविड–19 के लिए विभिन्न लिंग संवेदी प्रतिक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करना, • महिला कामगारों के लिए विधायी प्रावधानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना, • महिला कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार के लैंगिक आयाम, श्रम बाजार भेदभाव और असमानता, कोविड–19 और महिला श्रमिक, लैंगिक और श्रम कानून, महिला कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन, अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से यूनियन नेता, शोधकर्ता और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	12–16 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

मजूदरी नीति एवं न्यूनतम मजूदरी

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत में मजूदरी नीति एवं न्यूनतम मजूदरी के मुद्दों को समझने के प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर मजदूरी नीतियां बनाने, निर्धारित करने और उनका कार्यान्वयन करने में सहायता करना है। इस पाठ्यक्रम में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं वैश्विक अच्छी प्रथाओं पर विचार–विमर्श किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को यह अवसर भी देता है कि वे मजूदरी नीतियों के विषयों पर नीति निर्माताओं एवं विद्वानों के साथ गहन वार्ता करें।
उद्देश्य	• भारत में मजूदरी नीति एवं न्यूनतम मजूदरी प्रणाली का पर्यावलोकन प्रदान करना। • साक्ष्य–आधारित न्यूनतम मजूदरी नियतन एवं समायोजन प्रक्रिया को मजूबूत करना। • न्यूनतम मजूदरी प्रणालियों, बाध्यताओं एव चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं अच्छी प्रथाओं को साझा करना। • प्रतिभागियों के मध्य विचारों एवं अनुभवों का आदान–प्रदान प्रोत्साहित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	यह पाठ्यक्रम सुसंगत एवं प्रभावी न्यूनतम मजदूरी नीतियां बनाने, निर्धारित करने और उनका कार्यान्वयन करने हेतु क्षमता निर्माण पर फोकस करेगा। यह नए रुझानों, घटनाक्रमों और अनुभवों के विविध सेटों की जाँच करके मजूदरी नीति के प्रमुख मुद्दों एवं दस्तावेजों का पता लगाएगा। यह प्रशिक्षण विश्व की विभिन्न प्रणालियों के कुछ उदाहरण देने के साथ ही प्रभावी मजूदरी नीति के सिद्धांतों पर फोकस करेगा।
प्रशिक्षण पद्धति	काम करते हुए सीखने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह प्रशिक्षण पद्धति अत्यधिक सहभागितापूर्ण होगी क्योंकि इससे प्रतिभागी अपने ज्ञान, अनुभव एवं अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसमें वीवीजीएनएलआई, अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं द्वारा व्याख्यान और संगत मामला अध्ययनों की व्यावहारिक अंतर्दृष्टि का मिश्रण होगा।
प्रतिभागिता स्तर	मजूदरी नीति एवं न्यूनतम मजूदरी नीति के मामलों को देख रहे राज्य श्रम विभागों, नियोक्ता एवं कामगार संगठनों के ऐसे वरिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय अधिकारी एवं पदाधिकारी, जो सहकर्मी अधिगम एवं नीति निर्माण में सहायता के परिप्रेक्ष्य में योगदान कर सकें।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, इस क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ।
तारीख	19–23 जुलाई, 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

प्रवासन और विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य

लक्ष्य	प्रवासन कार्य की समकालीन दुनिया की परिभाषित विशेषताओं में से एक है और सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सतत विकास, 2030 का एजेंडा, एक 'निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम' को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्य 8 (एसडीजी) में उत्कृष्ट श्रम और प्रवासन के बीच एक मजबूत लिंक बताता है। समावेशी विकास प्रक्रिया में श्रम प्रवास के विशाल संभावित योगदान का पूरी तरह से उपयोग तभी किया जा सकता है, जब एक तरफ श्रम प्रवाह के उभरते रूपों और प्रकृति की, और दूसरी तरफ उन्हें भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों सूक्ष्म और वृहद स्तर पर उनके प्रभाव और निहितार्थ की बारीक समझ हो। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवासियों में उभरते मुद्दों का पता लगाने की दिशा में, विशेष रूप से अनुसंधान और नीतिगत चिंताओं के संदर्भ में शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की क्षमता विकसित करना है।
उद्देश्य	• प्रवासन से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना। • वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रवासन की उभरती प्रवृत्तियों और पैटर्नों की जांच करना। • समसामयिक प्रवासन नीतियों के मुख्य घटकों पर विचार करना। • प्रवासन की विकासात्मक संभावनाओं का विश्लेषण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	प्रवासन की संकल्पना का निर्माण करना, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, प्रवासन की व्याख्या करना, प्रवासन की उभरती प्रवृत्तियां और विशेषताएं, प्रवासन नीतियां, प्रवासन और विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, विचार–विमर्श तथा मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता तथा ऐसे सामाजिक भागीदार जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीयप्रवासन मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और संबंधित सरकारी विभागों से बाहरी संकाय सदस्य।
तारीख	08–11 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस. के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

प्रवासन, कौशल और पुनः एकीकरण : मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य

लक्ष्य	प्रवासन कार्य की समकालीन दुनिया की परिभाषित विशेषताओं में से एक है और सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सतत विकास, 2030 का एजेंडा, एक 'निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम' को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्य 8 (एसडीजी) में उत्कृष्ट श्रम और प्रवासन के बीच एक मजबूत लिंक बताता है। समावेशी विकास प्रक्रिया में श्रम प्रवास के विशाल संभावित योगदान का पूरी तरह से उपयोग तभी किया जा सकता है, जब एक तरफ श्रम प्रवाह के उभरते रूपों और प्रकृति की, और दूसरी तरफ उन्हें भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों सूक्ष्म और वृहद स्तर पर उनके प्रभाव और निहितार्थ की बारीक समझ हो। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवासियों में उभरते मुद्दों का पता लगाने की दिशा में, विशेष रूप से अनुसंधान और नीतिगत चिंताओं के संदर्भ में शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की क्षमता विकसित करना है।
उद्देश्य	• प्रवासन से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना। • वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रवासन की उभरती प्रवृत्तियों और पैटर्नों की जांच करना। • समसामयिक प्रवासन नीतियों के मुख्य घटकों पर विचार करना। • प्रवासन की विकासात्मक संभावनाओं का विश्लेषण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	प्रवासन की संकल्पना का निर्माण करना, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, प्रवासन की व्याख्या करना, प्रवासन की उभरती प्रवृत्तियां और विशेषताएं, प्रवासन नीतियां, प्रवासन और विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, विचार–विमर्श तथा मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता तथा ऐसे सामाजिक भागीदार जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और संबंधित सरकारी विभागों से बाहरी संकाय सदस्य।
तारीख	05–08 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस. के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण

लक्ष्य	प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के सांख्यिकीय और माप के मुद्दों और विशेषताओं को समझने के लिए प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम आईएलओ की सिफारिश 204 के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों और आर्थिक इकाइयों के औपचारिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित अवधारणाओं, सांख्यिकीय और मापन मुद्दों पर ज्ञान प्रदान करना, • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की संरचना और विशेषताओं के बारे में समझ प्रदान करना, • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों और उद्यमों पर कोविड–19 के प्रभाव के बारे में जानना, • औपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन व लागू करने से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयसंदर्भ से सीखी गई अच्छी प्रथाओं और सबकों को साझा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिकता की अवधारणा और अनौपचारिकता एवं इसके मुख्य चालकों को कैसे मापना है, औपचारिकता की ओर संक्रमण के लिए एकीकृत रणनीति और संस्थागत ढांचा, भारत में श्रम सुधार एवं श्रम संहिताओं का अधिनियमन और औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए इसके निहितार्थ, एक औपचारिकता कार्यनीति के रूप में सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास का विस्तार, औपचारिकता को बढ़ावा देने में श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों की भूमिका, औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सीखी गई अच्छी प्रथाओं और सबकों को साझा करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, संरचित समूह अभ्यास और अनुरूपण गेम।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र और राज्य श्रम विभागों के अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा अन्य विषय विशेषज्ञ।
तारीख	13–17 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

कौशल एवं उद्यमिता विकास

लक्ष्य	संपूर्ण विश्व के देशों में अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता के रोजगारों का सृजन करना एक आम चुनौती है। विकासशील देशों में यह चुनौती अधिक उभरकर सामने आई है क्योंकि ऐसे देशों में अनौपचारिक क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सामान्य रूप से लोगों के और विशेष रूप से कर्मकारों के कौशल को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकें और वे उत्कृष्ट रोजगारों में जा सकें।
उद्देश्य	• विकास और रोजगार के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के संबंधों को समझना; • व्यासायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इनके विभिन्न घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; • उन चुनौतियों से निपटने के लिए रोजगार सृजन, समुचित कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास नीतियों की चुनौतियों को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिंकेज, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा विभिन्न घटकों का पर्यावलोकन, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभिशासन एवं प्रबंधन, कौशल विकास में सार्वजनिक–निजी सहयोग की भूमिका, श्रम बाजार सूचना पद्धति और कौशल विकास, अनौपचारिक क्षेत्र तथा उभरते क्षेत्र में कौशल की मांग का पता लगाना तथा कौशल की कमियों का विश्लेषण करना, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण वित्तपोषण तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के श्रम बाजार परिणामों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, विचार–विमर्श तथा मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	त्रिपक्षीय भागीदार, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, सरकारी एवं प्राईवेट प्रशिक्षण प्रदाताओं, शोध संस्थानों, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने में कार्यरत संगठनों/संस्थानों के प्रशिक्षक तथा अनुदेशक।
संकाय	संस्थान के आंतरिक संकाय के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञ।
तारीख	21–25 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

क्रियाशील श्रम बाजार नीतियों का मॉनीटरण एवं मूल्यांकन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रभावी श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों की संकल्पना करने, उन्हें तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने तथा ऐसी नीतियों का मॉनीटरण एवं मूल्यांकन करने में हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अवसर देता है कि वे श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों के प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों के साथ गहन वार्ता करें।
उद्देश्य	• वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रम एवं रोजगार परिदृश्य का पर्यावलोकन प्रदान करना। • श्रम बाजार एवं रोजगार नीति के विभिन्न घटकों को समझना। • श्रम बाजार सर्वेक्षण और श्रम का प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययन शुरु करने की क्षमता विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार चुनौतियों का समाधान करने में रोजगार नीति का महत्व; रोजगार सृजन करने और असमानता एवं बहिष्करण का मुकाबला करने के लिए समावेशी रोजगार नीतियां बनाने में राजकोषीय एवं क्षेत्रीय नीतियों की भूमिका; और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों एवं श्रम बाजार नियमों/संस्थानों की भूमिका को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	श्रम बाजार एवं रोजगार के मुद्दों का कार्य देख रहे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी एवं पदाधिकारी, श्रम बाजार एवं रोजगार अध्ययनों पर विशेषज्ञा प्राप्त कर रहे शोधकर्ता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, इस क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ।
तारीख	18–22 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को लैंगिक बजट की पहलों, जिनमें लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान देने की संभावना है, की ओर उन्मुख करना है।
उद्देश्य	• श्रम में लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करना। • भारत सरकार की जेंडर बजटिंग पहलों की पहचान करना। • जेंडर बजटिंग की अवधारणा, साधन एवं तरीकों पर चर्चा करना। • जेंडर बजटिंग एवं महिला सशक्तिकरण के महत्व पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंगीय संकल्पना, लिंगीय मुद्दे, मामला अध्ययन तथा लैंगिक नैसर्गिक नीतियां, जेंडर बजटिंग।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण पद्धति में प्रस्तुतीकरण, वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिगम कार्यकलापों के साथ–साथ प्रतिभागी माहौल तथा सार विषयक सामूहिक कार्य शामिल होगा।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, गाँव के प्रमुख, नीति–निर्माता और शोधकर्ता/छात्र।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य, क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ।
तारीख	31 मई –जून 04 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

लिंग, गरीबी और रोजगार

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य इस बात पर चर्चा करना है कि महिलाएं और पुरूष किस प्रकार रोजगार के अवसरों, कार्यदशाओं, आदि से संतोषजनक लाभ उठा सकते हैं जिनका सीधा असर कार्यस्थल पर उत्पादकता और उनके परिवार के कल्याण पर पड़ता है।
उद्देश्य	• लिंग, गरीबी और रोजगार के बीच अंतःसंबंधों की जांच करना। • लिंग संवेदी, गरीबी–रोधी तथा रोजगार नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करना। • गरीबी कम करने में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति एजेंडे में लैंगिकता एवं सभ्य कार्य परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग, गरीबी तथा रोजगारः संकल्पना, नीतियां तथा कार्यक्रम, उत्कृष्ट श्रम।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण कार्यक्रम एक लचीला कार्यक्रम है तथा इस पाठ्यक्रम के लिए एक मॉड्यूलर संरचना–सह–प्रतिभागी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, कर्मकारों/नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	12–16 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल विकास कार्यनीतियों से लैस करना है।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करना; • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में कौशल विकास के महत्व को दर्शाना; • कौशल विकास तथा प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक भागीदारों के अनुभवों को साझा करना; • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में कौशल विकास के लिए समुचित कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक क्षेत्रः संकल्पना, अनौपचारिक क्षेत्र में संघटन, अनौपचारिक क्षेत्र में लिंगीय अवधारणा, भारत में कौशल विकास पद्धति, मौजूदा समय में कौशल विकास की महत्ता, कौशल विकास संबंधी मामला अध्ययन, अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल विकास की कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कौशल विकास संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
तारीख	23–27 अगस्त 2021
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य तथा क्षेत्र के विशेषज्ञ।
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को बढ़ते शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का शहरों क्षेत्रों में प्रवासन, जिसके कारण अकुशल महिला कामगारों की श्रम बल प्रतिभागिता में वृद्धि होती है, के बारे में बताना है।
उद्देश्य	• घरेलू कामगारों के नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना; • घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति के बारे में जागरूकता प्रदान करना; • घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना; • घरेलू कामगारों के संचार कौशलों को बढ़ाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशलों, संप्रेशण कौशलों की बुनियादी समझ और घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीतियों के बारे में जागरूकता।
प्रशिक्षण पद्धति	समूह कार्य, व्याख्यान, बिहेवियरल गेम्स आदि।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता तथा घरेलू कामगारों के संगठनकर्ता।
तारीख	13–17 सितम्बर 2021
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य तथा क्षेत्र के विशेषज्ञ।
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य श्रम में लैंगिक मुद्दों की समझ बढ़ाना, जागरूकता तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी प्रवर्तन को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• सामाजिक सुरक्षा की स्पष्ट समझ प्रदान करना। • नवीनतम प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों, अच्छे व्यवहारों संबंधी सूचना प्रदान करना। • प्रभावी प्रवर्तन नीति तैयार करने और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने के लिए जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख पणधारियों की सहायता करने के उद्देश्य से एक व्यापक संसाधन कोष प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण समाज, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवहारवादी कौशल, महिलाओं से संबंधित श्रम कानून: प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, एकसमान मजदूरी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता तथा वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य।
तारीख	25–29 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से ग्रामीण संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• ग्रामीण सोसायटी और श्रम की बदलती भूमिका की समझ विकसित करना। • श्रम की बदलती भूमिका और अनौपचारिक सैक्टर को समझना। • नेतृत्व, संचार एवं टीम निर्माण में वृद्धि करने के लिए कौशल विकसित करना। • असंगठित क्षेत्र के लिए श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण निधियों से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण सोसायटी, नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए व्यवहार कौशल, श्रम कानून; समान पारिश्रमिक, प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण श्रमिक नेता।
संकाय	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य।
तारीख	12–16 अप्रैल 2021, 15–19 नवम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला, डॉ. रम्य रंजन पटेल balashashi.vvgnli@gov.in, rrpatel.vvgnli@nic.in

रोजगार में लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाना

लक्ष्य	श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों की समझ को संबोधित और मजबूत करना। कार्यक्रम प्रतिभागियों को श्रम बाजार में प्रचलित विभिन्न असमानताओं से परिचित कराएगा और उन्हें श्रम बाजार परिदृश्य में मौजूद चुनौतियों के बारे में एक समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगा।
उद्देश्य	• स्थायी विकास के लिए लिंग की मुख्यधारा में लाने को समझना, • कार्य जीवन सामंजस्य और अवैतनिक देखभाल कार्य से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, • समावेशी विकास के लिए रोजगार में महिलाओं को समान स्तर प्रदान करने के लिए सकारात्मक नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, • रोजगार में लैंगिक मुद्दों के ऑडिट के लिए जेंडर बजटिंग को व्यावहारिक रूप से समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार के लैंगिक आयाम, श्रम बाजार भेदभाव और असमानता, नीतिगत पहलों पर विशेष ध्यान देने के साथ लिंग और विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन एवं अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	06–10 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए साम्य और समानता से संबंधित सकारात्मक नीतियां

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर फोकस करते हुए महिला कर्मचारियों से संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता एवं कौशल को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• रोजगार में लैंगिक समानता से संबंधित सरोकारों पर चर्चा करना • रोजगार में लगी महिलाओं पर विशेष जोर देने के साथ श्रम कानूनों में नई दिशाओं और न्यायिक व्याख्याओं के संबंध में समझ विकसित करना। • रोजगार में महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कार्यनीति विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग, रोजगार में लैंगिक समानता को समझना, कार्यस्थल पर महिलाओं के समावेशी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक नीतियां, कार्य जीवन सामंजस्य आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन एवं अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी और शिक्षाविद
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, विषय विशेषज्ञ।
तारीख	17–21 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

लिंग संवेदी माहौल सुगम बनानाः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण (पुलिस अधिकारियों के लिए)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रमुख उद्देश्यों का पालन करने के साथ लिंग संवेदी माहौल की समझ को संबोधित और मजबूत करना है।
उद्देश्य	• समग्र दृष्टिकोण के साथ लिंग संवेदनशीलता के मुद्दे को संबोधित करना, • प्रतिभागियों की क्षमता बढ़ाना ताकि वे सकारात्मक वातावरण की सुविधा प्रदान कर सकें, • यौन उत्पीड़न मामलों से निपटने के दौरान संस्कृति–संक्रमित परामर्श विकसित करने के लिए प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना, • कार्य की दुनिया में सकारात्मक नेतृत्व को मजबूत करना, • टीम वर्क के माध्यम से तनाव के प्रबंधन के लिए युक्ति विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग संवेदनशीलता, सकारात्मक वातावरण, संस्कृति–संक्रमित परामर्श, सकारात्मक नेतृत्व आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन एवं अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), स्टेशन ऑफिसर (एसओ), पुलिस स्टेशन इंचार्ज, सब–इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब–इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मचारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	20–24 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

लिंग, श्रम कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते दृष्टिकोण

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्य की दुनिया में मौजूद असमानताओं तथा श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों को सुग्राही बनाना है। यह कार्यक्रम कार्यस्थल में समानता को सुनिश्चित करने तथा कामगारों के अधिकार– आधारित सामाजिक न्याय के मॉडल के संवर्धन हेतु मौजूदा कानूनी दस्तावेजों एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को सक्षम भी बनाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदत्त कार्य एवं अप्रदत्त देखभाल कार्य विभाजन तथा देखभाल को एक अधिकार, जिसे श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार एवं निर्वाह को सुकर बनाने के लिए नीतिगत ढांचे में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, के तौर पर मान्यता प्रदान करने के वृहत्तर प्रश्नों का समाधान करना भी है।
उद्देश्य	• लिंग तथा श्रम बाजार का पर्यावलोकन प्रदान करना। • श्रम बाजार तक पहुंच, मजदूरी, कार्यदशाओं, रोजगार सुरक्षा आदि के संबंध में लैंगिक असामनताओं एवं भेदभावपूर्ण व्यवहारों का विश्लेषण करना। • लैंगिक भेद्यताओं तथा प्रदत्त कार्य एवं अप्रदत्त देखभाल कार्य विभाजन, प्रदत्त कार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाने में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों, जिनके कारण उन्हें अनियत रोजगार में जाना पड़ता है, को समझना क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कानूनी एवं नीतिगत प्रतिवचनों के दायरे से बाहर होते हैं। • प्रतिभागियों को मौजूदा कानूनी दस्तावेजों तथा कार्यस्थल में लैंगिक समानता के संवर्धन हेतु उपलब्ध राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सुग्राही बनाना। • लैंगिक समानता पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों/अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों तथा अच्छी प्रथाओं को समझना। • रोजगार कानूनों एवं नीतियों के ढांचे में उचित/सभ्य कार्य करने और देखभाल करने के अधिकारों को बढ़ावा देने की कार्यनीति के बारे मे चर्चा करना। इससे अवसरों की समानता एवं श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार एवं निर्वाह के वृहत्तर प्रश्नों का समाधान होगा।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग और श्रम कानून, श्रम बाजार में लैंगिक असमानता, कार्यस्थल में समानता को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय कानून एवं नीतियाँ, लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज/ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से यूनियन नेता, शोधकर्ता तथा सिविल सोसायटियों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	27 सितम्बर–01 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

श्रम एवं वैश्वीकरण पर अभिविन्यास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य युवा छात्रों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना तथा अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी क्षमताओं का विकास करना है।
उद्देश्य	• कार्य की दुनिया एवं सभ्य रोजगार को समझना। • प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना। • श्रम और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना। • अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम और श्रम बाजार को समझना, मुद्दों का पर्यावलोकन, कौशल विकास, नियोजनीयता (युवा नियोजनीयता), उत्पादकता, समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, प्रवासन, श्रम प्रशासन, बाल श्रम, लैंगिक मुद्दे, श्रम अनुसंधान से परिचय, नेतृत्व/संप्रेषण कौशल आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, समूह अभ्यास एवं प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	परास्नातक उपाधि का परिशीलन करने वाले सामाजिक विज्ञान (अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, समाज कार्य, प्रबंधन) के विश्वविद्यालयी छात्र।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, बाहरी संसाधन व्यक्ति, समाज विज्ञानी।
तारीख	19–23 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

युवाओं की नियोजनीयता कौशलों की क्षमता को बढ़ाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रभावी श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों की संकल्पना, डिजाइनिंग एवं प्रचालन और इनसे संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को शुरु करने में संबंधित हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अवसर देता है कि वे श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वानों एवं व्यावसायिकों के साथ गहन वार्ता करें।
उद्देश्य	• नियोजन–योग्य कौशलों का विकास करना। • व्यक्तित्व, नेतृत्व तथा संचार कौशलों को बढ़ाना। • कार्य की दुनिया को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यक्तित्व तथा संचार कौशलों सहित नियोजनीयता कौशलों का पर्यावलोकन; वैयक्तिक विकास तथा संचार प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका; वैश्वीकृत श्रम बाजार परिदृश्य में युवाओं की सक्षमता।
प्रशिक्षण पद्धति	संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान, विचार–मंथन सत्र, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र एवं अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों से विद्यार्थी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, शैक्षणिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	03–07 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार की जानकारी

लक्ष्य	कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य श्रम बाजार की जानकारी और सार्वजनिक योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• सरकार की श्रम बाजार की नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन पर सरकारी अधिकारियों /अन्य पेशेवर एजेंसियों को संवेदनशील बनाना। • अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भों में श्रम बाजार की जानकारी से संबंधित अवधारणाओं और परिभाषाओं के बारे में समझ को बढ़ाना। • बुनियादी श्रम बाजार संकेतकों की गणना से परिचित कराने के साथ ही लिए प्रतिभागियों को श्रम बाजार के परिणामों और नीतिगत प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए भी प्रशिक्षित करना • राष्ट्रीय, सेक्टोरल और व्यावसायिक स्तरों पर मजदूरी निर्धारण पर विशेष जोर देने के साथ श्रम बाजार में रुझानों का विश्लेषण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों की पहचान और व्याख्या, श्रम बाजार की प्रकृति और विशेषताएं, रोजगार में उभरते रुझान, देश विशिष्ट श्रम बाजार की नीतियां और कार्यक्रम, श्रम बाजार विश्लेषण के उत्पादन में लिंग को मुख्यधारा में लाना, श्रम और रोजगार से संबंधित डेटा का विश्लेषण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता सगठनों तथा श्रम बाजार पर काम कर रहे सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, श्रम बाजार अध्ययनों में विशेषज्ञता वाले शोधकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, शैक्षणिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	07–11 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

असंगठित श्रमिकों के लिए माथाडी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य असंगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए उनके कौशल और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के साथ–साथ असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में समझना।
उद्देश्य	• समकालीन श्रमिक मुद्दों, विभिन्न श्रम कानूनों और संबंधित हाल के संशोधनों, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में प्रतिभागियों को परिचित कराना। • माथाडी मॉडल (महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल वर्कर्स–रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर–एक्ट, 1969 और इसका कार्यान्वयन, माथाडी हमाल और अन्य मैनुअल वर्कर्स बोर्ड) के बारे में एक विस्तृत समझ प्रदान करना और इसकी व्यावहारिकता। माथाडी मॉडल के अलावा सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली अन्य अनोखी प्रथाओं पर चर्चा करना। • प्रभावी संप्रेषण, टीम–निर्माण और नेतृत्व कौशलों के साथ प्रतिभागियों को परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार का पर्यावलोकन; संगठित और असंगठित श्रमिकों और क्षेत्रों की अवधारणाएं और परिभाशाएं; असंगठित श्रमिकों की विशेषताएं; भारत में श्रम कानूनों एवं हालिया बदलावों का पर्यावलोकन; गैर–अनियतिकरण की अवधारणा; अद्वितीय विशेषताओं के साथ देश में माथाडी मॉडल और इसी तरह के अन्य मॉडल; माथाडी मॉडल के प्रावधान, विशेषताएं एवं महत्व; माथाडी मॉडल पर आईएलओ का दृष्टिकोण; दूसरे श्रम आयोग के निष्कर्ष; सिर पर लादने वाले (हेड–लोड) श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार के उपाय; प्रभावी नेतृत्व विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सहभागी समूह कार्य, पोस्टर प्रस्तुतीकरण, परस्पर संवादात्मक सत्र/चर्चा, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	असंगठित श्रमिकों के काम करने वाले संगठन।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	24–28 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

हेड लोड वर्कर्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य असंगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए उनके कौशल और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के साथ–साथ असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में समझना।
उद्देश्य	• समकालीन श्रमिक मुद्दों, विभिन्न श्रम कानूनों और संबंधित हाल के संशोधनों, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में प्रतिभागियों को परिचित कराना। • माथाडी मॉडल के अलावा सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली अन्य अनोखी प्रथाओं पर चर्चा करना। • प्रभावी संप्रेषण, टीम–निर्माण और नेतृत्व कौशलों के साथ प्रतिभागियों को परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार का पर्यावलोकन; संगठित और असंगठित श्रमिकों और क्षेत्रों की अवधारणाएं और परिभाषाएं; असंगठित श्रमिकों की विशेषताएं; भारत में श्रम कानूनों एवं हालिया बदलावों का पर्यावलोकन; गैर–अनियतिकरण की अवधारणा; अद्वितीय विशेषताओं के साथ देश में माथाडी मॉडल और इसी तरह के अन्य मॉडल; माथाडी मॉडल के प्रावधान, विशेषताएं एवं महत्व; माथाडी मॉडल पर आईएलओ का दृष्टिकोण; दूसरे श्रम आयोग के निष्कर्ष; सिर पर लादने वाले (हेड–लोड) श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार के उपाय; प्रभावी नेतृत्व विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सहभागी समूह कार्य, पोस्टर प्रस्तुतीकरण, परस्पर संवादात्मक सत्र/चर्चा, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	असंगठित श्रमिकों के काम करने वाले संगठन।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ।
तारीख	07–11 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को रोजगार की बदलती प्रकृति, इन बदलावों से उत्पन्न असमानताओं और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। यह प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मौजूदा कानूनी उपायों के साथ–साथ सामाजिक न्याय के मॉडल के आधार पर श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में सक्षम बनाएगा।
उद्देश्य	• रोजगार की बदलती प्रकृति, रोजगार के संबंध में श्रम बाजार में मौजूदा असमानताओं तथा सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता का पर्यावलोकन प्रदान करना। • सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीयश्रम मानकों/उपायों के साथ–साथ अच्छी प्रथाओं के लिए प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना। • सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा राष्ट्रीय नीतियों और कानूनी उपायों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना। • एसडीजी के दिशानिर्देशों को पूरा करने वाले उत्कृष्ट श्रम और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मौजूदा श्रम बाजार में असमानताएं, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक/उपाय, मौजूदा राष्ट्रीय नीतियों और सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण पर कानूनों से संबंधित चुनौतियां, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चा और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	राज्यों के सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य, क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ।
तारीख	10–14 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक भागीदारों को संवेदनशील बनाना है कि जीवन चक्र में अत्यधिक गरीबी, भेद्यता और सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण में समान पहुंच को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक संरक्षण नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों के लिए लैंगिक समानता दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का लक्ष्य अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों की चुनौतियों के बीच संबंधों की समझ को भी बढ़ाना है।
उद्देश्य	• उन मुद्दों, जिनके कारण महिला एवं पुरुष लैंगिक भेदभाव के कारण गरीबी का अनुभव अलग–अलग करते हैं, की वैचारिक समझ विकसित। • श्रम बाजार की असमानताओं और महिला श्रमिकों पर इसके प्रभाव का समाधान करना। • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलते श्रम बाजार और रोजगार संबंधों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इसके प्रभाव को समझना। • प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विभिन्न सामाजिक भागीदारों की भूमिका के बारे में समझ विकसित करने में सक्षम बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग, उत्कृष्ट श्रम और महिला कामगारों के सामाजिक संरक्षण की वैचारिक समझ, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी प्रावधानों पर अनौपचारिकता के प्रभाव को समझना ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चा, अनुभव साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षिक संस्थानों और ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	19–23 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

भवन एवं निर्माण सैक्टर के हितधारकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य भवन एवं निर्माण सैक्टर के विभिन्न हितधारकों को सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• विभिन्न हितधारकों को भवन एवं निर्माण सैक्टर में भवन एवं निर्माण कार्य में विभिन्न जोखिमों, खतरों एवं असुरक्षिताओं से परिचित कराना; • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त का विनयमन) अधिनियम, 1996 की व्यापक स्कीमों की विशेषताओं का पर्यावलोकन प्रदान करना; • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996; • विभिन्न हितलाभों को पाने की औपचारिकताओं के संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्त का विनयमन) अधिनियम, 1996 के लाभार्थियों के प्रतिनिधियों की समझ विकसित करने में उनकी सहायता करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भवन एवं निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न जोखिमों, खतरों एवं असुरक्षिताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ भवन एवं निर्माण उद्योग का पर्यावलोकन; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्त का विनयमन) अधिनियम, 1996 का पर्यावलोकन; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का पर्यावलोकन तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एवं हरियाणा (एनसीआर) राज्यों में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का पर्यावलोकन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह अभ्यास, पैनल चर्चा तथा क्षेत्र दौरे।
प्रतिभागिता स्तर	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एवं दिल्ली (एनसीआर) राज्यों से भवन एवं निर्माण कार्य से संबद्ध विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि।
संकाय	केंद्र एवं राज्य श्रम विभागों के श्रम अधिकारी, वीवीजीएनएलआई संकाय, भवन एवं निर्माण कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञता प्राप्त संसाधन व्यक्ति।
तारीख	26–30 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

रोजगार अवसरों का सृजनः अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना

लक्ष्य	रोजगार, खासकर अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार की चुनौती अभी भी विकट बनी हुई है। रोजगार, श्रम की माँग एवं आपूर्ति, दोनों पर निर्भर करता है। दोनों के मध्य का संतुलन बिंदु मजूदरी दर एवं रोजगार के आकार को तय करता है। संतोषजनक विकास दर हासिल करने के बावजूद रोजगार अवसरों का सृजन संतोषजनक नहीं है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह पता लगाना है कि रोजगार सृजन की कमी समस्या क्यों है तथा इसका समाधान कैसे किया जाए?
उद्देश्य	• भारत में रोजगार की स्थिति को समझना। • रोजगार सृजन की कमी के कारणों की पहचान करना। • रोजगार अवसरों के सृजन में पारंपरिक सैक्टरों की समस्याओं का पता लगाना। • रोजगार सृजन के संभावित एवं प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में रोजगार की स्थिति, अपर्याप्त रोजगार सृजन की समस्या, रोजगार सृजन की समस्या पारंपरिक सैक्टरों में है, अधिक रोजगार सृजन के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन एवं समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	रोजगार के माामलों को देखने वाले सरकारी अधिकारी, रोजगार पर विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले शोधकर्ता, रोजगार सृजन से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाले ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा इस प्रशिक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07–11 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना : स्वच्छता कामगार

लक्ष्य	सफाई कर्मचारी यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• भारत में सफाई कर्मचारियों की स्थिति के बारे में ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • प्रतिभागियों के मध्य अंतर–वैयक्तिक सम्प्रेषण, नेतृत्व कौशल एवं टीम निर्माण में वृद्धि करना। • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सफाई कर्मचारियों की स्थिति का पर्यावलोकन, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संचार कौशल, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित सफाई कर्मचारियों के कार्यकर्ता एवं ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	02–06 अगस्त 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vgnli@nic.in

नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना : ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेता

लक्ष्य	कृषि कामगार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• ग्रामीण श्रम बाजार के बारे में सामान्य रूप से और कामगारों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • अंतर–वैयक्तिक सम्प्रेशण में वृद्धि करना, नेतृत्व कौशल एवं टीम निर्माण। • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण श्रम बाजार का पर्यावलोकन, कृषि कामगारों की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संचार कौशल, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	ग्रामीण क्षेत्र से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	13–17 सितम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

मत्स्य कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	मत्स्य कामगार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• मत्स्य उद्योग के बारे में सामान्य रूप से और कामगारों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • अंतर–वैयक्तिक संप्रेषण में वृद्धि करना। • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना। • कल्याणकारी निधियों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मत्स्य उद्योग का पर्यावलोकन, मत्स्य कामगारों की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संचार कौशल, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	मत्स्य उद्योग से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	11–15 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

कमजोर और सीमांत श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कमजोर और सीमांत श्रमिकों की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• ग्रामीण श्रम बाजार के बारे में सामान्य रूप से और कामगारों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • अंतर–वैयक्तिक सम्प्रेषण में वृद्धि करना, नेतृत्व कौशल एवं टीम निर्माण। • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण श्रम बाजार का पर्यावलोकन, कृषि कामगारों की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संचार कौशल, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	ग्रामीण क्षेत्र से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	22–26 नवम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर

लक्ष्य	प्रतिभागियों को कौशल से लैस करना और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाना।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषता पर चर्चा करना • भारत में रोजगार की स्थिति को समझना • अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए क्षेत्र की पहचान करना • अनौपचारिक क्षेत्र के लिए रोजगार नीतियों को समझना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक क्षेत्र – अवधारणा और संरचना, भारत में रोजगार की स्थिति, अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए कौशल विकास रणनीति, अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए रोजगार नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	कौशल विकास और रोजगार के मुद्दों को देखने वाले सरकारी अधिकारी, ग्रामीण संगठनकर्ता, अनौपचारिक क्षेत्र से केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	24–28 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार विश्लेषण

लक्ष्य	यह कार्यक्रम श्रम बाजार पर अनुसंधान एवं नीतियों का परिशीलन करने वाले शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों को श्रम बाजार विश्लेषण को समझने हेतु सूक्ष्म और अन्योन्यक्रिया अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम श्रम बाजार विश्लेषण के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वानों से गहन विचार–विमर्श करने के अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• श्रम बाजार से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों की जांच करना; • श्रम बाजार के प्रमुख संकेतकों की गहरी समझ प्राप्त करना; • श्रम आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना; • श्रम बाजार सर्वेक्षण को समझने के कौशलों को तीक्ष्ण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार सिद्धांत; श्रम बाजार के प्रमुख संकेतक; श्रम आंकड़ों के स्रोत; श्रम बाजार की उभरती प्रकृति एवं विशेषताएं; तथा श्रम बाजार सर्वेक्षण आयोजित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं तथा मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ता तथा सरकारी संगठनों के व्यावसायिक जो श्रम बाजार अनुसंधान और नीति में अपनी रूचि का परिशीलन कर रहे हैं/करने का आशय रखते हैं।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	25–29 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस. के. शशिकुमार sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

श्रम पर ऐतिहासिक अनुसंधान में पद्धतियों पर पाठ्यक्रम

लक्ष्य	यह पाठ्यक्रम अध्येताओं एवं व्यावसायिकों को श्रम एवं श्रम संबंधों पर ऐतिहासिक अनुसंधान में तकनीकों एवं पद्धतियों से परिचित कराएगा। यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को कार्यजगत में समकालीन परिवर्तनों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने में समर्थ बनाएगा तथा उन्हें श्रम इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोणों से भी परिचित कराएगा। यह उन्हें श्रम इतिहास पर व्यवस्थित अनुसंधान करने के लिए भी तैयार करेगा।
उद्देश्य	• लंबे समय तक बदलते कार्य की दुनिया का खाका तैयार करना; • श्रम बाजार संस्थानों के उद्गम एवं विकास को समझना; • अभिलेखीय/सरकारी/सांस्थानिक स्रोतों जैसी विधियों पर चर्चा करना, मौखिक इतिहास का दस्तावेजीकरण, तथा मामला अध्ययन।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुसंधान, श्रम इतिहास के स्रोत, मौखिक इतिहास तकनीकें, इतिहास विद्या, मामला अध्ययन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, समूह कार्य।
प्रतिभागिता स्तर	अनुसंधानकर्ता, अध्येता, विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों के युवा शिक्षक और श्रम और श्रम संबंधों के इतिहास पर अनुसंधान करने के इच्छुक व्यावसायिक।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और प्रमुख विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	15–19 नवम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एस. के. शशिकुमार Sasikumarsk2.vvgnli@gov.in

श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियों पर पाठ्यक्रम

लक्ष्य	प्रतिभागियों को अन्तरविधात्मक ढांचे के अनुसंधान हेतु उभरते श्रम मामलों से अवगत कराना है; श्रम अनुसंधानों में प्रयुक्त विभिन्न विधियों पर उनकी जानकारी को सुदृढ़ बनाना, जिससे उन्हें श्रम अनुसंधान के क्षेत्र में और सहयोग देने में सक्षम बनाया जा सके।
उद्देश्य	• श्रम अध्ययनों में संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को समझना; • उभरते श्रम मुद्दों और चुनौतियों को समझना; • श्रम अनुसंधान की विभिन्न विधियों तथा श्रम आंकड़ों के स्रोतों की जानकारी को बढ़ाना; • इन विधियों का प्रयोग अनुसंधान कार्य में श्रम के विभिन्न पहलुओं पर करने में उन्हें सक्षम बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अंतरविधात्मक परिप्रेक्ष्य से श्रम की संकल्पना एवं सिद्धान्त, उभरते श्रम मामले, श्रम बाजार और श्रम बाजार सूचना सिस्टम, अनुसंधान की विधियां: मात्रात्मक, गुणात्मक और मानव जाति विज्ञान संबंधी, श्रम में अनुसंधान हेतु डाटा स्रोत, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, रिपोर्टें तैयार करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र, समूह कार्य तथा प्रस्तुतीकरण।
प्रतिभागिता स्तर	अनुसंधान अध्येता, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों के युवा अध्यापक और श्रम अनुसंधान के क्षेत्र में लगे व्यावसायिक।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षणिक संस्थाओं, नीति–निर्माता निकायों, अनुसंधान संस्थानों से बाह्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	17–28 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का लक्ष्य श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान से संबंधित विभिन्न विधियों एवं दृष्टिकोणों को सीखने में युवा अनुसंधानकर्ताओं की क्षमता का विकास करना है। यह उन्हें शैक्षिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए संवाद एवं विचार–विमर्श में शामिल होने के भी अवसर प्रदान करेगा। यह पाठ्यक्रम श्रम में लैंगिक मुद्दों पर गुणात्मक के साथ–साथ मात्रात्मक अनुसंधानों के कुछ पहलुओं की समझ विकसित करने में सहायता करेगा। यह लैंगिक परिप्रेक्ष्य में श्रम संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान के लिए उभरते क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा तथा अनुसंधान गतिविधियों में उनके ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का सिद्धांत बनाने एवं उसमें लगे रहने में उन्हें समर्थ बनाएगा।
उद्देश्य	• विभिन्न विषयों में लैंगिक एवं श्रम अनुसंधान पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य; • लैंगिक अनुसंधान में नारी जाति संबंधी विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों को समझना; • सामाजिक विज्ञान में लैंगिक एवं श्रम अनुसंधान में उभरते मुद्दों की पहचान करना; • श्रम अनुसंधान में लैंगिक मुद्दों पर विभिन्न गुणात्मक तथा मात्रात्मक तकनीकों को लागू करना; • प्रतिभागियों को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में नवीनतम सांख्यिकी पैकेजों से अवगत करवाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियां, लैंगिक अध्ययनों में उभरते मुद्दों पर अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सांख्यिकी पैकेजों का प्रयोग।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं तथा परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों से युवा शिक्षक और अनुसंधानकर्ता तथा सरकारी संगठनों के व्यावसायिक।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ तथा संसाधन व्यक्ति।
तारीख	07–18 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

लिंग, गरीबी तथा अनौपचारिक अर्थव्यवथा में अनुसंधान पद्धतियां

लक्ष्य	इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य अनौपचारिकता, सत्ता के लैंगिक संबंधों तथा गरीबी के बीच के जटिल संबंधों का संरचनात्मक विश्लेषण प्रदान करना है। यह अनुसंधानकर्ताओं को लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर गुणात्ममक एवं मात्रात्मक विधियों की सवंर्धित समझ भी प्रदान करेगा। यह पाठ्यक्रम गरीबी, महिला सशक्तिकरण एवं लिंग की संकल्पना करने एवं मापने में चल रहे मुद्दों पर चर्चा एवं वाद–विवाद करने के अवसर भी प्रदान करेगा।
उद्देश्य	• लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न अध्ययनों में प्रयुक्त अनुसंधान पद्धतियों, खासकर विश्लेषणात्मक एवं कार्यप्रणाली ढांचों की तुलना एवं इनके विरोधाभासों की पर्याप्त समझ विकसित करना; • लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान संबंधी विभिन्न अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को समझना; • गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों के पर्यावलोकन को सीखना; • अनुसंधान में कमियों की पहचान करना तथा भावी काम के लिए निर्देशों का प्रस्ताव करना।।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान की पद्धतियां, डाटा का विश्लेषण और व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों से युवा शिक्षक और शोधकर्ता तथा विभिन्न संगठनों के व्यावसायिक।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य तथा अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से बाह्य संकाय।
तारीख	18–22 अक्टूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियों पर पाठ्यक्रम

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का लक्ष्य गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में युवा अनुसंधान अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम, श्रम अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए, विभिन्न गुणात्मक विधियों और साधनों को समझने हेतु सूक्ष्म और अन्योन्यक्रिया अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• श्रम से संबंधित अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को समझना; • प्रतिभागियों को गुणात्मक अनुसंधान के सिद्धांतों से परिचित कराना; • प्रतिभागियों को विभिन्न गुणात्मक पद्धतियों एवं तकनीकों की समझ एवं अनुप्रयोज्यता से लैस करना; • गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक अनुसंधान तकनीकें, गुणात्मक डाटा का विश्लेषण और व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक एवं समूह प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं के युवा शिक्षक और अनुसंधानकर्ता तथा सरकारी संगठनों के व्यावसायिक जो श्रम नीति और अनुसंधान में अपनी रुचि का परिशीलन करने का आशय रखते हैं।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और अग्रणी विश्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	13–24 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

बाल श्रम एवं
बंधुआ श्रम कार्यक्रम

बचाए गए/मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को बाल श्रमिकों एवं बंधुआ श्रमिकों की प्रभावी एवं समय पर पहचान करने, रोकथाम, उनका बचाव एवं पुनर्वास करने के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करना है।
उद्देश्य	• बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के प्रति भेद्यता के विभिन्न आयामों पर समझ बढ़ाना • बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के प्रति भेद्यता को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर ज्ञान प्रदान करना • पुनर्वास प्रक्रिया में प्रमुख कमियों की पहचान करना और एनसीएलपी योजना एवं बंधुआ मजदूर पुनर्वास (2016) पर केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू करने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में समाधान पर चर्चा करना • सफल पुनर्वास के प्रमुख घटकों के रूप में शिक्षा और आजीविका के महत्व के बारे में चर्चा करना और देष भर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सीएएलपीआर अधिनियम, एनसीएलपी योजना, गवाह संरक्षण योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, ग्रामीण विकास योजनाएं (पीएमएवाई, पीडीएस, पीएमएजीवाई आदि), मनरेगा, कौशल प्रशिक्षण, गैर सरकारी संगठन सर्वोत्तम प्रथाएं, मजदूरी की वसूली (मजदूरी की वापसी), सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, मॉडल और अभिसरण
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक शिक्षण क्विज शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	एनसीएलपी, एसएसए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पीआरआई, एसएलएसए और डीएलएसए के पैरा लीगल वालंटियर्स और पैनल वकील, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग और डब्ल्यूसीडी के अधिकारी, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता (**प्रमुख स्रोत राज्यों – ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए**)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, फील्ड स्तर की कार्रवाई में शामिल सरकार और विभिन्न संगठनों के विषय विशेषज्ञ एवं संसाधन व्यक्ति।
तारीख	28–30 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

बाल श्रमिकों एवं बंधुआ श्रमिकों की पहचान, बचाव व पुनर्वास तथा अपराधियों के अभियोजन पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पहचान, रिहाई और तत्काल पुनर्वास (गंभीर संकट काल) के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करना है।
उद्देश्य	• बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों (सर्वेक्षण, पूछताछ आदि) की पहचान के लिए ज्ञान और कौशल को मजबूत करना • बंधुआ मजदूरी के नए रूपों और इससे निपटने के तरीकों को समझना • बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों की पहचान एवं बचाव और अपराधी के अभियोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर ज्ञान प्रदान करना • मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंध को समझना • किसी बाल श्रमिक/बंधुआ श्रमिक को बचाए जाने के बाद गंभीर संकट काल के दौरान उसके प्रभावी और समय पर पुनर्वास के महत्व पर चर्चा करना • पहचान से तात्कालिक पुनर्वास के लिए वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों (पुलिस, श्रम विभाग, सतर्कता समितियों, जिला मजिस्ट्रेटों) की भूमिका के बारे में जानना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सीएएलपीआर अधिनियम, एनसीएलपी योजना, सीएसएस बंधुआ श्रमिक योजना, सर्वेक्षण प्रारूप), आईपीसी 370, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम (1979), मानक संचालन प्रक्रिया (एमओएलई), वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका (पुलिस, श्रम विभाग, सतर्कता समितियां, जिला मजिस्ट्रेट)।
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और सवाल एवं जवाब के माध्यम से परस्पर संवादात्मक शिक्षण शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	श्रम विभाग (केंद्र और राज्य) के प्रतिनिधि, सतर्कता समिति के सदस्य, पुलिस (मानव तस्करी–रोधी इकाइयों सहित), राजस्व अधिकारी, एनसीएलपी, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एनजीओ, सीडब्ल्यूसी, जिला टास्क फोर्स, सामाजिक कार्यकर्ता (उत्तर भारत के उन राज्यों – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, से जहां बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की अत्यधिक घटनाएं होती हैं)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय और अन्य संगठनों एवं संस्थानों से विषय विशेषज्ञ।
तारीख	16–18 फरवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

बाल श्रमिकों एवं बंधुआ श्रमिकों की पहचान, बचाव व पुनर्वास तथा अपराधियों के अभियोजन पर अभिविन्यास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों की प्रभावी पहचान, रिहाई और तत्काल पुनर्वास के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करना है।
उद्देश्य	• बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए ज्ञान और कौषल को मजबूत करना • बंधुआ मजदूरी के नए रूपों और इससे निपटने के तरीकों को समझना • बाल श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों की पहचान एवं बचाव और अपराधी के अभियोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर ज्ञान प्रदान करना • मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंध को समझना • किसी बाल श्रमिक/बंधुआ श्रमिक को बचाए जाने के बाद गंभीर संकट काल के दौरान प्रभावी और समय पर पुनर्वास के महत्व पर चर्चा करना • पहचान से तात्कालिक पुनर्वास के लिए वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों (पुलिस, श्रम विभाग, सतर्कता समितियों, जिला मजिस्ट्रेटों) की भूमिका के बारे में जानना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सीएएलपीआर अधिनियम, एनसीएलपी योजना, सीएसएस बंधुआ श्रमिक योजना, सर्वेक्षण प्रारूप), आईपीसी 370, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम (1979), मानक संचालन प्रक्रिया (एमओएलई), वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक शिक्षण शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	श्रम विभाग (केंद्र और राज्य) के प्रतिनिधि, सतर्कता समिति के सदस्य, पुलिस (मानव तस्करी विरोधी इकाइयों सहित), राजस्व अधिकारी, एनसीएलपी, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एनजीओ, सीडब्ल्यूसी, जिला टास्क फोर्स, सामाजिक कार्यकर्ता (दक्षिण भारत के उन राज्यों – तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहां बाल बंधुआ मजदूरी सहित बंधुआ मजदूरी की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, के लिए)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	28–30 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के समापन के लिए संवेदीकरण प्रशिक्षण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य बंधुआ मजदूरी का समाधान करने के लिए एक साथ सहयोग में काम करने पर प्रतिभागियों (श्रम अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस) की समझ और ज्ञान को मजबूत करना है।
उद्देश्य	• बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वैधानिक निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक समझ विकसित करना। • प्रतिभागियों को इन मुद्दों को हल करने के लिए अधिदेशित मुख्य सांविधिक निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों से लैस करना • बंधुआ श्रम, मानव तस्करी और व्यथित प्रवासन के बीच की कड़ी को समझना • बंधुआ श्रम प्रणाली में अपराध, शोषण, और मजदूरी के उल्लंघन के प्रतिच्छेदन आयामों को समझना • हॉट–स्पॉट मैपिंग, और पारगमन बिंदु पहचान के तरीकों पर चर्चा करना • अपराध के पहले उत्तरदाताओं के रूप में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करना • बचाव, पुनर्वास, प्रत्यावर्तन और अभियोजन के विभिन्न चरणों में समस्या से निपटने में पुलिस, श्रम विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका और इनके बीच उचित समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनों और कानूनी प्रावधानों का पर्यावलोकन, बंधुआ मजदूरी, व्यथित प्रवासन और मानव तस्करी के बीच संबंध पर चर्चा करने के लिए मामला अध्ययन, श्रम विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन सहित प्रमुख विभागों की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक व्याख्यान शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	श्रम विभाग के अधिकारी, पुलिस और एएचटीयू के अधिकारी, राजस्व अधिकारी, डीएम व एसडीएम आदि सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्य और एनजीओ (उत्तर भारत के उन राज्यों – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, जहां बाल बंधुआ मजदूरी सहित बंधुआ मजदूरी की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, के लिए)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं प्रैक्टीशनर्स।
तारीख	25–27 अगस्त 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

व्यथित प्रवासन, तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के लिए श्रमिकों की स्रोत स्थिति भेद्यता को संबोधित करने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य व्यथित प्रवासन और उन कारणों एवं कारकों, जिनकी वजह से बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी और मानव तस्करी होती है, पर प्रतिभागियों की समझ और ज्ञान को मजबूत करना है।
उद्देश्य	• बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम (1979), आईपीसी 370, मजदूरी संहिता (2020) और अन्य प्रासंगिक कानून और नीतियों के बारे में अधिक समझ विकसित करना • व्यथित प्रवासन के कारण की गहन समझ विकसित करना • प्रतिभागियों को इन मुद्दों को हल करने के लिए अधिदेशित मुख्य सांविधिक निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों के ज्ञान से लैस करना • व्यथित प्रवासन, बंधुआ श्रम, मानव तस्करी और संकट प्रवास के बीच की कड़ी को समझना • व्यथित प्रवासन, जिससे बंधुआ मजदूरी होती है, की चुनौतियों एवं इसके संभावित समाधान पर चर्चा करना • उन प्रवासियों, जो बंधन और बाल श्रम के लिए भेद्य हैं, की पहचान करने के तरीकों पर चर्चा करना • हॉट–स्पॉट मैपिंग, और पारगमन बिंदु पहचान के तरीकों पर चर्चा करना • अंतर–राज्यीय आयामों को देखते हुए पीड़ित के अनुकूल प्रत्यावर्तन और पुनर्वास विधियों पर चर्चा करना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनों और कानूनी प्रावधानों का पर्यावलोकन, बंधुआ मजदूरी, व्यथित प्रवासन और मानव तस्करी के बीच संबंध पर चर्चा करने के लिए मामला अध्ययन, श्रम विभाग, पुलिस, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) सहित प्रमुख विभागों और अन्य की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक प्रशिक्षण शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	श्रम विभाग, डीएनओ के अधिकारी, डीटीएफ के सदस्य, पुलिस अधिकारी (एएचटीयू सहित), एसएलएसए और डीएलएसए, डब्ल्यूसीडी, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, ग्रामीण आजीविका मिशन, सतर्कता समिति के सदस्य, एनजीओ, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, विशेषज्ञ कार्यान्वयनकर्ता एवं अन्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	01–03 सितम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

बचाए गए बाल श्रमिकों/बंधुआ श्रमिकों/तस्करी वाले श्रमिकों को विधिक सेवा और उनका प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने पर अभिविन्यास कार्यक्रम

लक्ष्य	यह कार्यक्रम समाज के कमजोर, गरीब और हाशिए पर खड़े वर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन और ज्ञान निर्माण करने का प्रयास करता है, जिसमें योजनाओं का लागू करने और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सहायता षामिल है।
उद्देश्य	• असंगठित श्रमिकों की प्रकृति और स्थिति पर चर्चा करना • पुनर्वास के महत्व, भेद्यता में कमी और यह मजबूत अभियोजन में कैसे योगदान कर सकता है, को समझना • असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को एनएएलएसए कानूनी सेवाएं, स्कीम 2015, एनसीएलपी योजना और बंधुआ मजदूर पुनर्वास पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) पर प्रतिभागियों के ज्ञान को मजबूत करना • देश के विभिन्न राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करना और उन्हें साझा करना • श्रम शोषण से बचाए एग व्यक्तियों के प्रभावी और समय पर पुनर्वास के महत्व पर चर्चा करना • पुनर्वास प्रक्रिया में प्रमुख कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए एसएलएसए की भूमिका पर चर्चा करना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को एनएएलएसए कानूनी सेवाएं, स्कीम 2015, एनसीएलपी योजना और बंधुआ मजदूर पुनर्वास पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) और गवाह संरक्षण योजना
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक प्रशिक्षण शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	जिला विधिक सहायता अधिकारी और पैरा लीगल वालंटियर्स
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, प्रैक्टीशनर्स, कानून विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन प्रशिक्षक।
तारीख	06–08 अक्तूबर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में बंधुआ मजदूरी के कारण, गुंजाइश, व्यापकता और प्रथा; विभिन्न कारकों की वजह से होने वाले व्यथित प्रवासन से बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी कैसे होती है, की समझ और ज्ञान को मजबूत करना है और प्रतिभागियों को बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई के कानूनों और प्रक्रियाओं के ज्ञान से लैस करना है।
उद्देश्य	• बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वैधानिक निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक समझ विकसित करना। • बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव तस्करी और व्यथित प्रवासन के बीच की कड़ी को समझना। • हॉट–स्पॉट मैपिंग, और पारगमन बिंदु पहचान के तरीकों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनों और कानूनी प्रावधानों का पर्यावलोकन, बंधुआ मजदूरी, व्यथित प्रवासन और मानव तस्करी के बीच संबंध पर चर्चा करने के लिए मामला अध्ययन, श्रम विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन सहित प्रमुख विभागों की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाएं, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, समूह चर्चाएं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, अनुवर्ती फील्ड गतिविधियाँ और परस्पर संवादात्मक प्रशिक्षण शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	एसएलएसए और डीएलएसए के पैरा लीगल वालंटियर्स
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, प्रैक्टीशनर्स, कानून विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन प्रशिक्षक।
तारीख	23–25 मार्च 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

श्रम के भेद्य रूपों और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को बंधुआ मजदूरी एवं बाल श्रम पर ज्ञान और बाल श्रमिकों, बंधुआ श्रमिकों और तस्करी किए गए श्रमिकों के मामलों में अपराधियों के प्रभावी अभियोजन के लिए कौशल से लैस करना है।
उद्देश्य	• श्रम के कमजोर और सबसे खराब रूपों और इनके उन्मूलन के तरीकों पर समझ बढ़ाना • बाल श्रम के सातत्य और निरंतरता के मिथकों पर चर्चा करना • एसओपी और नीतियों एवं विधायी ढांचे पर विस्तार से विचार–विमर्श करना • मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंधों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना • बंधुआ मजदूरी के समाधान के संबंध में संक्षिप्त परिचय
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मानक संचालन प्रक्रिया और प्रोटोकॉल; बाल और किशोर श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका; बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; आईपीसी 370; भारतीय दंड संहिता; 1860 (आईपीसी); संवैधानिक धारा 19 (1) (घ), 19 (1) (ङ), 21, 23, 24 और अन्य; चार्ज–शीट और ट्रायल के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज
प्रशिक्षण पद्धति	सत्रों में परस्पर संवादात्मक चर्चाओं, श्रव्य/दृश्य प्रस्तुतीकरण, प्रशिक्षण उपरांत अनुवर्ती फील्ड गतिविधियों सहित सरलीकृत परिभाषाओं का प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे। प्रशिक्षण सहायता सामग्री में परिभाषा सूत्र कार्ड, त्वरित संदर्भ वीडियो, संगत अपराध तालिका/चार्ट शामिल होंगे।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, कानून विशेषज्ञ, फील्ड प्रैक्टीशनर्स, एवं अन्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	24–26 नवम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. हेलन आर. सेकर helenrsekar.vvgnli@gov.in

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम

श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को हालिया श्रम सुधारों और श्रम संहिताओं के संदर्भ से लैस करना है।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा संहिता की समझ प्राप्त करना; • औद्योगिक संबंध संहिता की समझ प्राप्त करना ; • व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता से संबंधित कानून की समझ प्राप्त करना; • श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में श्रम नीति, श्रम विधानों एवं श्रम सुधारों का पर्यावलोकन; श्रम सुधारों एवं श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं; मजूदरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता की विशेषताएं; श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	21–25 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

नई श्रम संहिताओं और नियमों को समझना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को हालिया श्रम सुधारों और श्रम संहिताओं के संदर्भ से लैस करना है।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा संहिता की समझ प्राप्त करना; • औद्योगिक संबंध संहिता की समझ प्राप्त करना ; • व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता से संबंधित कानून की समझ प्राप्त करना; • श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में श्रम नीति, श्रम विधानों एवं श्रम सुधारों का पर्यावलोकन; श्रम सुधारों एवं श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं; मजूदरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता की विशेषताएं; श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	09–13 अगस्त 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

श्रम संहिताएं: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को हालिया श्रम सुधारों और श्रम संहिताओं के संदर्भ से लैस करना है।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा संहिता की समझ प्राप्त करना; • औद्योगिक संबंध संहिता की समझ प्राप्त करना ; • व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता से संबंधित कानून की समझ प्राप्त करना; • श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में श्रम नीति, श्रम विधानों एवं श्रम सुधारों का पर्यावलोकन; श्रम सुधारों एवं श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं; मजूदरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता की विशेषताएं; श्रम संहिताओं और कामगारों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभाव को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	08–12 नवम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

श्रम में लैंगिक मुद्दे: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण

लक्ष्य	श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों की ओर ध्यान देना और उनके अवबोधन को मजबूत करना।
उद्देश्य	• लैंगिक पक्षपात के मुद्दे का समाधान संपूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य में करना; • प्रतिभागियों की क्षमता बढ़ाना ताकि वे लिंग आधारित अन्याय से निपट सकें; • प्रतिभागियों का अभिविन्यास श्रम कानूनों की ओर करना; • प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न के बारे में सुग्राही बनाना; • श्रम की दुनिया में लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम बाजार में भेदभाव, लिंग विश्लेषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: मामला अध्ययन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: मामला अध्ययन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: निवारक उपाय और शिकायत तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीक और रोल प्ले।
प्रतिभागिता स्तर	**पूर्वोत्तर राज्यों** से ट्रेड यूनियनों से ट्रेड यूनियन नेता और गैर सरकारी संगठन।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	05–09 अप्रैल 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल और तकनीकें विकसित करना; • प्रभावी नेतृत्व के कौशल विकसित करना; • प्रतिभागियों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से अवगत कराना; • श्रम कानूनों, विकास कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल की बुनियादी समझ और इसका स्वयं पर और दूसरे लोगों पर प्रभाव, संप्रेषण कौशल, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वैश्वीकरण और इसका श्रम पर प्रभाव।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीक और रोल प्ले।
प्रतिभागिता स्तर	**पूर्वोत्तर राज्यों** से ट्रेड यूनियनों से ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा ट्रेड यूनियनों और पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	26–30 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. शशि बाला balashashi.vvgnli@gov.in

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को कार्य की दुनिया में प्रचलित असमानताओं और श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में बताना है। यह लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण की सहलग्नता के बारे में प्रतिभागियों की समझ विकसति करने में उन्हें समर्थ बनाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग आधारित वंचन को रोकने के उद्देश्य से कारगर सामाजिक संरक्षण तंत्र तैयार करके महिला सशक्तिकरण के बड़े सवालों का समाधान करना तथा अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के द्वारा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना भी है।
उद्देश्य	• लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण के बारे में संकल्पनात्मक समझ विकसित करना; • रोजगार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रावधान आदि तक पुरुषों एवं महिलाओं की पहुंच में अंतर संबंधी विकासात्मक मुद्दों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना तथा नीति एवं योजना में लैंगिक आयामों को समझने एवं विश्लेषित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना; • लैंगिक जीवन चक्र जोखिमों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में महिलाओं की असुरक्षा की प्रकृति को समझना; • सामाजिक संरक्षण पर नीति तैयार करते समय महिलाओं के अवैतनिक कार्य, देखभाल कार्य तथा अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के मुद्दों का समाधान करना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों/योजनाओं एवं अच्छी प्रथाओं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देते हैं, को समझना। • सामाजिक सुरक्षा पर महिला श्रमिकों के लिए विधायी प्रावधानों पर चर्चा करना। • अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के द्वारा लैंगिक समानता तथा महिलाओं का एजेंसी निर्माण सुनिश्चित करने में सामाजिक संरक्षण की भूमिका के बारे में समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को समर्थ बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा संहिता और महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान, सामाजिक संरक्षण पर अधिकार–आधारित कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से यूनियन नेता तथा सिविल सोसायटी प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07–11 जून 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य नियोजनीयता बढ़ाने एवं उत्कृष्ट रोजगार सुलभ कराने के लिए आम तौर पर कामगारों और विशेष तौर पर महिला कामगारों के कौशलों को बढ़ाने पर जोर देना है।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं विशेषताओं तथा कौशल की भूमिका पर चर्चा करना; • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में कौशल विकास के महत्व को स्थापित करना; • कौशल विकास एवं प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक भागीदारों के अनुभवों को साझा करना; • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के व्यवसायों में कौशल विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों पर चर्चा करना;
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक सैक्टरः संकल्पना, अनौपचारिक सैक्टर संरचना, वर्तमान युग में कौशल विकास का महत्व, भारत में कौशल विकास प्रणाली, कौशल अंतर, नीति अनुक्रिया एवं कौशल विकास पहलें, कौशल विकास पर मामला अध्ययन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियनों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	03–07 मई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों को समझना (एनआईसीएस के साथ वीवीजीएनएलआई में)

लक्ष्य	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारियों तथा उन सरकारी अधिकारियों, जो रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, को श्रम बाजार प्रवृत्तियों, रोजगार अवसरों तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कैरिअर सेवा परियोजना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना।
उद्देश्य	• अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण तेजी से बदलती श्रम बाजार गतिकी के संबंध में नियोजन अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करना। • विभिन्न स्तरों पर श्रम बाजार प्रवृत्तियों की प्रकृति को समझना। • विभिन्न अनुसंधान प्रक्रियाओं की जानकारी देना जिसके आधार पर श्रम बाजार विश्लेषण किया जा सके। • श्रम बाजार/श्रम बाजार संबंधी क्षेत्रों में एनसीएस की भूमिका को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम/रोजगार बाजार से संबंधित आईएलओ अभिसमय/सिफारिशें, एनसीओ, एनआईसी, सर्वेक्षण और अनुसंधान प्रक्रिया, रोजगार कार्यालय, सीएनवी अधिनियम/नियम, श्रम/रोजगार बाजार सूचना डेटा का संग्रहण, संकलन, व्याख्या; श्रम/रोजगार बाजार सूचना रिपोर्टें तैयार करना; नियोजकों के रजिस्टर का अद्यतन, एनसीएस पोर्टल का प्रबंधन, रोजगार बाजार/श्रम बाजार विश्लेषणों का अध्ययन करके नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एनसीएस की भूमिका, रोजगार बाजार/श्रम बाजार विश्लेषणों का अध्ययन करके नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एमसीसी की भूमिका, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष फोकस के साथ विभिन्न मंत्रालयों की रोजगार स्कीमें।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा कक्ष प्रशिक्षण, कंप्यूटर लैब प्रशिक्षण, क्षेत्र दौरा।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारी तथा रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	12–16 जुलाई 2021, 13–17 दिसम्बर 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए विकास योजनाओं के माध्यम से सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा की समझ विकसित करना।
उद्देश्य	• आजीविका जोखिम तथा ग्रामीण निर्धनों की असुरक्षा को समझना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों, जो स्वरोजगार के लिए संपत्तियों को अंतरित करते हैं और कौशल प्रदान करते हैं तथा सार्वजनिक कार्यक्रम जो लोगों को गरीबी से निपटने में सहायता करते हैं, को समझना; • गरीबी को कम करने के लिए वैकल्पिक नियंत्रण कार्यनीतियों/अच्छे व्यवहारों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी–रोधी कार्यक्रमों का पर्यावलोकन, सामुदायिक प्रयोगों को साझा करना, गरीबी कम करने की वैकल्पिक नियंत्रण कार्यनीतियों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	10–14 जनवरी 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण

लक्ष्य	श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों का समाधान करना एवं इनकी समझ विकसित करना तथा संबंधित कानूनों की समझ को बढ़ाना।
उद्देश्य	• महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर लक्षित कानूनी प्रणाली से परिचित कराना; • महिलाओं, कार्य एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के साथ ही श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करना; • विभिन्न विकासात्मक स्कीमों अथवा संस्थागत तंत्र पर जानकारी प्रदान करना, महिलाओं की प्रगति, जो केंद्र एवं राज्य स्तर पर मौजूद है, का सवंर्धन करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम बाजार भेदभाव; लैंगिक विश्लेषण, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़नः मामला अध्ययन, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़नः निवारक उपाय एवं शिकायत तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीकें तथा रोल प्ले।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की महिला कामगार (प्रतिभागियों को अंग्रेजी एवं हिंदी, दोनों का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07–11 मार्च 2022
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम.बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा की समझ विकसित करना।
उद्देश्य	• आजीविका जोखिम तथा ग्रामीण निर्धनों की असुरक्षा को समझना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों, जो स्वरोजगार के लिए संपत्तियों को अंतरित करते हैं और कौशल प्रदान करते हैं तथा सार्वजनिक कार्यक्रम जो लोगों को गरीबी से निपटने में सहायता करते हैं, को समझना; • गरीबी को कम करने के लिए वैकल्पिक नियंत्रण कार्यनीतियों/अच्छे व्यवहारों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी–रोधी कार्यक्रम का पर्यावलोकन, सामुदायिक प्रयोगों को साझा करना, गरीबी कम करने की वैकल्पिक नियंत्रण कार्यनीतियों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण में संसाधनों व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान, विचार–मंथन सत्र, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र और मामला अध्ययनों को साझा करना शामिल है।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों से गैर सरकारी संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि। हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	19–23 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व (एमआईएलएस, मुंबई)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को श्रम विधान और हाल के श्रम विधिशास्त्र के संदर्भ की जानकारी प्रदान करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा विधानों की समझ प्राप्त करना; • मजदूरी कानून के बारे में पूरी जानकारी विकसित करना; • संविदा श्रम से संबंधित कानून की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक संबंध कानून, जिनमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं, की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक सुरक्षा कानूनों, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम शामिल हैं, के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं और मजदूरी से संबंधित कानून की मुख्य विशेषताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	महाराष्ट्र राज्य से ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि।
संकाय	श्रम प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों से अनुभवी व प्रख्यात व्यक्ति।
तारीख	18–20 अगस्त 2021
स्थान	एमआईएलएस, मुंबई
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को श्रम विधान और हाल के श्रम विधिशास्त्र के संदर्भ की जानकारी प्रदान करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा विधानों की समझ प्राप्त करना; • मजदूरी कानून के बारे में पूरी जानकारी विकसित करना; • संविदा श्रम से संबंधित कानून की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक संबंध कानून, जिनमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं, की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक सुरक्षा कानूनों, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम शामिल हैं, के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं और मजदूरी से संबंधित कानून की मुख्य विशेषताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	गुजरात राज्य से ट्रेड यूनियनों और एनजीओ के प्रतिनिधि।
संकाय	श्रम प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों से अनुभवी व प्रख्यात व्यक्ति।
तारीख	08–10 नवम्बर 2021
स्थान	एमजीएलआई, गुजरात
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. संजय उपाध्याय sanjay.vvgnli@gov.in

नई श्रम संहिताओं को समझना (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में श्रम सुधारों की प्रक्रिया पर प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना है। यह प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं की समझ प्राप्त करने के लिए उन्मुख करेगा।
उद्देश्य	• भारत में श्रम कानून के समग्र ढांचे और श्रम कानून सुधारों के संदर्भ में चर्चा करना, • श्रम कानून बनाने के लिए संवैधानिक ढांचे का अवलोकन प्रदान करना, • भारत में चार श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना, • श्रम बाजार पर इन संहिताओं के निहितार्थ को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम कानून का ढांचा; संवैधानिक प्रावधान; मजदूरी संहिता, औद्योगिक संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम शोधकर्ता, सरकार के मध्य स्तर के कार्यपालक, केंद्र और राज्य श्रम विभागों के अधिकारी, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07–09 जुलाई 2021
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	01–04 फरवरी 2022
स्थान	एसएलआई, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	06–09 जुलाई 2021
स्थान	एसएलआई, पश्चिम बंगाल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एमजीएलआई, गुजरात)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	03–06 अगस्त 2021
स्थान	एमजीएलआई, गुजरात
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एमआईएलएस, महाराष्ट्र)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	06–09 सितम्बर 2021
स्थान	एमआईएलएस, महाराष्ट्र
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (केआईएलई, केरल)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	11–14 अक्तूबर 2021
स्थान	केआईएलई, केरल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (केएलआई, कर्नाटक)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे मजदूरी संहिता में बदलाव और श्रमिकों एवं व्यवसायों पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।
उद्देश्य	• मजदूरी संहिता, 2019 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों की मौजूदा चार मजदूरी विनियमों के प्रावधानों से तुलना करते हुए पर्यावलोकन प्रदान करना; • मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन और प्रमुख सुधार उपाय प्रदान करना; • मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम में सुधार उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मापना; • श्रमिकों और व्यवसायों पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के संभावित निहितार्थ साझा करना; तथा • प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	इस संहिता और इसमें किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों का पर्यावलोकन, अंतर्राष्ट्रीयमानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मजदूरी संहिता और मजदूरी नियम, श्रमिकों और उद्योग पर मजदूरी संहिता और मजदूरी नियमों के निहितार्थ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं एवं मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	राज्य श्रम विभागों और सीएलएस (सी) के अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	15–18 नवम्बर 2021
स्थान	केएलआई, कर्नाटक
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. अनूप के. सतपथी anoopsatpathy.vvgnli@gov.in

लिंग, श्रम कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यजगत में प्रचलित असमानताओं तथा श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना है। यह कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करने एवं सामाजिक न्याय के मॉडल के आधार पर कामगारों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनी उपायों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को समर्थ बनाएगा। इसका उद्देश्य श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार एवं जीविका को सुकर बनाने के लिए सवेतन कार्य एवं अवैतनिक/देखभाल कार्य के संयोजन तथा एक अधिकार के रूप में देखभाल को मान्यता, जिसे नीतिगत ढांचे में समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता है, देने के बड़े प्रश्नों का समाधान करना भी है।
उद्देश्य	• लिंग एवं श्रम बाजार का पर्यावलोकन प्रदान करना; • श्रम बाजार तक पहुंच, मजदूरियों, कार्यदशाओं, रोजगार सुरक्षा आदि के संबंध में लैंगिक असमानताओं तथा भेदभावपूर्ण व्यवहारों का विश्लेषण करना; • लैंगिक असुरक्षितताओं तथा सवेतन कार्य एवं अवैतनिक/देखभाल कार्य का संयोजन, सवेतन काम एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाने में आने वाली चुनौतियों, जिनके कारण महिलाएं रोजगार के अनिश्चित रूपों में चली जाती हैं और ये रूप उपलब्ध कानूनी एवं नीतिगत प्रतिक्रियाओं की परिधि से बाहर होते हैं, को समझना; • प्रतिभागियों को मौजूदा कानूनी उपायों तथा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय नीतियों के बारे में जागरूक करना; • लैंगिक समानता पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों/अंतर्राष्ट्रीय उपायों एवं अच्छी प्रथाओं को समझना; • प्रतिभागियों को रोजगार कानून एवं नीतियों के ढांचे, जो अवसरों की समानता तथा श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार एवं जीविका के बड़े प्रश्नों का समाधान करेगा, के अंदर अच्छे/उत्कृष्ट श्रम एवं देखभाल के अधिकार को बढ़ावा देने की कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंग और श्रम कानून, श्रम बाजार में लैंगिक असमानताएं, कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय विधान एवं नीतियां, लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज/अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथा अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से यूनियन नेता तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	21–23 दिसम्बर 2021
स्थान	एसएलआई, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

लैंगिक और श्रमिक मुद्दे (जीआईडीआर, गुजरात)

लक्ष्य	कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग और श्रम मुद्दों पर प्रतिभागियों की समझ को मजबूत करना है। कार्यक्रम प्रतिभागियों को श्रम बाजार में प्रचलित विभिन्न असमानताओं से परिचित कराएगा और उन्हें श्रम बाजार परिदृश्य में मौजूद चुनौतियों के बारे में एक समझ विकसित करने में सक्षम करेगा।
उद्देश्य	• लिंग और कार्य का वैचारिक पर्यावलोकन विकसित करना, • कार्य की दुनिया में प्रचलित असमानताओं पर चर्चा करना, • कार्य की दुनिया में प्रचलित विभिन्न भेदभावपूर्ण प्रथाओं के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना, • कार्य से संबंधित लैंगिक और विकासात्मक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शिक्षा स्वास्थ्य, हिंसा, विकासात्मक नीतियां और कार्यक्रम, विधायी उपाय आदि, • महिला कार्यकर्ताओं पर कोविड–19 के प्रभाव और लिंग संवेदनशील प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, • महिला श्रमिकों के लिए विधायी प्रावधानों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना, • महिला श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा नीतियों/योजनाओं के बारे में चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार के लैंगिक आयाम, श्रम बाजार भेदभाव और असमानता, कोविड–19 और महिला श्रमिक, लिंग और श्रम कानून, महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनुभव साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से यूनियन नेता/संगठनकर्ता, श्रम विभागों के अधिकारी, शोधकर्ता तथा सिविल सोसायटी प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	08–10 मार्च 2022
स्थान	एसएलआई, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. एलीना सामंतराय ellinasroy.vvgnli@gov.in

श्रम एवं वैश्वीकरण (गोवा विश्वविद्यालय)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य युवा छात्रों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना तथा अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी क्षमताओं का विकास करना है।
उद्देश्य	• कार्य की दुनिया एवं सभ्य रोजगार को समझना। • प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना। • श्रम और रोजगार से संबंधित महत्वूपर्ण मामलों पर चर्चा करना। • अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम और श्रम बाजार को समझना, मुद्दों का पर्यावलोकन, कौशल विकास, नियोजनीयता (युवा नियोजनीयता), उत्पादकता, समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, प्रवासन, श्रम प्रशासन, बाल श्रम, लैंगिक मुद्दे, श्रम अनुसंधान से परिचय, नेतृत्व/संप्रेशण कौशल, श्रम अनुसंधान आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथ अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	समाज शास्त्र में एम. ए. का परिशीलन कर रहे छात्र।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	25–29 अक्तूबर 2021
स्थान	गोवा विश्वविद्यालय
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

श्रम एवं वैश्वीकरण (तेजपुर विश्वविद्यालय)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य युवा छात्रों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना तथा अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी क्षमताओं का विकास करना है।
उद्देश्य	• कार्य की दुनिया एवं सभ्य रोजगार को समझना। • प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना। • श्रम और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना। • अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम और श्रम बाजार को समझना, मुद्दों का पर्यावलोकन, कौशल विकास, नियोजनीयता (युवा नियोजनीयता), उत्पादकता, समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, प्रवासन, श्रम प्रशासन, बाल श्रम, लैंगिक मुद्दे, श्रम अनुसंधान से परिचय, नेतृत्व/संप्रेषण कौशल, श्रम अनुसंधान आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथ अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	समाज शास्त्र में एम. ए. का परिशीलन कर रहे छात्र।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	24–28 मई 2021
स्थान	तेजपुर विश्वविद्यालय
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

पूर्वोत्तर में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा (आईजीएनटीयू, इंफाल)

लक्ष्य	सामाजिक भागीदारों की क्षमता को बढ़ाना तथा उन्हें पूर्वोत्तर में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के संवर्धन एवं समग्र प्रबंधन की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
उद्देश्य	• आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों, चुनौतियों पर चर्चा करना। • प्रतिभागियों को मुद्दों का समाधान करने में उनकी भूमिका के बारे में बताना। • नए अवसरों एवं नवाचारी पद्धतियों के बारे में चर्चा करना। • उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन एवं समग्र प्रबंधन की दिशा में कारगर तरीके से योगदान करने में सक्षम बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पूर्वोत्तर में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों और उभरते मुद्दों का पर्यावलोकन, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा के निवारक कारक, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, आपदा का सामना करना, रोजगार एवं बेहतर आजीविका अवसरों के लिए स्थानीय स्थितियों के साथ कौशल विकास पहलों के एकीकरण में नवाचार (स्थानीय संसाधन प्रबंधन, उद्यमिता विकास), सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथ अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, एनजीओ एवं अनुसंधान अध्येता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	21–25 फरवरी 2022
स्थान	आईजीएनटीयू, इंफाल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

श्रम एवं वैश्वीकरण (एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य युवा छात्रों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना तथा अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी क्षमताओं का विकास करना है।
उद्देश्य	• कार्य की दुनिया एवं सभ्य रोजगार को समझना। • प्रतिभागियों को विभिन्न श्रम मुद्दों से परिचित कराना। • श्रम और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना। • अकादमिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम और श्रम बाजार को समझना, मुद्दों का पर्यावलोकन, कौशल विकास, नियोजनीयता (युवा नियोजनीयता), उत्पादकता, समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, प्रवासन, श्रम प्रशासन, बाल श्रम, लैंगिक मुद्दे, श्रम अनुसंधान से परिचय, नेतृत्व/संप्रेषण कौशल, श्रम अनुसंधान आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथ अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	समाज शास्त्र में एम. ए. का परिशीलन कर रहे छात्र।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	02–06 अगस्त, 2021
स्थान	एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

श्रम बाजार विश्लेषण एवं राष्ट्रीय कैरिअर सेवा परियोजना (एनआईसीएस, नौएडा)

लक्ष्य	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारियों तथा उन सरकारी अधिकारियों, जो पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, को श्रम बाजार प्रवृत्तियों, रोजगार अवसरों तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कैरिअर सेवा परियोजना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना।
उद्देश्य	• अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण तेजी से बदलती श्रम बाजार गतिकी के संबंध में नियोजन अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करना। • विभिन्न स्तरों पर श्रम बाजार प्रवृत्तियों की प्रकृति को समझना। • विभिन्न अनुसंधान प्रक्रियाओं की जानकारी देना जिसके आधार पर श्रम बाजार विश्लेषण किया जा सके। • श्रम बाजार/श्रम बाजार संबंधी क्षेत्रों में एनसीएस की भूमिका को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम/रोजगार बाजार से संबंधित आईएलओ अभिसमय/सिफारिशें, एनसीओ, एनआईसी, सर्वेक्षण और अनुसंधान प्रक्रिया, रोजगार कार्यालय, सीएनवी अधिनियम/नियम, श्रम/रोजगार बाजार सूचना डेटा का संग्रहण, संकलन, व्याख्या; श्रम/रोजगार बाजार सूचना रिपोर्टें तैयार करना; नियोजकों के रजिस्टर का अद्यतन, एनसीएस पोर्टल का प्रबंधन, रोजगार बाजार/श्रम बाजार विश्लेषणों का अध्ययन करके नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एनसीएस की भूमिका, रोजगार बाजार/श्रम बाजार विश्लेषणों का अध्ययन करके नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एमसीसी की भूमिका, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष फोकस के साथ विभिन्न मंत्रालयों की रोजगार स्कीमें।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन तथ अनुभवों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारी तथा वे सरकारी अधिकारी, जो रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	20–24 सितम्बर 2021, 21–25 मार्च 2022
स्थान	एनआईसीएस, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम otojit.vvgnli@gov.in

लिंग, गरीबी तथा अनौपचारिक अर्थव्यवथा में अनुसंधान पद्धतियां (अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय)

लक्ष्य	इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य अनौपचारिकता, सत्ता के लैंगिक संबंधों तथा गरीबी के बीच के जटिल संबंधों का संरचनात्मक विश्लेषण प्रदान करना है। यह अनुसंधानकर्ताओं को लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों की सवंर्धित समझ भी प्रदान करेगा। यह पाठ्यक्रम गरीबी, महिला सशक्तिकरण एवं लिंग की संकल्पना करने एवं मापने में चल रहे मुद्दों पर चर्चा एवं वाद–विवाद करने के अवसर भी प्रदान करेगा।
उद्देश्य	• लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न अध्ययनों में प्रयुक्त अनुसंधान पद्धतियों, खासकर विश्लेषणात्मक एवं कार्यप्रणाली ढांचों की तुलना एवं इनके विरोधाभासों की पर्याप्त समझ विकसित करना; • लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान संबंधी विभिन्न अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को समझना; • गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों के पर्यावलोकन को सीखना; • अनुसंधान में कमियों की पहचान करना तथा भावी काम के लिए निर्देशों का प्रस्ताव करना।।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान की पद्धतियां, डाटा का विश्लेषण और व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों से युवा शिक्षक और शोधकर्ता तथा विभिन्न संगठनों के व्यावसायिक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	05–07 अप्रैल 2021
स्थान	अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

केरल के सबक, रोजगार चुनौतियों और रणनीतियों पर कार्यशाला (केआईएलई, केरल)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रभावी श्रम बाजार और रोजगार नीतियों के डिजाइन और संचालन में संबंधित हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना और इस तरह केरल में रोजगार चुनौतियों से संबंधित विभिन्न नीतिगत पहल करना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अवसर देता है कि वे श्रम बाजार एवं रोजगार के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों के साथ गहन वार्ता करें।
उद्देश्य	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार परिदृश्य में उभरते रुझानों का पर्यावलोकन प्रदान करना। • भारत में श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में जानकारी ज्ञान प्राप्त करना। • रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिलता को समझना। • रोजगार सृजन के लिए श्रम बाजार सर्वेक्षण और रणनीति बनाने की क्षमता निर्माण।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार की प्रकृति और विशेषताएं, रोजगार में उभरती हुई प्रवृत्ति, श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम और रोजगार के विभिन्न स्रोत और सर्वेक्षण, रोजगार सृजन में अच्छी प्रथाएं, रोजगार सृजन में मैक्रो और सेक्टोरल नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं, मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी एवं प्रमुख पदाधिकारी, श्रम बाजार पर काम करने वाले ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं तथा सिवलि सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, श्रम बाजार अध्ययनों पर विशेषज्ञता हासिल करने वाले शोधकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	22–23 दिसम्बर 2021
स्थान	केआईएलई, केरल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

भारत में रोजगार की चुनौतियां एवं कार्यनीतियां पर कार्यशाला: कोविड–19 के बाद का परिदृश्य (केरल विश्वविद्यालय)

लक्ष्य	किसी देश में श्रम बाजार की स्थिति को समझना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चालक है क्योंकि यह विशेष रूप से संकट की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले झटकों और समस्याओं को समझने में मदद करता है। पूरी दुनिया में इस महामारी में जीवन और आजीविका बदल रहे हैं और निश्चित रूप से महामारी के बाद की स्थिति में भी दिखाई देंगे। नव–उदारवादी नीतियां पूरी तरह से विश्व स्तर पर विफल रहीं और इससे अंततः बेरोजगारी, छंटनी और वेतन में कटौती हुई। इसके अलावा, महामारी व स्वास्थ्य खतरों के प्रति त्वरित अनुक्रिया और अर्थव्यवस्था पर अस्तित्व की अनुक्रियाओं की संभावनाओं और उपायों के आधार पर प्रत्येक देश की स्थिरता वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस आर्थिक और स्वास्थ्य संकट में, व्यापक आर्थिक, राजकोषीय, क्षेत्रीय, श्रम और रोजगार नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार और पुनर्गठन समय की आवश्यकता है। पुनरुद्धार की रणनीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय श्रम और रोजगार नीति उपायों, विशेष रूप से पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् कौशल विकास, श्रम विनियमन, सार्वजनिक रोजगार सेवा, सामाजिक सुरक्षा में श्रम और रोजगार के उपाय, में हाल के घटनाक्रमों को जानना भी महत्वपूर्ण है। कोविड की स्थिति में श्रम बाजार पर कई अन्य बहसें सामने आई हैं जैसे कि घर से काम, रोजगार बीमा, कर्मचारियों का पुनः कौशल और कौशल उन्नयन आदि। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य प्रभावी श्रम बाजार और रोजगार के डिजाइन और परिचालन में संबंधित हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाना और इस प्रकार विभिन्न नीतिगत पहल करना है।
उद्देश्य	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार परिदृश्य में उभरते रुझानों का कोविड–19 के बाद के परिदृश्य का पर्यावलोकन प्रदान करना। • भारत में श्रम बाजार की कोविड–19 के बाद की गतिशीलता के बारे में जानकारी ज्ञान प्राप्त करना। • रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिलता को समझना। • रोजगार सृजन के लिए श्रम बाजार सर्वेक्षण और रणनीति बनाने की क्षमता निर्माण।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार की प्रकृति और विशेषताएं, रोजगार में उभरती हुई प्रवृत्ति, श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम और रोजगार के विभिन्न स्रोत और सर्वेक्षण, रोजगार सृजन में अच्छी प्रथाएं, रोजगार सृजन में मैक्रो और सेक्टोरल नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर संवादात्मक सत्र, चर्चाएं, मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी एवं प्रमुख पदाधिकारी, श्रम बाजार पर काम करने वाले ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं तथा सिवलि सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, श्रम बाजार अध्ययनों पर विशेषज्ञता हासिल करने वाले शोधकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	23–24 जून 2021
स्थान	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

उभरते श्रम बाजार के मुद्दों और कार्यनीतिक अनुक्रियाओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनआईसीएस, नौएडा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रभावी श्रम बाजार और रोजगार नीतियों के डिजाइन और संचालन में संबंधित हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना और इस तरह केरल में रोजगार चुनौतियों से संबंधित विभिन्न नीतिगत पहल करना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अवसर देता है कि वे श्रम बाजार एवं रोजगार के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों के साथ गहन वार्ता करें।
उद्देश्य	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार परिदृश्य में उभरते रुझानों का पर्यावलोकन प्रदान करना। • भारत में श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में जानकारी ज्ञान प्राप्त करना। • रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिलता को समझना। • रोजगार सृजन के लिए श्रम बाजार सर्वेक्षण और रणनीति बनाने की क्षमता निर्माण।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार की प्रकृति और विशेषताएं, रोजगार में उभरती हुई प्रवृत्ति, श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम और रोजगार के विभिन्न स्रोत और सर्वेक्षण, रोजगार सृजन में अच्छी प्रथाएं, रोजगार सृजन में मैक्रो और सेक्टोरल नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण मुख्य रूप से व्याख्यान, केस स्टडी और अनुभव साझा करने का उपयोग करेगा। इसमें विचार–विमर्श भी शामिल होगा और इस प्रकार प्रकृति में सहभागितापूर्ण होगा।
प्रतिभागिता स्तर	मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी एवं प्रमुख पदाधिकारी, श्रम बाजार पर काम करने वाले ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं तथा सिवलि सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, श्रम बाजार अध्ययनों पर विशेषज्ञता हासिल करने वाले शोधकर्ता। प्रतिभागियों को अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	24–26 नवम्बर 2021
स्थान	एनआईसीएस, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

श्रम बाजार विश्लेषण पर अनुसंधान पद्धतियां (अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

लक्ष्य	इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य उन मुद्दों, जिनका श्रम बाजार अनुसंधान में वर्चस्व है, के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह शोधकर्ताओं को श्रम बाजार अनुसंधान पर गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों की वर्धित समझ भी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम रोजगारविहीन विकास, श्रम में लैंगिक मुद्दों, श्रम बाजार सिद्धांतों, रोजगार सर्वेक्षणों पर वैचारिक और अनुभवजन्य मुद्दों पर चर्चा और वाद–विवाद का अवसर होगा।
उद्देश्य	• विशेष रूप से विभिन्न अध्ययनों से संबंधित श्रम बाजार अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले विश्लेषणात्मक और पद्धति संबंधी रूपरेखाओं की तुलना और अनुसंधान विधियों की पर्याप्त समझ विकसित करना। • श्रम बाजार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझना। • गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियों का पर्यावलोकन जानना। • अनुसंधान की कमियों को पहचाना और भविष्य के शोध कार्यों के लिए दिशा–निर्देश प्रस्तावित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक दृष्टिकोण, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों की पद्धतियां, डेटा का विश्लेषण और व्याख्या
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों, कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों से युवा शिक्षक और शोधकर्ता और विभिन्न संस्थानों से व्यावसायिक। समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी) के प्रतिभागियों को नामित किया जाना सराहनीय होगा।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	10–12 मई 2021
स्थान	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. धन्या एम. बी. dhanyamb.vvgnli@gov.in

असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को मौजूदा असमानताओं तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में सुग्राही बनाना है।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को कार्य और सामाजिक सुरक्षा की कवरेज में मौजूद विभिन्न असमानताओं से परिचित कराना; • प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और देश में अनूठी प्रथाओं के बारे में जागरूक करना; • प्रतिभागियों को श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से परिचित कराना; • असंगठित श्रमिकों के लिए अनोखी प्रथाओं और सामाजिक सुरक्षा के अभिनव मॉडल पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	असंगठित क्षेत्र में रोजगार का पर्यावलोकन; उत्कृष्ट श्रम; सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा और इसकी स्थिति; सामाजिक सुरक्षा कानून; सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, केंद्र एवं राज्य–विशिष्ट; ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, फंड एवं योजनाएं; असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनाई गई अनोखी प्रथाएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह कार्य, चर्चाएं, मामला अध्ययन।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और ग्रामीण संगठनकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, बाह्य विशेषज्ञ।
तारीख	22–24 दिसम्बर, 2021
स्थान	राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

बीड़ी कर्मकारों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद)

लक्ष्य	ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी कर्मकारों के सशक्तिकरण को बढ़ाना।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को कार्य की दुनिया और उत्कृष्ट रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों से परिचित कराना। • प्रतिभागियों को बीड़ी कर्मकारों एवं बीड़ी उद्योग की समस्याओं के बारे में सुग्राही बनाना। • प्रतिभागियों को श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से परिचित कराना। • प्रतिभागियों को प्रभावी संचार, टीम–निर्माण और नेतृत्व कौशल से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	असंगठित क्षेत्र में रोजगार का पर्यावलोकन; बीड़ी उद्योग का पर्यावलोकन; बीड़ी उद्योग में कर्मकारों की समस्याएं; बीड़ी कर्मकारों से संबंधित श्रम कानून, बीड़ी उद्योग में लगे परिवारों की असुरक्षितता; बीड़ी कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम और बीड़ी कर्मकार नियोजन विनियमन अधिनियम; बीड़ी कर्मकारों के लिए आसरा पेंशन स्कीम; प्रभावी संचार, टीम–निर्माण और नेतृत्व कौशल ।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह कार्य, चर्चाएं और मामला अध्ययन ।
प्रतिभागिता स्तर	बीड़ी कर्मकारों के संगठनकर्ता, पीआरआई के प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास पदाधिकारी।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, एनआईआरडी एंड पीआर के संकाय, बाह्य विशेषज्ञ।
तारीख	19–21 जनवरी, 2022
स्थान	एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

श्रम पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभावः चुनौतियाँ एवं शमन (सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद)

लक्ष्य	चरम जलवायु घटनाओं, उत्कृष्ट श्रम तथा ग्रामीण एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों में श्रमिक कल्याण की स्थिति के संगत मामलों पर प्रतिभागियों की जानकारी, समझ एवं क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• श्रम बल के विभिन्न खंडों तथा उनकी कार्यदशाओं पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव के बारे में प्रतिभागियों को सुग्राही बनाना। • प्रतिभागियों को रोजगार भेद्यता पर जलवायु अस्थिरता एवं चरम मौसम की घटनाओं के नकारात्मक प्रभावों से परिचित कराना। • प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन लचीलापन, अनुकूलन एवं श्रमिक सुरक्षा पर फोकस करने वाले कामगारों के लिए विभिन्न कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा तंत्रों से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	जलवायु अस्थिरता तथा ग्रामीण एवं संक्रमणकालीन (पेरी–शहरी) क्षेत्रों में आजीविका एवं सभ्य रोजगार पर इसका प्रभाव; श्रमिकों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न अनुकूलन एवं शमन कार्यनीतियाँ; माँग–जनित एवं संकट–प्रेरित आजीविका कार्यनीतियाँ तथा श्रमिक आपूर्ति पर इसका प्रभाव; समग्र श्रमिक गतिकी, जिसमें प्रवासन की प्रवृत्तियां, बाल श्रम प्रथाएं, श्रमिकों की कार्यदशाओं की ह्रास, मजदूरी भुगतान की स्थिति शामिल हैं, पर जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव; कमजोर वर्गों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव; जलवायु परिवर्तन लचीलापन एवं अनुकूलन के संबंध में कामगारों के लिए श्रम कानून एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधान; इन सुरक्षा तंत्रों तक पहुंच से संबंधित चुनौतियां; श्रमिकों द्वारा अपनायी गयी अनुकूलन कार्यनीतियों को प्रभाविक करने वाले कारक; जलवायु अस्थिरता और लोगों को आजीविका हासिल करने में एसएचजी एवं सहकारी समितियों का महत्व; सिविल सोसायटी और श्रम कल्याण में इसकी भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह कार्य, चर्चाएं, मामला अध्ययन, प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण, क्षेत्र दौरा।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी, अनुसंधान संस्थानों, नीति अनुसंधान संगठनों के व्यावसायिक, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई; सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद; एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीईएसएस, हैदराबाद के संकाय सदस्य।
तारीख	27–30 सितम्बर 2021
स्थान	सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. मनोज जाटव jatav.manoj@gov.in

कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को मौजूदा असमानताओं तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में सुग्राही बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं मौजूदा कानूनी दस्तावेजों के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा पर विश्व की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में प्रतिभागियों को सक्षम बनायेगा तथा इसमें भारत के संदर्भ में नीति के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा के कानूनी ढांचे पर विचार–विमर्श किया जाएगा।
उद्देश्य	• श्रम बाजार में मौजूदा असमानताओं तथा कामगारों के सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता का पर्यावलोकन प्रदान करना; • प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों/दस्तावेजों एवं विश्व की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सुग्राही बनाना; • कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा राष्ट्रीय नीतियों तथा कानूनी दस्तावेजों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना; • प्रतिभागियों को सूक्ष्म–स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रयोगों से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक/दस्तावेज, कानून एवं राष्ट्रीय नीतियां, अच्छी प्रथाओं को साझा करना तथा समुदाय स्तर के कार्यक्रम।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों को साझा करना।
प्रतिभागिता स्तर	सरकारी अधिकारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय और बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	01–03 फरवरी 2022
स्थान	एसएलआई, पश्चिम बंगाल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां (एमआईएलएस, मुंबई)

लक्ष्य	यह कार्यक्रम श्रम अनुसंधान पर विशेष फोकस के साथ विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों एवं साधनों की समझ पर कठोर एवं परस्पर संवादात्मक अभ्यास करने के अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• भारत में श्रम एवं रोजगार परिदृश्य का पर्यावलोकन प्रदान करना; • प्रतिभागियों को विभिन्न मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान विधियों तथा तकनीकों की समझ तथा अनुप्रयोज्यता से लैस करना; • आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या को समझना; • प्रतिभागियो को आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रमुख सांख्यिकी पैकेजों से परिचित कराना; • मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियों तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए श्रम अनुसंधान करने की क्षमताएं विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियों का पर्यावलोकन; आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर संवादात्मक सत्र।
प्रतिभागिता स्तर	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थानों से युवा शिक्षक एवं शोधकर्ता तथा श्रम अध्ययन एवं नीति के क्षेत्र में अनुसंधान करने के इच्छुक सरकारी संगठनों से व्यावसायिक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय तथा अग्रणी विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों से बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	14–18 जून 2021
स्थान	एमआईएलएस, मुंबई
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रूमा घोष rumaghosh.vvgnli@gov.in

नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना : मत्स्य कामगार (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	मत्स्य कामगार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता में वृद्धि करना।
उद्देश्य	• सामान्य रूप से मत्स्य उद्योग और विशेष रूप से कामगारों की स्थिति के बारे में ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • पारस्परिक संचार में वृद्धि करना। • विभिन्न श्रम कानूनों में कानूनी संरक्षणों पर चर्चा करना। • कल्याण निधियों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	मत्स्य उद्योग का पर्यावलोकन; मत्स्य उद्योग की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संचार कौशल और प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मत्स्य क्षेत्र से प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेता
संकाय	वीवीजीएनएलआई के आंतरिक संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	17–21 मई 2021
स्थान	एसएलआई, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vvgnli@nic.in

नेतृत्व कौशलों को सुदृढ़ बनाना : बीड़ी उद्योग के प्रतिनिधि (एसएलआई, ओडिशा)

लक्ष्य	बीड़ी कामगार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• बीड़ी उद्योग के बारे में सामान्य रूप से और कामगारों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। • अंतर–वैयक्तिक सम्प्रेषण में वृद्धि करना। • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना। • बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण निधियों के विविध पहलुओं से उन्हें परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	बीड़ी उद्योग की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संप्रेशण कौशल, बीड़ी उद्योग का पर्यावलोकन, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण, बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम और बीड़ी कामगार रोजगार विनियमन अधिनियम आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
प्रतिभागिता स्तर	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से बीड़ी कर्मकारों की ट्रेड यूनियनों/आयोजकों के प्रतिनिधि, ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि, श्रम विभाग के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	10–14 जनवरी 2022
स्थान	एसएलआई, ओडिशा
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vgnli@nic.in

नेतृत्व विकास कार्यक्रम : चाय बागान कामगार (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य चाय बागान कामगारों के लिए कार्य कर रहे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• चाय बागानों में कार्यरत कामगारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना। • प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल एवं तकनीक विकसित करना। • प्रभावी नेतृत्व के कौशल बढ़ाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल की बुनियादी समझ तथा इसका स्वंय एवं दूसरों पर प्रभाव, संचार कौशल, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वैश्वीकरण तथा श्रम पर इसका प्रभाव।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीक एवं रोल प्ले।
प्रतिभागिता स्तर	चाय बागानों में कार्यरत ट्रेड यूनियन नेता/कार्यकर्ता
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	27–29 दिसम्बर 2021
स्थान	एसएलआई, पश्चिम बंगाल
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vgnli@nic.in

रोजगार अवसरों का सृजनः समस्याएं और संभावनाएं (जीआईडीआर, अहमदाबाद)

लक्ष्य	अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार, विशेष रूप से उत्पादक रोजगार की चुनौती भयावह बनी हुई है। रोजगार, श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति पर निर्भर करता है। दोनों के बीच संतुलन की बात मजदूरी दर और रोजगार के आकार को तय करती है। संतोषजनक विकास दर होने के बावजूद रोजगार के अवसरों का सृजन संतोषजनक नहीं है। कार्यक्रम का लक्ष्य रोजगार सृजन की कमी की समस्या और इसके समाधान की पहचान करना है।
उद्देश्य	• भारत में रोजगार की स्थिति को समझना। • रोजगार सृजन की कमी के कारणों की पहचान करना। • रोजगार के अवसरों के सृजन में पारंपरिक क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाना। • रोजगार सृजन के संभावित और मुख्य क्षेत्रों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में रोजगार की स्थिति, अपर्याप्त रोजगार सृजन की समस्याएं, पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन की समस्याएं, अधिक रोजगार सृजन के लिए नए क्षेत्रों की तलाश।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीक एवं रोल प्ले।
प्रतिभागिता स्तर	संकाय सदस्य, श्रम एवं रोजगार पर काम करने वाले शोधकर्ता, उद्योगों के प्रतिनिधि, मानव संसाधन प्रबंधक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	01–04 फरवरी 2022
स्थान	जीआईडीआर, अहमदाबाद
पाठ्यक्रम निदेशक	डॉ. रम्य रंजन पटेल rrpatel.vgnli@nic.in

संकाय सदस्यों की प्रोफाइल

डॉ. एच. श्रीनिवास, भा.रे.का.से.

महानिदेशक

डॉ. एच. श्रीनिवास भारतीय सिविल सेवा के 1991 के बैच से 'भारतीय रेल कार्मिक सेवा' के अधिकारी हैं। आपने पृथ्वी विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स), परास्नातक एवं विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) की उपाधियाँ हासिल की हैं। आपने प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम), प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) से हासिल किया। आप अकादमिक यात्रा में हमेशा अव्वल रहे तथा आपने भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संस्थापित स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

आपका पेशेवर कैरियर शानदार रहा है तथा आपने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने 14 लाख कार्मिकों वाली भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों को सुशोभित किया। भारतीय रेलवे, भारत में सबसे बड़ा एकल संगठन तथा विश्व में सबसे बड़े एवं व्यस्त परिवहन प्रदाताओं में से एक है। आपकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में विविध कौशलों से युक्त बड़े संगठनों में नीति निर्माण, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन एवं विकास; प्रशिक्षण, संगठन विकास और आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से बड़े संगठनों में बदलाव की कार्यनीति बनाना एवं उसका प्रबंधन करना और नियोक्ता –कर्मचारी संबंध संधारित एवं प्रबंधित करना हैं।

आप आंध्र प्रदेश सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे तथा इस दौरान आपने राज्य की शासन सुधार प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'गवर्निंग फॉर रिजल्ट्स एंड कोर ग्रुप डेवलपमेंट' पहल के मुख्य समन्वयक होने के नाते सेंटर फॉर गुड गवनेंस के साथ आपके प्रयासों से वर्ष 2003–05 के दौरान आंध्र प्रदेश के इन 32 विभागों एवं निगमों में नागरिक चार्टर बनाये गये तथा कार्य प्रक्रिया में सुधार किये गये। मानव संसाधन विकास पेशेवर होने के अलावा आप एक पेशेवर प्रशिक्षक भी हैं, आपने प्रशिक्षण की संकल्पना (डीओटी), प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस), परिवर्तन के प्रबंधन में प्रबंधकों का प्रशिक्षण (टीओटी), 'सिक्स सिग्मा' में ग्रीन बेल्ट आदि में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपके हस्तक्षेप विभिन्न विभागों एवं संगठनों की डोमेन विशेषज्ञता के साथ प्रशिक्षण एवं विकास की अवधारणाओं का सही मिश्रण हैं। आपने 'मानव संसाधन एवं आजीविका केंद्र' में प्रमुख; डॉ. मैरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संसाधन, आंध्र प्रदेश (एमसीआरएचआरडीआई) में मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं अपर महानिदेशक (प्रभारी) के पदों को भी सुशोभित किया।

आप अनेक संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए), हैदराबाद; राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (एनआईएसए), हैदराबाद; भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर); भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार संस्थान (आईआरआईएसईटी) आदि में अतिथि संकाय रहे हैं। आपने देश में स्काउट एवं गाइड आंदोलन में शानदार योगदान के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2013 के दौरान प्रदान किये गये 'सिल्वर स्टार' पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार एवं शील्ड पाए हैं।

आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों, जैसे कि आईएनएसईएडी, सिंगापुर में 'कस्टमर स्ट्रेटीजिक मॉड्यूल'; आईसीएलआईएम, मलेशिया में 'सिनैरियो थिंकिंग एंड इनोवेशन प्रोग्राम'; इंडियन स्कूल ऑफ बिजिनेस (आईएसबी) में 'स्ट्रेटीजिक मैनेजमेंट वर्कशॉप'; एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) में 'मैनेजमेंट ऑफ चेंज'; भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर) में 'मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम' और 'एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम' आदि में भाग लिया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों जैसे कि डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स – 2018; कजान, रूस में वर्ल्डसिक्ल्स कॉन्फ्रेंस – 2019; टेक्नीकल मीटिंग ऑन डीसेंट वर्क इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जिनेवा – 2020 आदि में देश का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. एस. के. शशिकुमार

वरिष्ठ फेलो

एम.ए., पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. एस. के. शशिकुमार प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और इस विषय में आपने पीएच.डी की उपाधि हासिल की है। आपको श्रम अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपकी व्यावसायिक रुचि के मुख्य क्षेत्रों में श्रम प्रवासन, कार्य का भविष्य, श्रम बाजार विश्लेषण, और अनुसंधान पद्धतियां शामिल हैं।

आप वैश्वीकरण पर अध्ययन समूह; दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002); उत्प्रवास अधिनियम समिति, भारत सरकार (2003–04); श्रमिक प्रवासन कानूनों की समीक्षा समिति, भारत सरकार (2009–10); श्रम बल के आंकड़ों संबंधी स्थायी समिति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2017–18), जिसने भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया; श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण विशेषज्ञ समूह (और टीम लीडर, प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (जारी) जैसे प्रमुख राष्ट्र स्तरीय आयोगों/ तकनीकी समितियों के साथ सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं।

आप सहकर्मी समीक्षित शैक्षणिक पत्रिका *लेबर एंड डेवलपमेंट* के संपादक हैं। आप वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के मुख्य अनुसंधान केंद्रों में से दो केंद्रों–श्रम बाजार अध्ययन केंद्र तथा एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम के समन्वयक हैं। आप श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के समन्वयक (भारत) भी हैं।

आपने श्रम से संबंधित प्रमुख सरोकारों पर लगभग 60 अनुसंधान परियोजनाएं की हैं, उनमें में अनेक परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा सौंपी गई थीं।

आप श्रम बाजार विश्लेषण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, श्रमिक प्रवासन, कार्य का भविष्य, श्रम बाजार विश्लेषण, प्रौद्योगिकी और रोजगार के नए रूप, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन, रोजगार संबंध, ट्रेड यूनियनवाद और अनुसंधान पद्धतियां जैसे विषयों पर लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 160 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार के पाठ्यक्रम निदेशक रहे हैं।

आपने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन; राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय; राष्ट्रीय कैरियर सेवा संस्थान; राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी; भारत प्रवासन केंद्र, विदेश मंत्रालय; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; मुंबई विश्वविद्यालय; नीति आयोग; मानव विकास संस्थान; दिल्ली न्यायिक अकादमी; भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ और एसोचेम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/प्रख्यात संस्थानों द्वारा हाल ही में किए गए कार्यक्रमों/सम्मेलनों में संसाधन व्यक्ति/अतिथि संकाय के तौर पर भाग लिया। आप जी20 एवं ब्रिक्स की हालिया श्रम मंत्रालयी बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे हैं। आप *द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स* और *अर्बन इंडिया* जैसी प्रमुख पत्रिकाओं के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं।

आपने पुस्तकों, संदर्भित पत्र–पत्रिकाओं तथा संपादित खंडों और अनुसंधान मोनोग्राफ के रूप में लगभग 70 अनुसंधानिक लेख प्रकाशित किए हैं। आपके हाल ही के और प्रमुख प्रकाशनों में शामिल हैं :– 'डिजिटल प्लेटफॉर्म इकॉनमी: ओवरव्यू, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज़', प्रोडक्टिविटी, अक्तूबर–दिसंबर 2020; 'इस्टिमेटिंग अर्निंग लॉसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यू टु कोविड–19' *द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स,* अक्तूबर –दिसंबर 2020; यूथ एंड लेबर मार्केट लैंडस्केप इन इंडिया: इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्ज़, *एनएलआई रिसर्च स्टडीज़ सिरीज़* नं. 140/2019; आईएलओ एंड इंडिया: अ सेंचुरी ऑफ अ शेयर्ड क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस (संपादकीय परिचय), भारत और आईएलओ: 1919–2019 पर विशेष अंक, *लेबर एंड डेवलपमेंट,* जून 2019; इंडियन लेबर माईग्रेशन टु दि गल्फ: रीसेंट ट्रेंड्सए दि रेग्यूलेटरी एन्वॉयरॉन्मेंट एंड न्यू इविडेंसेस ऑन माईग्रेशन कॉस्ट्स, *प्रोडक्टिविटी,* जुलाई–सितंबर 2019; लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी: दि केस ऑफ एंप्लॉयमेंट सर्विस इन इंडिया, *दि इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकनॉमिक्स,* जुलाई–सितम्बर 2018;

टुवर्ड्स इन्हांसिंग दि इफेक्टिवनेस ऑफ मिनिमम वेज़ सिस्टम्सः दि वेज़ प्रोटेक्शन सिस्टम इन केरला, *लेबर एंड डेवलपमेंट,* दिसंबर 2018; डिक्लाइनिंग वेज़ शेयर इन इंडियाज़ ऑर्गनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सैक्टरः ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आईएलओ एशिया–पैसिफिक वर्किंग पेपर सिरीज़, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2017 (सह–लेखक); गुड प्रैक्टिसेस इन यूजिंग पार्टनरशिप्स फॉर इफेक्टिव एंड इफीशिएंट डिलीवरी ऑफ एंप्लॉयमेंट सर्विसेज़ इन इंडिया, आईएलओ एंप्लॉयमेंट वर्किंग पेपर पेपर नंबर 233, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2017; न्यू इरा इन इंडिया – गल्फ लेबर माइग्रेशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट,* जून 2017; *ऑपरेशन ऑफ मिनिमम रेफरल वेजिज फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम इंडिया,* अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2016; लेबर माइग्रेशन स्ट्रक्चर्स एंड फाइनांसिंग इन एशिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2016; *फ्रॉम इंडिया टु गल्फ रीज़नः एक्सप्लोरिंग लिंक्स बिटवीन लेबर मार्किट, स्किल्स एंड माइग्रेशन साइकिल,* अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2015; 'टुवर्ड्स रिफॉर्म ऑफ दि लेबर मार्किट', *सेमिनार,* मई 2015; 'इंडियाज लेबर एंड एंप्लॉयमेंट सिनैरियोः एन ओवरव्यू', *इंडिया : हैंडबुक ऑन लेबर,* वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2015; *मैक्जिमाइजिंग डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेंसः दि साउथ एशिया – गल्फ एक्सपियरेंस,* लेबर एंड डेवलपमेंट, दिसंबर 2014; अनएंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस इन एशिया, कोरिया लेबर इंस्टीट्यूट, 2013, *अनएंप्लायमेंट इंश्योरेंस इन एशिया में* 'अनएंप्लायमेंट इंश्योरेंस इन इंडिया', कोरिया श्रम संस्थान, 2013; *सरमाउंटिंग इंडियाज़ इंप्लॉयमेंट चैलेंजिज,* लेबर एंड डेवलपमेंट, जून 2013; *माइग्रेशन ऑफ वीमेन वर्कर्स फ्रॉम साउथ एशिया टु गल्फ,* यूएन वीमेन, 2012,; *रिपोर्ट ऑन मिड–टर्म इवैल्युएशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ 1396 गवर्नमेंट आईटीआईज़ थ्रू पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप,* रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, 2012; *लेबर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन इंडियन टैक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग इंडस्ट्री,* इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स (कंटेम्परेरी साइंस एसोसिएशन, न्यूयार्क की आधिकारिक पत्रिका), मार्च 2011; *ग्लोबल डाउनटर्न एंड एक्सपोर्ट सैक्टर इन इंडियाः इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड एंप्लॉयमेंट,* वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2010; भारत से यूरोप को उत्प्रवासन बढ़ाने के संदर्भ में *स्किल प्रोफाइलिंग एंड स्किल सर्टिफिकेशन इन इंडिया,* अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास संगठन, 2009; *मैनेजिंग इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडियाः पॉलिसीज़ एंड पर्सपेक्टिव्स,* आईएलओ एशिया–पैसिफिक वर्किंग पेपर सिरीज, 2008; *मोबिलिटी ऑफ हाई स्किल्ड लेबर इन ए ग्लोब्लाइजिंग वर्ल्डः दि इंडियन एक्सपियरेंस,* ग्लोब्लाइजेशन एंड एशिया इन ट्रांस्फॉर्मेशन (फुकोवा प्रिफेक्चर एंड क्युशु यूनिवर्सिटी, जापान, 2007; *लेबर मार्केट्स इन इंडियाः इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्ज,* जीसस फिलिप तथा राणा हसन (संपा.); *लेबर मार्केट्स इन एशियाः इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्ज,* पालग्रेव, मैकमिलन तथा एशियाई विकास बैंक, 2006।

डॉ. हेलन आर. सेकर

वरिष्ठ फेलो

एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.

डॉ. हेलन आर. सेकर, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय) में वरिष्ठ फेलो के पद पर पदस्थ एक वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं। आप संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की समन्वयक हैं। आपने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रेजीडेंसी कॉलेज तथा लोक प्रशासन में एम.फिल. तथा पीएच.डी. की उपाधियां मद्रास क्रिश्चियन कालेज, मद्रास विश्वविद्यालय से हासिल कीं। आपको देश के विभिन्न अग्रणी राष्ट्रीय सस्थानों में अनुसंधान और प्रशिक्षण का 34 वर्ष का अनुभव है।

डॉ. सेकर के कार्य प्राइमरी और गौण अनुसंधान, पक्ष समर्थन, प्रशिक्षण, योजना, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन का मिला–जुला रूप हैं और बच्चों की आर्थिक एवं सामाजिक भूमिकाओं, उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक पहलू और प्रवासी एवं तस्करी वाले बच्चों के श्रमिक आयाम, कानून और प्रवर्तन, बाल श्रम की मांग पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव, बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए संरचना और तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डॉ. सेकर ने बाल श्रम और बंधुआ मजूदरी परियोजनाओं पर कई प्रस्तावों को विकसित और लागू किया है। आपने वर्ष 2001, 2007, 2017 और 2020 के दौरान भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। समय–समय पर तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में डॉ. हेलन आर. सेकर बाल श्रम प्रभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की बहु–मंत्रालयी पहल को तकनीकी सहायता प्रदान करती रही हैं। आपने सरकारी और गैर–सरकारी हितधारकों के लिए संवेदीकरण, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और मास्टर ट्रेनरों के कार्यक्रमों को विकसित किया है और आप देश भर में सभी स्तरों पर कार्यक्रमों को लागू करती रही हैं। आपने असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की भौगोलिक क्षेत्र–विशिष्ट कार्यनीति और कार्यप्रणाली की अवधारणा की है और देश के अविकसित एवं दूरदराज के गांवों में अनेक ग्रामीण शिविरों का संचालन किया है।

डॉ. हेलेन आर. सेकर बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन के मुद्दे पर भी नेटवर्क का समर्थन और सभी हितधारकों के साथ पक्ष समर्थन करती रही हैं और बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का समन्वय भी करती हैं। डॉ. सेकर ने बाल श्रम पर राज्य कार्य योजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन पर और संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत नियम तैयार करने पर भी विभिन्न राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान की है।

आपने बाल श्रम, लोक नीति, स्थानीय शासन, व्यावसायिक स्वास्थ्य, श्रम कानून, शिक्षा, और बाल अधिकार से संबंधित मुद्दों पर कई लेख, किताबें और रिपोर्टें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त समाचार पत्रों/पत्रिकाओं, जिनमें बिजनेस स्टैंडर्ड, आईसीसीडब्ल्यु बुलेटिन, योजना, सोशल चेंज, लेबर एंड डेबलपमेंट, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकनॉमिक्स और अन्य शामिल हैं, में प्रकाशित की हैं। आपके कई शोध कार्यों को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में उद्धृत किया गया है और उन पर टिप्पणी की गई है। कोविड–19 महामारी और श्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए इसके निहितार्थ पर आपके हालिया लेख प्रकाशित और व्यापक रूप से संदर्भित किए गए हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं।

डॉ. सेकर भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करने में शामिल रही हैं और देश के विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में अनेक पीएच. डी एवं एम. फिल छात्रों के लिए बाह्य परीक्षक रही हैं। आपके साक्षात्कार और व्याख्यान एनआईओएस रेडियो कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन, और अन्य दृश्य–श्रव्य कार्यक्रमों में प्रसारित हुए हैं। आपने वर्ष 2009 और 2013 में बाल श्रम पर सार्क सम्मेलनों का भी समन्वय किया है। आपने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम/अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (आईटीईसी/एससीएएपी)

के तहत कौशल विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी समन्वय किया है। डॉ. हेलन आर. सेकर पूर्व में श्रम विधानों की पत्रिका ''अवार्ड्स डाइजेस्ट'' की संपादक रही हैं और वर्तमान में तिमाही न्यूजलेटर ''चाइल्ड होप'' की संपादक हैं।

एक विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. सेकर विभिन्न सामाजिक साझेदारों और हितधारकों के साथ मिलकर बाल श्रम और बंधुआ श्रमिक मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉ. सेकर बाल श्रम से निपटने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए नीतिगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में केंद्रीय मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करती रही हैं। आप बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन में योगदान दे रही है। डॉ. सेकर भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोगों, समितियों, बोर्डों, कार्यसमूहों आदि जैसे कि बाल श्रम पर केंद्रीय परामर्श मंडल, केंद्रीय निगरानी समिति, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य दल, सीएलपीआर संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत नियम तैयार करने की समिति तथा अन्य महत्वपूर्ण समितियों एवं आयोगों के साथ एक सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। आप बोर्ड ऑफ लेबर मैनेजमेंट स्टडीज, मद्रास विश्वविद्यालय की सदस्य भी हैं।

डॉ. संजय उपाध्याय

वरिष्ठ फेलो

एलएल.एम, पीएच.डी. (विधि)

डॉ. संजय उपाध्याय विगत 25 वर्षों से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आप संस्थान के रोजगार संबंध और विनियमन अनुसंधान केंद्र के समन्वयक हैं। आपकी मौजूदा अनुसंधान रुचियों में संविदा श्रमिक और कानूनी संरक्षण, रोजगार संबंध कानून तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन शामिल हैं। आपने विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के परिसर में और बाहर, श्रम के विभिन्न विषयों यथा नेतृत्व विकास, श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व; प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन; अर्ध–न्यायिक प्राधिकारियों की भूमिका और कार्य; प्रभावी श्रम कल्याण प्रशासन और न्याय–निर्णयन को प्रभावी बनाना आदि पर 170 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय किया। इन कार्यक्रमों में एनजीओ और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, श्रम प्रशासकों, श्रम न्यायालयों और अधिकरणों के न्यायाधीशों, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), भारतीय आयुध कारखाना सेवा (आईओएफएस), भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) के अधिकारियों और निजी एवं सरकारी क्षेत्र के कार्मिक अधिकारियों एवं औद्योगिक संबंध व्यवसायियों आदि सहित 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपने श्रम कानून के बहुत से विषयों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्थान के परिसर में और बाहर 10000 से अधिक प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

डॉ. संजय उपाध्याय द्वारा किए गए प्रमुख अनुसंधान अध्ययनों में ये शामिल हैं: निश्चित–अवधि रोजगार का विनियमनः एक अंतर–देशीय परिप्रेक्ष्य; श्रम कानूनों में संशोधन एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए अन्य सुधारात्मक उपायः एक विश्लेषणात्मक प्रभाव आकलन; भारत में प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों की रोजगार, कार्य और सेवा दशाएं; न्यूनतम मजदूरी नीति और विनियामक ढांचे का विकास : एक अंतर–देशीय परिप्रेक्ष्य; निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मुद्दे; संविदा श्रमिक और न्यायिक हस्तक्षेप; शिक्षा उद्योग में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मुद्दे : निजी स्कूलों का मामला अध्ययन; नौएडा के कारखानों में श्रम कल्याण उपायों की स्थितिः वस्त्र और हौजरी उद्योग का मामला अध्ययन और औद्योगिक न्याय–निर्णयन में विलंबः केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय, दिल्ली का मामला अध्ययन। इन अध्ययनों में से अधिकांश एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

डॉ. उपाध्याय ने *'पॉलिसी एंड लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन इंडिया'* शीर्षक वाली एक पुस्तक लिखी है। आपने भारत में श्रमिक संघों के प्रतिष्ठित नेताओं की संक्षिप्त जीवनियों वाली पुस्तक *'भारत के श्रमिक नेताः व्यक्तित्व एवं कृतित्व'* का संपादन भी किया है। आप वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के आंतरिक नियमित प्रकाशनों 'अवार्ड्स डाइजेस्टः जर्नल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन' और 'श्रम विधान' के संपादक हैं।

आपने बहुत से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुतियां दीं हैं और बहुत सी चर्चाओं और कार्यशालाओं में भाग लिया है। आपके नाम आमतौर पर श्रम और विशेष रूप से कानून के विभिन्न विषयों पर अंग्रेजी और हिन्दी में विभिन्न पत्रिकाओं/संपादित खण्डों, मैगजीनों और समाचार–पत्रों आदि में लेखों के रूप में बहुत से प्रकाशन हैं।

डॉ. रूमा घोष

फेलो

एम.ए, एम.फिल, पीएच.डी. (समाजशास्त्र)

डॉ. रूमा घोष वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) में संकाय सदस्य के रूप में 1998 से कार्यरत हैं। आप एक प्रशिक्षित समाजशास्त्री हैं और आपने परास्नातक, एम.फिल और पीएच.डी. की उपाधियां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हासिल कीं। आपको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा/संरक्षण, लैंगिक मुद्दे और बाल श्रम पर विशेष फोकस के साथ श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन और प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम संचालित करने का 22 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

आप राष्ट्रीय स्तर की अनेक तकनीकी समितियों के साथ एक सदस्य के तौर पर जुड़ी हुई हैं। ये हैं – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता की मसौदा समिति (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2018); सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता की मसौदा–समिति में शामिल आर्थिक/वित्तीय लागत के निहितार्थ का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समिति (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2018); भवन एवं अन्य विनिर्माण कामगारों के लिए एक कार्य योजना एवं मॉडल स्कीम का गठन करने की समिति के तहत स्वास्थ्य एवं मातृत्व कल्याण पर उप–समिति (डीजीएलडब्ल्यु, 2018); कृषि में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आईएलओ अभिसमय 184 के अनुसर्मथन का कार्यसमूह (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2018); आईएलओ अभिसमय 184 के अनुसर्मथन के लिए कृषि क्षेत्र में अंतराल विश्लेषण का उप–समूह (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2015); भवन एवं अन्य विनिर्माण कामगार (आरईसीएस) के तहत केंद्रीय नियमों में संशोधन के सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2014); नवाचार 2010–2020 के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी राष्ट्रीय क्षेत्रक नवाचारी परिषद की सदस्य संयोजक (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2011)। आप 19–20 अप्रैल 2017 के दौरान युक्सी, चीन में पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्युजी) की बैठक में भाग लेने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थीं।

डॉ. रूमा घोष श्रम और स्वास्थ्य संरक्षण अध्ययन केंद्र की समन्वयक हैं। आप संस्थान की अकादमिक पत्रिका *लेबर एंड डेवलपमेंट* की सह–संपादक एवं संस्थान के न्यूजलेटर *इंद्रधनुष* की संपादक हैं।

आपने समकालीन और नीतिगत मुद्दों पर कई शोध और मूल्यांकन अध्ययन किए हैं जैसे कि लिंग, कार्य एवं स्वास्थ्य – कार्य संगठन का अध्ययन; अनौपचारिक विनिर्माण में सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा प्रावधान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मूल्यांकन अध्ययनः झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब का अध्ययन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए); ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के जीवन–स्तर पर मनरेगा का प्रभाव; मत्स्यपालन उद्योग में आजीविकाः उभरते मुद्दे, अवसर एवं असुरक्षिताएं; अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की असुरक्षितता एवं अरक्षिततताएं; फुटपाथ विक्रेताओं का अध्ययन; अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य असुरक्षिततताएंः विद्यमान और संभावित उपायों का अध्ययन; ईंट निर्माण के अनौपचारिक सैक्टर में प्रवासन, श्रम प्रक्रिया एवं रोजगार का अध्ययन; वाराणसी के जरदोसी तथा हथारी एककों में श्रम प्रक्रिया तथा रोजगार संबंध; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए 50 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन; पंजाब में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और भुगतान की विधि; गृह आधारित उद्योग और बाल श्रम का अध्ययनः जयपुर के हीरा पॉलिशिंग उद्योग का मामला (आईएलओ के लिए); गृह आधारित उद्योग और बाल श्रम का अध्ययनः फिरोजाबाद के कांच के चूड़ी उद्योग का मामला (आईएलओ के लिए); जालंधर के खेल सामान उद्योग में बाल श्रम का अध्ययन (आईएलओ के लिए); मेरठ के क्रिकेट बॉल विनिर्माण उद्योग में बाल श्रम (यूनिसेफ के लिए) शामिल हैं। आपने आईएलओ द्वारा प्रायोजित नौ खतरनाक गृह–आधारित उद्योगों में बाल श्रम पद बहु–केंद्रित अध्ययन तथा कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम – एक त्रिपक्षीय अनुक्रिया (20001–2011) पर आईएलओ–श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोगी कार्यक्रम सहित प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं एवं कार्यान्वयन कार्यक्रमों का समन्वय किया है।

आप निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन करती हैं: अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण; कार्य का भविष्य एवं कामगारों का सामाजिक संरक्षण; लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण; कार्यस्थल में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण। आप वर्ष 2003 से शोधकर्ताओं के लिए श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां पर दो सप्ताह के एक पाठ्यक्रम तथा वर्ष 2014 से विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएएपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के तौर पर कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण पर तीन सप्ताह के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करती हैं। आपने अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा; स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा और बाल श्रम जैसे विषयों पर अनेक सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आपने आईएलओ, यूनिसेफ, आईपीएसए, आईसीएएपी, ग्लोबल फंड द्वारा अनौपचारिक श्रमिकों के सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा, श्रम के मौसमी प्रवासन, गृह आधारित श्रमिक और बाल श्रम जैसे विषयों पर आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में कई पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने लेख, अनुसंधान मोनोग्राफ और संपादित पुस्तक के रूप में कई अनुसंधान प्रकाशन निकाले हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसायटी और इंडियन एसोसिएशन फॉर सोशल साइंसेज एंड हेल्थ के साथ आजीवन सदस्य के रूप में काम कर रही हैं।

डॉ. अनूप के. सतपथी

फेलो

पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. अनूप के. सतपथी वर्ष 2002 से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) में संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और आपने अर्थशास्त्र में एम.फिल और पीएच.डी. की उपाधियां क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से हासिल कीं। आपको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल श्रम पर विशेष जोर के साथ श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का 20 वर्ष का अनुभव है।

आप 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी योजना आयोग के उप–समूह, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी संचालन समिति, कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में डाटा के संग्रहण एवं विश्लेषण संबंधी प्रमुख ग्रुप (एमओएलई), राष्ट्रीय रोजगार नीति के मसौदा पर अंतर–मंत्रालयी समिति (डीजीईटी, एमओएलई), मजूदरी संहिता, 2019 से संबंधित केंद्रीय नियम मसौदा समिति (एमओएलई) जैसे राष्ट्र–स्तरीय आयोगों/तकनीकी समितियों के साथ सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। आपने जेनेवा में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने संबंधी विशेषज्ञों की आईएलओ की बैठकों (2013 एवं 2014) में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ के रूप में और अनौपचारिक क्षेत्र के आँकड़ों पर दिल्ली समूह की बैठक (2017) में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया। 2018 में आपने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए क्रियाविधि का निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भी की।

आपने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अपने कैरियर के दौरान निम्नलिखित समसामयिक महत्व के मुद्दों पर अनुसंधान एवं मूल्याकंन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जैसे कि :– राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए क्रियाविधि का निर्धारण, मेघालय में मानव पूंजी विकास का समर्थन करना (ब्रिटिश काउंसिल–एडीबी), भारत में चुनिंदा कौशल विकास कार्यक्रमों (एसडीपी) का प्रभाव मूल्यांकन (विश्व बैंक), भारत में औपचारिक और अनौपचारिक उद्यमों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज गैप का मूल्यांकन (एमओएलइ), 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की जरूरतों का पता लगाना; विश्व बैंक से सहायता–प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की प्रबंधकीय समीक्षा (वीटीआईपी); उत्तरी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में कौशलांतर विश्लेषण; अनौपचारिक सैक्टर का संयोजन और विशेषताएं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन (एमओएलई, जीओआई), सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना और लाभार्थियों की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना (यूएनडीपी), जिला रोजगार और श्रम बाजार मूल्यांकन (आईएलओ – एसएएटी) तथा एजेंसी इन चिल्ड्रन एण्ड डेवलपमेंट (आईआरईडब्ल्यूओसी – योजना)। आपने 2012 के दौरान अफगानिस्तान सरकार के लिए पहली अफगान राष्ट्रीय श्रम नीति (एएनएलपी) भी तैयार एवं विकसित की (यूएनडीपी)।

डॉ. सतपथी श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियां, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, मजदूरी नीति और न्यूनतम वेतन, रोजगार नीतियों का मॉनीटरण एवं मूल्यांकन, कौशल और उद्यमिता विकास, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा और बाल श्रम जैसे विषयों पर 10 अंतर्राष्ट्रीय और 80 से अधिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार के पाठ्यक्रम निदेशक रहे हैं। आप अफगान नागरिकों के लिए वीवीजीएनएलआई–आईटीसी, ट्यूरिन के एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम 'रोजगार की नीतियां: असंतोष से लचीलेपन की ओर' का भी हिस्सा रहे हैं और आपने 'लेबर इकनॉमिक्स' 'यूथ एंप्लॉयमेंट मूविंग फ्रॉम एनालिसिस टु एक्शन' और 'माइग्रेशन एंड एंप्लॉयमेंट' पर तीन मॉड्यूलों का समन्वय किया है। सार्क क्षेत्र में बाल श्रम; कार्यनीति एवं नीति विकल्प; क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के नेटवर्किंग पर दक्षिण–एशिया कार्यशाला; पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार की प्रवृत्तियां, शहरी गरीबों एवं अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं बाल श्रम तथा असंगठित

क्षेत्र को पुनर्गठित करने जैसे विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को भी समन्वित किया है।

आपने सहकर्मी अवलोकित पत्रिकाओं में कई निबंध एवं लेख प्रकाशित किए हैं तथा बाल श्रम एवं शिक्षा पर एक पुस्तक का सह–सम्पादन किया। आप भारत में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए एक संसाधन व्यक्ति रहे हैं और आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, आंध्र प्रदेश–मानव संसाधन विकास संस्थान आदि में विशेष व्याख्यान दिए हैं। आपने ब्रिक्स और अन्य देशों में युवाओं बेहतर श्रम बाजार नतीजों का संवर्धन, नाजुक राज्यों में रोजगार संवर्धन के लिए नेतृत्व, वेतन नीति पर क्षमता विकास कार्यक्रम, बच्चों के उत्प्रवास एवं अवैध व्यापार, रोजगार एवं श्रम बाजार नीतियां तथा माइक्रो उद्यमों में कार्य की गुणवत्ता सुधारना जैसे क्षेत्रों में आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकनॉमिक्स के आजीवन सदस्य और इंटरनेशनल ऑर्गनाईजेशन फॉर कोलनाबोरेटिव आउटकम मैनेजमेंट के एक सदस्य हैं।

डॉ. शशि बाला

फेलो

एम.फिल, पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. शशि बाला, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को पीच.डी. की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अर्थशास्त्र अध्ययन केंद्र द्वारा प्रदान की गई। आप संस्थान में *लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र और कृषि संबध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र* की गतिविधियों का समन्वय करती हैं।

आप विभिन्न विषयों जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा *जेंडर बजटिंग*; दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा *राष्ट्रीय सेवा योजना;* इंटिग्रेटिड ट्रेनिंग एंड पॉलिसी रिसर्च द्वारा *लैंगिक संवेदनशीलता एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण;* आईएलओ/आईटीसी, ट्यूरिन द्वारा *मेनस्ट्रीमिंग जेंडर इक्वलिटी: कंसेप्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स* और *लीडरशिप फॉर एंप्लॉयमेंट प्रमोशन इन फ्रगाइल सेटिंग्ज* में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। आप संस्थान में *यौन उत्पीड़न समिति की संस्थापक संयोजक* हैं। उनके अनुसंधान क्षेत्र प्रमुख रूप से श्रम अर्थशास्त्र, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, जेंडर बजटिंग, लैंगिक मुद्दों और व्यवहार कौशल पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

एक शोधकर्ता के तौर पर आपके द्वारा की गई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं में कौशल विकास पद्धतिः माइक्रो स्तरीय साक्ष्य; श्रमिकों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणः राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल तथा माया का मामला अध्ययन; ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार का बदलता स्वरूप, कोरियाई श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दे; शहरी भारत में कामकाजी महिलाएंः सरोकार एवं चुनौतियां; प्रवासी घरेलू नौकरों की नियोजन प्रक्रियाः भारत के महानगरों का एक मामला अध्ययन; दिल्ली में जनजाति की महिला घरेलू नौकरों का उत्प्रवास; प्रसूति उपरांत कामकाजी महिलाओं की श्रम बाजार प्रतिभागिताः निजी क्षेत्रों का एक मामला अध्ययन; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन, असंगठित सैक्टर के लिए लिंग एवं सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल; कार्य और रोजगार के लैंगिक आयामः यौन उत्पीड़न का मामला; शिक्षा एवं कार्यजगत में अंतरालः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य; शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक समानताः एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य; कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मॉड्यूल; डिजिटल खाई को कम करने के लिए आइसीटी अनिवार्यताएंः लैंगिक परिप्रेक्ष्य; प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का आईटी एवं आईटीईएस में प्रभाव ग्रामीण औद्योगिकीकरण एवं ग्रमीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के विकल्प; प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः सकारात्मक पहलों एवं अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना शामिल हैं। आप वर्ष 2008 में *कोरियाई श्रम संस्थान, शिओल, दक्षिण कोरिया की अतिथि अनुसंधानकर्ता* थीं, जहां आपने कोरियाई श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों का अध्ययन किया।

संस्थान में अनुसंधान कार्यकलापों में योगदान करने के अलावा आप एक प्रशिक्षक के तौर पर लैंगिक एवं व्यवहार कौशल के मुद्दों पर *विशेष ध्यान के साथ* विभिन्न विषयों जैसे कि केंद्र और राज्य/संघ राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए महिला कामगारों से संबंधित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन; केंद्र और राज्य श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग; नीति निर्माताओं, सरकारी प्रतिनिधियों, कामगार एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों के लिए लिंग, गरीबी एवं रोजगार; केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिला श्रम नेताओं के लिए ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना; कौशल विकास संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियों को विकसित करना; कारपोरेट सैक्टर के लिए कार्यस्थल पर महिला कल्याण के मुद्दे; नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, श्रम प्रवर्त्तन अधिकारियों के लिए लैंगिक एवं सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम; कारपोरेट सैक्टर के लिए लैंगिक एवं सामाजिक सुरक्षा; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का काम देख रहे अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना; केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए श्रम में लैंगिक मुद्दे *(पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)*; श्रम मामलों पर कार्य

कर रहे अनुसंधान अध्येताओं एवं शिक्षाविदों के लिए एमजीएलआई, अहमदाबाद में श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य; *जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली* के साथ लैंगिक मुद्दों पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना; *गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु* के साथ 'ग्रामीण भारत में श्रमिकों का समावेश' पर अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम; तथा *भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ* के साथ कार्य संस्कृति एवं लैंगिक समानता में सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देना पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम का समन्वय करती हैं।

आप सरकारी विभागों, संस्थानों, कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र/एनजीओ आदि के कार्यपालकों के लिए (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी नागरिकों के लिए) *कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम* का भी समन्वय करती हैं। विगत में आपने संस्थान में डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो के साथ संयुक्त रूप से श्रम एवं रोजगार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियों पर पाठ्यक्रम तथा डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो के साथ नेतृत्व कौशल बढ़ाना जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित किया। आप *आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल; कार्य दक्षता में सुधार के लिए समय प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन; कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारवादी दृष्टिकोण; कैनरा बैंक, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के लिए कार्य दक्षता में सुधार करना* पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी समन्वय करती हैं

आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ट्यूरिन; अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई); अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ); कोरिया श्रम संस्थान, सिओल, दक्षिण कोरिया; कोरिया प्रौद्योगिकी और शिक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएलओ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; इंडियन सोसायटी फॉर लेबर इक्नोमिक्स के वार्षिक सम्मेलन, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, (एनआईपीसीसीडी); भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए); भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इत्यादि जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं में अनेक शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। आपके कई शोध, प्रसिद्ध पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अनुसंधान अध्ययनों में प्रकाशित हो चुके हैं। आप इंडियन सोसायटी आफ लेबर इक्नोमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एसोसिएशन (आईपीईए) की आजीवन सदस्य हैं। आप महिला श्रमिक सहायता अनुदान समिति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सदस्य हैं। आप कार्य की दुनिया में लैंगिक समानता संबंधी कार्य बल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सदस्य भी हैं।

डॉ. एलीना सामंतराय

फेलो

एम.ए. एम.फिल, पीएच.डी. (समाजशास्त्र), जेएनयू, नई दिल्ली

डॉ. एलीना सामंतराय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में एक फेलो के रूप में कार्यरत हैं। आपने समाजशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्कूल के सामाजिक पद्धति अध्ययन केंद्र से हासिल की। आपने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और एम.फिल की उपाधियां भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हासिल कीं। इस संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने वसंत कन्या महाविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एक वर्ष कार्य किया। आपके पास समाजशास्त्र विषय और लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दों खासकर लैंगिक आँकड़े, अप्रदत्त कार्य, समय उपयोग अध्ययन, कार्य एवं पारिवारिक जीवन का सामंजस्य, लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण, बाल श्रम, श्रम नियम एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के क्षेत्र में अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का 15 वर्ष से अधिक समय का अनुभव है। आप संस्थान में लिंग और श्रम केंद्र की सह–समन्वयक हैं। आप इंद्रधनुष (वीवीजीएनएलआई का द्विमासिक न्यूजलेटर) की सह–संपादक हैं। आप वीवीजीएनएलआई और आईटीसी– आईएलओ ट्यूरिन, इटली के मध्य अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग की समन्वयक भी हैं और इस सहयोग के तहत विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करती हैं।

आपने यूनिसेफ, विश्व बैंक, आईएलओ, आईटीसी–आईएनओ जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एवं संस्थान में अनेक अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। आपके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख अनुसंधान अध्ययनों में ये शामिल हैः 'भारत में बाल श्रमिकों की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण पर वीवीजीएनएलआई–यूनिसेफ का अध्ययन (2017); अप्रदत्त कार्य और पूर्वोत्तर भारत में महिला कामगारों के समय उपयोग पैटर्नः त्रिपुरा के विशेष संदर्भ में (2018), इडिया अर्बन नॉलेज प्लेटफॉर्म, विश्व बैंक, नई दिल्ली के लिए किया गया अध्ययन; 'शहरी अर्थव्यवस्था और रोजगार में महिलाएं' (2018); अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका में महिला कामगारों के यौन उत्पीड़न और उनके खिलाफ हिंसा पर कानूनों, नीतियों एवं प्रथाओं का एक पर्यावलोकन (2019), आईएलओ, नई दिल्ली। वर्तमान में आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन (2020) पर काम कर रही हैं।

आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना; श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां; महिला आयोजकों को सशक्त बनाना; श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक; लिग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण; ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदि विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करती हैं। आपने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए वीवीजीएनएलआई–आईटीसी ट्यूरिन के एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'रोजगार नीतियाँः असंतोष से लचीलेपन की ओर' में कार्य किया।

आपने पुस्तकों, शोध शोध निबंध, सहकर्मी अवलोकित एवं प्रतिष्ठित शैक्षणिक पत्रिकाओं में अनेकों पेपर एवं लेख, सम्पादित संस्करणों में अध्याय, पुस्तक समीक्षाएं और समाचारपत्रों एवं डिजिटल दैनिक समाचारपत्रों में लेख के रूप में 50 से ज्यादा प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। आपने चार पुस्तकों का लेखन किया है – 'चेंजिंग यूथ कल्वर इन इंडियाः अ स्टडी ऑफ यंग अर्बन प्रोफेशनल्स' (2017), लैंबर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग, जर्मनी; 'ग्लोब्लाइजेशन एंड सोशल चेंज़ इन इंडिया' (2012), रावत पब्लिकेशंस; 'सोशियालॉजी आफ इंडियन सोसायटी' (2011) एवं 'सोशल प्रॉब्लम्स' (2011), विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली। आपके हाल के कुछ अन्य प्रकाशनों में ये शामिल हैंः– 'वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड पेड एंप्लॉयमेंट इन इंडिया' पर एक आलेख (2020), इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकनॉमिक्स, स्प्रिंगर, इंडिया; 'वॉयलेंस इन टर्म्स ऑफ कोविड–19ः लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वीमेन इन्फॉर्मल वर्कर्स' (2020), इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इंगेज़, सितंबर 2020 (सहलेखन); 'कोविड–19 एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडिजीनिअस कम्युनिटीज़ः रिस्पॉडिंग टु दि इनसिक्योरिटीज़ एंड वुलनरेबिलिटीज़' (2020), एनसीसी रिव्यू, सितंबर (सहलेखन); वीमेन्स वर्क इन इंडियाः अपडेट्स फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (2020), लेबर एंड डेवलपमेंट, जून 2020 (सहलेखन); 'द इनविजिबल वर्कसः कैप्चरिंग होम–बेस्ड वर्क इन इंडिया' (2019), अंत्यजा

जर्नल ऑफ वीमेन एंड सोशल चेंज, सेज प्रकाशन; 'वीमेन एंटरप्रिन्योरशिप इन इंडियाः इविडेंस फ्रॉम इकनॉमिक सेंसस' (2018), सोशल चेंज, सेज; 'केयर पॉलिसीज़ एंड रिकंसिलिएशन ऑफ वर्क एंड फेमिली लाइफः एक्सपीरिएंसेस ऑफ वीमेन वर्कर्स' (2017), इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इक्नॉमिक्स, स्प्रिंगर, इंडिया; 'रेग्युलेटिंग इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशनः इश्यूज इन दि कंटेक्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ इन इंडिया' (2014), कंटेम्परी साउथ एशिया, रूटलेज़; 'इन्जेंडरिंग लेबर स्टैटिस्टिक्सः ए क्रॉसकंट्री कंपेरिज़न ऑफ जेंडर डिफरेंसिएटिड स्टैटिस्टिक्स' (सह–लेखन) (2014), सोशल चेंज, सेज़ पब्लिकेशंस। आप 2019 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सदस्य भी रही हैं और आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और कानूनी जागरूकता पर दो मॉड्यूल प्रकाशित किए हैं।

आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध लेख प्रस्तुत किए हैं। इनमें प्रमुख हैं: ग्लासगो, यूनाईटेड किंगडम में अ कॉन्फ्रेंस ऑन 'बिल्डिंग रिसर्च कोलाबोरेशन विद इंडिया और किर्गिस्तान टु एक्सप्लोर दि रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन डेवलपिंग स्किल्स फॉर स्मार्ट सिटीज़' (2019), स्टॉकहोम, स्वीडन, में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 'लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्ज़ ऑन होम बेस्ड वर्क' (2018), सिओल नेशनल यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया में 38वाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम यूज़ रिसर्च (2016), और अंकारा, टर्की में 37वाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम यूज़ रिसर्च (2015)। आपने 2015 में आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन, इटली में लेबर मार्केट स्टैटिस्टिक्स पर प्रशिक्षण में भाग लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की अक्टूबर 2017 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–आईएलओ) ट्यूरिन, इटली में आयोजित बोर्ड मीटिंग के 80वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के तौर पर भाग लिया।

आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में संसाधन व्यक्ति के तौर पर कार्य करती हैं तथा आपने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, ग्रेटर नौएडा; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; दिल्ली विश्वविद्यालय; अंबेडकर विश्वविद्यालय; राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी); अर्जुन सिंह दूरस्थ शिक्षा केंद्र; जामिया मिलिया इस्लामिया; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान दिए हैं। आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के लिए वीडियो एवं रेडियो वार्ताएं और ज्ञान वाणी (इग्नू) के लिए रेडियो वार्ताएं की हैं। आप भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के अकादमिक पाठ्यचर्या एवं ई–कंटेट को विकसित करने एवं उनकी समीक्षा करने का कार्य भी करती हैं।

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

फेलो

एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी. (समाजशास्त्र)

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम एक समाजशास्त्री और विकास व्यावसायिक हैं तथा आपको श्रम एवं और रोजगार, सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, लिंग और कार्य, बाल श्रम, श्रम प्रशासन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, अनुसंधान पद्धतियों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसे क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, नीति और कार्यक्रम डिजाइन, शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का 13 वर्ष से अधिक साक्ष्य आधारित अनुभव है। आपने समाजशास्त्र में पीएच.डी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हासिल की। वर्तमान में आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में फेलो (संकाय) के तौर पर कार्यरत हैं। आपने सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, गंगटोक में समाज विज्ञान स्कूल के समाज विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था तथा आप विभाग के संस्थापक अध्यक्ष रहे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में सीनियर फेलो के रूप में कार्य किया था तथा आपने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा संचालित परियोजनाओं में भी कार्य किया था। आप 11 जनवरी 2013 से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पूर्वोत्तर केंद्र के समन्वयक, और *लेबर एंड डेवलपमेंट, श्रम विधान* और *श्रम संगम* पत्रिकाओं के सह–संपादक हैं।

आपको प्रमुख मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन परियोजनाओं और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार के राज्य श्रम विभागों; महाराष्ट्र, गुजरात और केरल के राज्य श्रम संस्थानों; दिल्ली, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, राजस्थान और गोवा में विश्वविद्यालयों के साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के डिजाइन, संचालन और पर्यवेक्षण का व्यापक अनुभव है।

आपने एशियाई उत्पादकता संगठन, टोक्यो में 'फोरम ऑन वीमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट'; अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र–अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ट्यूरिन में 'फोरम ऑन इन्नोवेशंस इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स'; तथा कोरिया श्रम संस्थान, सिओल में 'फोरम ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस इन दि एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया' में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

आप श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत स्थापित मॉडल कैरियर केंद्रों के साथ काम करने वाले युवा पेशेवरों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन बोर्ड के सदस्य हैं। आप 44वें और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की मसौदा समितियों और श्रम और रोजगार मंत्रालय के 44वें, 45वें, 46वें और 47 वें स्थायी श्रम सम्मेलनों के सदस्य थे। आप द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की समीक्षा समिति के सदस्य थे।

आपको नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति, नौएडा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हिंदी आशु–संभाषण प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान पाने पर 31 जनवरी 2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड में सम्मानित किया गया। आपको वीडीजीओओडी प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार–2020' (अंतर्विधात्मक) से सम्मानित किया गया है।

श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ

एसोसिएट फेलो

एम.ए (अर्थशास्त्र), एम.ए (लोक प्रशासन),

एम.फिल (लोक प्रशासन)

आप उत्कल विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एम.फिल उपाधि धारक के साथ अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर हैं। वर्ष 2004 में वीवीजीएनएलआई में आपने ''श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धति संबंधी पाठ्यक्रम'' में भाग लिया था। आपको वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ''युवा शोध फेलोशिप 2005–06 कार्यक्रम'' के लिए भी चुना गया था और आपने इसमें भाग लिया था।

आपके प्रमुख प्रकाशित कार्य ये हैं: स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया: वे फॉरवर्ड (एनएलआई अनुसंधान अध्ययन शृंखला क्रम संख्या 124/2017), एंप्लॉयमेंट जेनरेशन एंड इन्हासिंग एंप्लॉयबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू स्किल डेवलपमेंट: इमर्जिंग इश्यूज़ एंड प्रोस्पेक्ट्स (पूर्वोत्तर भारत में श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण पर लेबर एंड डेवलपमेंट, वीवीजीएनएनलआई का विशेष अंक, 2013); एंप्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया (वीवीजीएनएलआई), एनएलआई अनुसंधान अध्ययन शृंखला में अपोर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजिज़ बिफोर दि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन दि ग्लोब्लाइज्ड इरा: दि इंडियन केस।

आप विभिन्न विषयों जैसे कि श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां पर पाठ्यक्रम; युवाओं की नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास; पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना; विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन; पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन; तटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन; श्रम एवं विकास के मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम; मीडिया सैक्टर के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम; कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना; श्रम एवं विकास के मुद्दों के समाधान के लिए अभिसरण एवं भागीदारी; कौशल, तकनीक एवं कार्य का भविष्य; लिंग, कार्य एवं विकास; मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं। आप पिछले चार वर्षों से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार सृजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करते आ रहे हैं। आपने संस्थान में 'निर्माण कामगारों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' तथा 'बीड़ी सैक्टर से संबंधित मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया। आपने कार्यक्रम निदेशक के तौर पर अभी तक एनसीडीएस (आईसीएसएसआर इंस्टीट्यूट), भुवनेश्वर; एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय (उत्तरखंड); केरल श्रम और रोजगार संस्थान (तिरुवनंतपुरम); सिक्किम विश्वविद्यालय, एमआईएलएस, मुंबई; एसएलआई, भुवनेश्वर के साथ 15 सहयोगात्मक कार्यक्रमों सहित 80 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आपने संस्थान में 14 नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए हैं। आप जम्मू में 'राइज़ इन जम्मू एंड कश्मीर' (01–03 नवम्बर 2018) समारोह में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से आयोजन निदेशक थे। व्याख्यान कार्य के साथ ही आप समूह कार्य, समस्या की पहचान, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, सामान्य प्रस्तुतीकरण एवं कार्य योजना आयोजित करते हैं तथा प्रतिभागियों के साथ क्षेत्र दौरे करते हैं।

आपने अनेक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं सेमिनारों में प्रतिभागिता की है और शोध लेख प्रस्तुत किए हैं। इनमें ये शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन, आईएलओ एवं वीवीजीएनएलआई द्वारा अगस्त 20–22, 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 'कोर्स ऑन डिजाइनिंग

एंड इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेज़ पॉलिसीज़', आईएचसी दिल्ली में वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड आईसीआरआईईआर वर्कशॉप ऑन ''ट्रबल इन दि मेकिंग? दि फ्यूचर ऑफ दि मैन्युफैक्चरिंग–लेड डेवलपमेंट' (2017), वीवीजीएनएलआई में ब्रेन स्टोर्मिंग वर्कशॉप ऑन एंप्लॉयमेंट जेनरेशन (2017), वीवीजीएनएलआई एवं आईसीएसएसआर, एनईआर, शिलॉन्ग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नेशनल सेमिनार ऑन ''यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया (2015), नेशनल लेबल सेल्फ–डेवलपमेंट वर्कशॉप, डैंडली ऑफ ईआरसी, नई दिल्ली एंड फोर्ड फाउंडेशन (2003), दि एन्युअल कॉन्फ्रेंस ऑफ दि इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकनॉमिक्स, जयपुर (2004), दि नेशनल सेमिनार ऑन रीजनल डेवलपमेंट यू.जी.सी.– डीएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (2005), श्रम और रोजगार मंत्रालय/आईएलओ/वीवीजीएनएलआई राउंड टेबल ऑन दि नेशनल रूरल एप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इन इंडिया, नौएडा (2005)। आपने वर्ष 2000–01 में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित चौथे राष्ट्रीय 'यूथ पार्लियामेंट' में प्रतिभागिता की तथा राष्ट्रीय स्तर पर मेधावी प्रदर्शन के लिए आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

डॉ. धन्या एम. बी.

एसोसिएट फेलो

पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. धन्या एम. बी. एक अर्थशास्त्री हैं और वर्ष 2011 से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एसोसिएट फेलो (संकाय) के रूप में काम कर रही हैं। आपने एक राष्ट्रीयकृत बैंक (2009) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और माइक्रोफाइनेंस (2004–2008) के विषय पर पीएच.डी. भी की। आप श्रम बाजार अध्ययन केंद्र की सह–समन्वयक हैं। आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न विषयों पर नीतिगत पहलों यथा आईएलओ अभिसमय–बलात श्रम प्रोटोकोल के समर्थन का कार्यसमूह (2018), रोजगार नीति (2018–19), आईएलओ अभिसमय सं. 87 एवं 98 के अनुसमर्थन की प्रक्रिया को सुकर बनाने वाले त्रिपक्षीय कार्य समूह (2013–14) आदि में शामिल रही हैं।

आपने तीन पुस्तकों/मोनोग्राफ का लेखन किया है और श्रम बाजार अध्ययन के क्षेत्र में दो पुस्तकों का सह–संपादन भी किया है। इनमें शामिल हैं– 'डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एसडीजीज़ इन इंडियाः लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अपोर्चुनिटीज़' (रुटलेज, 2021, आगामी); 'प्रमोटिंग यूथ एंप्लॉयमेंट एंड एंट्रीप्रिन्योरशिपः अ स्टडी विद स्पेशल फोकस ऑन स्टार्टअप्स' (2020, वीवीजीएनएलआई) 'क्वालिटी एंप्लॉयमेंट जेनरेशन इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राईजेज (एमएसईज़) इन इंडियाः स्ट्रेटीजीज़ एंड वे फॉरवर्ड' (2018, वीवीजीएनएलआई); 'वर्कर्स राईट्स एंड प्रेक्टिसेस इन दि कंटेम्परेरी सिनैरियोः एन ओवरव्यू' (2014, वीवीजीएनएलआई); 'फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राईट्स एट वर्क एंड इन्फॉर्मल इकॉनमी इन इंडिया' (2013); और 'इन्जेंडरिंग जेंडर स्टैटिस्टिक्स' (2012, वीवीजीएनएलआई)।

आपको विभिन्न अकादमिक संस्थानों यथा आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), अंबेडकर विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीएनएएसएस), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय कैरिअर सेवा संस्थान (एनआईसीएस), प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (आईटीएस) द्वारा व्याख्यान देने हेतु संसाधन व्यक्ति/अतिथि संकाय/जूरी सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। आपने वीवीजीएनएलआई एवं इसके क्षेत्रीय सहयोगी संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी व्याख्यान दिये हैं।

आप एल्सवीयर द्वारा प्रकाशित पत्रिका के समीक्षक; सेज़ ओपन जर्नल के लेख संपादक, विश्वविद्यालयों के पीएच. डी शोध निबंधों के मूल्यांकन के विशेषज्ञ पैनल के सदस्य के तौर पर भी कार्य करती हैं। आप विभिन्न विषयों यथा लिंग, गरीबी एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अनुसंधान पद्धतियां, माइक्रो–वित्त अनुसंधान में विभिन्न विधियां, श्रम में लैंगिक मुद्दे, युवा नियोजनीयता कौशल, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे, श्रमिक मुद्दों तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं कानून आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करती हैं। इसके अलावा, आपने श्रम एवं रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/सेमिनार का भी समन्वय किया है। आप सामाजिक संरक्षण तल और मौलिक अधिकर एवं कार्य के अधिकार पर आईएलओ के शासी निकाय के 316वें सत्र के लिए अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने में शामिल रही हैं; आपने जिनेवा में 101वें आईएलसी के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की; आईएलओ अभिसमय सं. 98, 87, 138 एवं 182 के अनुसमर्थन की जांच की।

आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न जर्नलों में अनेक अनुसंधान लेख तथा सम्पादित पुस्तकों में अध्याय भी प्रकाशित किए हैं। आपके कुछ लेखों में शामिल हैंः स्मॉल फर्म्स इन दि लेबर मार्किट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोविजंसः डज़ इन्नोवेशन मैटर? (रूटलेज़, 2021 आगामी); यूथ एंप्लॉयमेंट, लेबर मार्किट एंड एसडीजीः क्रॉसकटिंग पॉलिसी मेज़र्स (रूटलेज़, 2021 आगामी); एम्प्लॉयमेंट रेम्युनरेशन एंड फोर्स्ड लेबरः इश्यूज एंड कन्सर्न्स (जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एंड रिसर्च, 2019); लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कंपोजिशन, स्किल रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर चैलेंजिजः एन इन्वेस्टिगेशन फॉर दि हिल स्टेट उत्तराखंड (ज्ञान बुक्स, नई दिल्ली, 2017); इन्जेंडरिंग लेबर स्टैटिस्टिक्सः ए क्रॉस कंट्री कंपेरिजन

ऑफ जेंडर डिफरेंसिएटिड स्टैटिस्टिक्स (सोशल चेंज–सेज़ पब्लिकेशन, 2014); चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ जेंडर इन लेबर फोर्सः एक्सप्लोरिंग थ्रू लेबर स्टैटिस्टिक्स (मैनपॉवर जर्नल–नई दिल्ली, 2012); माइक्रो क्रेडिट, रूरल वीमेन एम्पॉवरमेंट एंड हेल्थः पर्सपेक्टिव्ज़ ऑन केरल (मैनपॉवर जर्नल–नई दिल्ली); वीमेन एंटरप्रिन्योरशिप थ्रू माइक्रो फाइनांस (लेबर एंड डेवलपमेंट–2011); रोल ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजिंग सोशल इश्यूज़– पर्सपेक्टिव्ज़ फ्रॉम कैपेबिलिटी अप्रोच (मैकमिलन प्रकाशन–नई दिल्ली, 2011); मल्टीडायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्सः रिलिवेंस एंड अप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट (एलाइड प्रकाशन–नई दिल्ली, 2011); यूथ एम्पावरमेंट थ्रू माइक्रोफाइनांसः ए केस स्टडी ऑफ युवाश्री प्रोग्राम ऑफ रूरल केरल (ग्लोबल रिसर्च प्रकाशन–नई दिल्ली 2011); माइक्रोफाइनांस, वीमेन एम्पावरमेंट एंड बैंकिग हैबिटः पर्सपेक्टिव्ज ऑन केरल (दि माइक्रोफाइनांस रिव्यू बर्ड, 2010); वीमेन एम्पावरमेंट एंड माइक्रोफाइनांसः केस स्टडी फ्रॉम केरल (एमपीआरए पेजर–जर्मनी, 2010); ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी (डिस्कवरी पब्लिशर्स–नई दिल्ली, 2009); इंडियन यूथ एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन (एसएसआरएन पेपर–न्यूयार्क, 2010), बुक रिव्यू ऑन ग्लोब्लाइजेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशनः कन्वर्सेशंस विद इमिनेंट इकॉनोमिस्ट्स (कैपिटल एंड क्लास – यूके, 2011)।

आपने आईजीआईडीआर, आईएलओ, विश्व बैंक, पीडीएनएएसएस, सीडब्ल्युडीएस, आईआरएमए, यूएन वीमेन, आईजेएम, आरजीएनआईवाईडी, फ्रेंच इंस्टीट्यट, लोक उद्यम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इत्यादि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागिता की और विभिन्न विषयों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए हैं। ये विषय हैं – इन्डेब्टेडन्यस एंड सोशल एक्सक्लूज़न, रिलिवेंस ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑन डेवलपमेंटः चैलेंजिज़ बिफोर इमर्जिंग इकॉनमीज़, रिडिजाइनिंग सोशल साइंस रिसर्चः सुटेबल मेथेडोलोजीज़ फॉर पब्लिक एक्शन। आप मास्टर्स प्रोग्राम इन लेबर एंड डेवलपमेट (इग्नू, नई दिल्ली) के लिए पाठ्यक्रम लेखन का कार्य भी करती हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) –टूरिन और आईएलओ– दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'नाजुक राज्यों में युवा रोजगार को बढ़ावा देना', 'प्रभावी मजदूरी नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करना' तथा पीडीएनएएसएस द्वारा आयोजित 'सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का प्रबंधन' के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप वर्ष 2011–15 की अवधि के दौरान श्रम विधानों के जर्नल, अवार्ड्स डाइजेस्ट के संपादकीय बोर्ड में रही हैं।

आपकी मौजूदा अनुसंधान रुचियों में रोजगार और कोविड–19 लॉकडाउन के बाद का परिदृश्य, युवा, श्रम एवं रोजगार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं श्रम अधिकार, लैंगिक आंकड़े एवं श्रम में लैंगिक मुद्दे, माइक्रो वित्त, एवं लोक नीति शामिल हैं।

डॉ. रम्य रंजन पटेल

एसोसिएट फेलो

पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. रम्य रंजन पटेल, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (कृषि संबंध, ग्रामीण एवं व्यवहार अध्ययन केंद्र) नौएडा में एसोसिएट फेलो (फैकल्टी) के पद पर कार्यरत हैं। आपने पीएच.डी (अर्थशास्त्र) और एम.फिल (अर्थशास्त्र) की उपाधियां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र से हासिल की हैं। पीएच.डी. में आपके शोध निबंध का विषय 'अग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दि रूरल हाउसहोल्ड इन ओडिशाः अ केस स्टडी ऑफ अनडिवाइडेड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट' था। एम.फिल में आपके शोध निबंध का विषय 'फूड सिक्योरिटी अमंग दि ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ ओडिशाः अ केस स्टडी ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट' था।

पूर्व में आप असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) के तौर पर लगभग 13 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। आपने दो अनुसंधान परियोजनाओं नामतः ''इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन झारखंड'' और ''इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन ओडिशा'' पर भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली में भी दो वर्ष काम किया। आपके अनेक अनुसंधान पेपर विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (सूचीबद्ध एससीओपीयूएस सहित) एवं संपादित पुस्तकों (रूटलेज़ सहित) में प्रकाशित किए जा चुके हैं। आपके प्रकाशनों के प्रमुख विषय श्रम अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, पर्यावरण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यस्था से संबंधित हैं। आपने आईसीएसएसआर जर्नल ऑफ एब्सट्रैक्ट एंड रिव्यूज़ (इकनॉमिक्स) के 2009 और 2010 के अंकों के लिए बड़े पैमाने पर समीक्षा लेख प्रकाशित किए हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों एवं सम्मेलनों, जिनमें विश्व बैंक, वाशिगटन डीसी में आयोजित 'लैंड एंड पोवर्टी कॉन्फ्रेंस (2014)' शामिल है, में अनेक अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए हैं।

आप वित्त मंत्रालय (भारतीय आर्थिक सेवा) द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। आप 26–28 सितम्बर 2013 के दौरान इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई में आयोजित मानव विकास रजत जयंती सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुने गए तीस युवा विद्वानों में से एक थे।

डॉ. मनोज जाटव

एसोसिएट फेलो

पीएच.डी. (क्षेत्रीय विकास)

डॉ. मनोज जाटव, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में संकाय सदस्य हैं। आपने 'क्षेत्रीय विकास' पर पीएच.डी. की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र से अगस्त 2016 में हासिल की। पीएच.डी. में आपके शोध निबंध 'मेल सिलेक्टिव आउट–माइग्रेशन एंड चेंजिंग जेंडर डाइमेंशंस ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल उत्तराखंड' में व्यापक तौर पर ग्रामीण उत्तराखंड में प्रवासन, रोजगार एवं लिंग के मुद्दों को समझने पर फोकस किया गया है।

आपने दो–वर्षीय एम.फिल की उपाधि भी क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र से ही जुलाई 2009 में हासिल की। एम.फिल में आपके शोध निबंध का विषय 'रूरल नॉन–फार्म एंप्लॉयमेंट इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ पोस्ट–इकॉनोमिक रिफॉर्म पीरियड' था।

इसके अलावा, आपने श्रम के विभिन्न आयामों एवं संबद्ध मुद्दों पर स्वतंत्र अनुसंधान अध्ययन किए है तथा इन अध्ययनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त पत्रिकाओं (इनमें इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, दि इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनोमिक्स, और जर्नल ऑफ सोशल एंड इकॉनोमिक डेवलपमेंट शामिल हैं) में प्रकाशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आपके पास हैदराबाद, भारत में स्थित एक नीति अनुसंधान संगठन 'साउथ एशिया कंसोर्टियम फॉर इंटर–डिसिप्लीनरी वाटर रिसोर्सेज़ स्टडीज़ (SaciWATERs)' में कार्य करने का लगभग चार वर्ष (19 सितंबर 2014– 31 मई 2018) का अनुभव है। आपको ग्रामीण एवं पेरी–शहरी क्षेत्रों में आजीविका और रोजगार सुरक्षा, गरीबी–घटाना, और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के मुद्दों पर केंद्रित परियोजनाओं में कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए। SaciWATERs में कार्य करने से पहले आपने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद (NCAER) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में परामर्शदाता के तौर पर भी कार्य किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर 2021–2022

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	लक्षित समूह	कार्य क्रमों की सं.	दिनों की सं.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	पाठ्यक्रम निदेशक
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)																	
1	भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की हालिया पहल	केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम विभागों के अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता, नियोक्ता संगठन, शोधकर्ता	01	04							04–07					04–07	संजय उपाध्याय
2	नई श्रम संहिताओं और नियमों को समझना	केंद्र एवं राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी	01	03			01–03										संजय उपाध्याय
3	श्रम संहिताओं पर जागरूकता बढ़ाना	केंद्र एवं राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम निरीक्षक	01	05		17–21											संजय उपाध्याय
4	मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम	राज्य सरकारों के श्रम विभागों और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारी	01	04	26–29												अनूप सतपथी
5	मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम	राज्य सरकारों के श्रम विभागों और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारी	01	04												21–24	अनूप सतपथी
6	श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन	केंद्र एवं राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम निरीक्षक	01	05										03–07			संजय उपाध्याय
7.	सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम	केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम विभागों के अधिकारी	01	04			01–04										रूमा घोष
8.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प	सरकारी कर्मचारी, शोधकर्ता, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेता, नियोक्ता संगठन और सिविल सोयासटी	01	05	05–09												एस. के. शशिकुमार
9.	तकनीक तथा रोजगार के नए रूप	सरकारी कर्मचारी, शोधकर्ता, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेता, नियोक्ता संगठन और सिविल सोयासटी	01	04							04–07						एस. के. शशिकुमार
10	कार्य का भविष्य: परिवर्तनों को प्रभावी रूप से नेविगेट करना	सरकारी कर्मचारी, शोधकर्ता, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेता, नियोक्ता संगठन और सिविल सोयासटी	01	04		19–22											एस. के. शशिकुमार
11	महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से संबंधित कानून	केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र–शासित प्रदेशों के श्रम अधिकारी	01	05		03–07											शशि बाला
12	श्रम प्रशासन एवं श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन	केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र–शासित प्रदेशों के श्रम अधिकारी	01	05										10–14			ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
13	सुलह को प्रभावी बनाना	आईडी एक्ट के तहत नियुक्त सुलह अधिकारी	01	05	12–16												मनोज जाटव
14	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका और कार्य	वेंद्र और राज्य सरकारों अर्ध–न्यायिक अधिकारी	01	04						06–09							संजय उपाध्याय
15	कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना	राज्य श्रम विभागों के तहत कारखाना निरीक्षणालय के अधिकारी	01	05			.	05–09									रूमा घोष
16	कार्य का भविष्य और कामगारों का सामाजिक संरक्षण	श्रम एवं रोजगार मामलों को देखने वाले सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, ट्रेड यूनियन नेता	01	05	26–30												रूमा घोष
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)																	
17	श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर क्षमता निर्माण	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05				26–30									एलीना सामंतराय
18	श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर क्षमता निर्माण	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05												7–11	मनोज जाटव
19	भारत में श्रम और रोजगार संबंधी कानूनों पर जागरूकता का निर्माण: नई श्रम संहिताओं पर विशेष फोकस के साथ	कर्मचारी /नियोक्ता / पेशेवर /प्रबंधन कार्मिक और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों और ट्रेड यूनियनों/ संघों/महासंघों के प्रतिनिधि	01	03								16–18					धन्या एम. बी.
20	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	अधिकारी और सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05			21–25										संजय उपाध्याय
21	श्रम संहिताओं का प्रभाव और आकलन	अधिकारी और सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05						20–24							संजय उपाध्याय
22	नई श्रम संहिताएं: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	संगठित क्षेत्र से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि	01	04							18–21						संजय उपाध्याय
23	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020	सरकार, नियोक्ता एवं कामगार संगठनों के प्रतिनिधि	01	05		10–14											एलीना सामंतराय
24	कार्य की बदलती दुनिया में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद	वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक संबंध, एचआर अधिकारी व सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से ट्रेड यूनियन नेता	01	04						06–09							एस. के. शशिकुमार
25	कार्य की बदलती दुनिया में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद	वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक संबंध, एचआर अधिकारी व सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से ट्रेड यूनियन नेता	01	04									06–09				एस. के. शशिकुमार
26	उत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05	19–23												शशि बाला
27	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारवादी कौशल	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05		17–21											शशि बाला
28	कार्यकुशलता बढ़ाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05			14–18										शशि बाला
29	कार्य का प्रभावी प्रबंधन: व्यवहारवादी दृष्टिकोण	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05											07–11		शशि बाला
30	कार्य का प्रभावी प्रबंधन: व्यवहारवादी दृष्टिकोण	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05				12–16									रम्य रंजन पटेल
31	कार्य में उत्कृष्टता हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियने	01	05					09–13								शशि बाला
32	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05								08–12					शशि बाला
33	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की क्षमता को बढ़ाना	आंतरिक शिकायत समितियों के सदस्य, प्रशासन/एचआर के अधिकारी	01	04						27–30							शशि बाला
34	श्रम कानून, औद्योगिक संबंध और श्रम प्रशासन	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05									20–24				एलीना सामंतराय
35	उत्तरदायी व्यावसायिक व्यवहार तथा औद्योगिक संबंध	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	04											01–04		ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
36	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों से महिला कर्मचारी	01	03						22–24							धन्या एम. बी.
37	आंतरिक जाँच: सिद्धांत एवं अभ्यास	एचआर अधिकारी, जाँच अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ट्रेड यूनियन नेता	01	05					23–27								मनोज जाटव
38	आंतरिक जाँच: सिद्धांत एवं अभ्यास	एचआर अधिकारी, जाँच अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ट्रेड यूनियन नेता	01	05										3–7			मनोज जाटव
39	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विकसित करना	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी	01	05							04–08						रूमा घोष
40	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना	सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधन कार्मिक और प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनें	01	05					16–20								रम्य रंजन पटेल
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)																	
41	श्रमिक मुद्दे और नए श्रम कानून	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05									06–10				रम्य रंजन पटेल
42	लिंग और श्रम संहिताएं	सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता, शोधकर्ता तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	01	05	12–16												एलीना सामंतराय
43	मजदूरी नीति एवं न्यूनतम मजदूरी	राज्यों और केंद्र के श्रम विभागों के अधिकारी, नियोक्ता एवं कामगार संगठनों के प्रतिनिधि तथा शोधकर्ता	01	04				19–23									अनूप सतपथी
44	प्रवासन एवं विकास: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता एवं सामाजिक भागीदार	01	04											08–11		एस. के. शशिकुमार
45	प्रवासन, कौशल और पुन:एकीकरण: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता एवं सामाजिक भागीदार	01	04				05–08									एस. के. शशिकुमार
46	अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र के श्रम विभागों के अधिकारी तथा शोधकर्ता	01	05									13–17				अनूप सतपथी
47	कौशल एवं उद्यमिता विकास	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे अधिकारी	01	05											21–25		अनूप सतपथी
48	क्रियाशील श्रम बाजार नीतियों का मॉनीटरण एवं मूल्यांकन	सरकारी अधिकारी एवं शोधकर्ता, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि	01	05							18–22						अनूप सतपथी
49	जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग	सरकारी अधिकारी, गाँव के मुखिया, छात्र	01	05		31...	...04										शशि बाला
50	लिंग, गरीबी और रोजगार	सरकारी अधिकारी, सिविल सोसायटी, नियोक्ता एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनें	01	05				12–16									शशि बाला
51	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना	कौशल विकास संस्थान, ट्रेड यूनियन नेता और एनजीओ	01	05					23–27								शशि बाला
52	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	घरेलू कामगारों के संगठनकर्ता	01	05						13–17							शशि बाला
53	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	सरकारी अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, एनजीओ	01	05							25–29						शशि बाला
54	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता एवं ग्रामीण आयोजक	01	05	12–16												रम्य रंजन पटेल
55	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता एवं ग्रामीण आयोजक	01	05								15–19					शशि बाला
56	रोजगार में लिंग के मुद्दों को मुख्यधारा में लाना	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता	01	05									06–10				शशि बाला
57	श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए साम्य और समानता से संबंधित सकारात्मक नीतियां	केंद्र व राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी और शिक्षाविद	01	05										17–21			शशि बाला
58	लिंग संवेदी माहौल सुगम बनाना: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पुलिस अधिकारी	01	05									20–24				शशि बाला
59	लिंग, श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते दृष्टिकोण	श्रम अधिकारी, ट्रेड यूनियन नेता, शोधकर्ता और एनजीओ	01	05						27...	...01						एलीना सामंतराय
60	श्रम एवं वैश्वीकरण पर अभिविन्यास कार्यक्रम	परास्नातक उपाधि का परिशीलन करने वाले सामाजिक विज्ञान के विश्वविद्यालयी छात्र	01	05	19–23												ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
61	युवाओं की नियोजनीयता कौशलों की क्षमता को बढ़ाना	विश्वविद्यालयों, विद्यालयों /शोध संस्थानों के छात्र	01	05		03–07											धन्या एम.बी.
62	सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार की जानकारी	सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता व सिविल सोसायटी सगठनों के प्रतिनिधि तथा शोधकर्ता	01	05											07–11		धन्या एम.बी.
63	असंगठित श्रमिकों के लिए मथाडी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	असंगठित श्रमिकों के काम करने वाले संगठन	01	05		24–28											मनोज जाटव
64	हेड लोड वर्कर्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	असंगठित श्रमिकों के काम करने वाले संगठन	01	05											07–11		मनोज जाटव
65	अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण	राज्य सरकारों के अधिकारी और सीटीयूओ से ट्रेड यूनियन नेता	01	05		10–14											रूमा घोष
66	लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण	राज्य सरकारों के अधिकारी और सीटीयूओ से ट्रेड यूनियन नेता	01	05				19–23									रूमा घोष
67	भवन एवं निर्माण सैक्टर के हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	भवन एवं निर्माण कार्य से संबद्ध विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि	01	05	26–30												संजय उपाध्याय
68	रोजगार अवसरों का सृजन: अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना	सरकारी अधिकारी, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता	01	05			07–11										रम्य रंजन पटेल
69	नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना: स्वच्छता कामगार	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05					02–06								रम्य रंजन पटेल
70	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05						13–17							रम्य रंजन पटेल
71	मत्स्य कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मत्स्य कामगारों के ट्रेड यूनियन नेता/संगठनकर्ता	01	05							11–15						रम्य रंजन पटेल
72	कमजोर और सीमांत श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी)	01	05								22–26					रम्य रंजन पटेल
73	ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर	असंगठित क्षेत्र से केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता	01	05										24–28			रम्य रंजन पटेल

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	लक्षित समूह	कार्य क्रमों की सं.	दिनों की सं.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	पाठ्यक्रम निदेशक
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)																	
74	शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार विश्लेषण	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों /अनुसंधान संस्थानों से शोधकर्ता	01	05							25–29						एस. के. शशिकुमार
75	श्रम पर ऐतिहासिक अनुसंधान में पद्धतियां	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों /अनुसंधान संस्थानों से शोधकर्ता	01	05								15–19					एस. के. शशिकुमार
76	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां	विश्वविद्यालय/ कॉलेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12										17–28			अनूप सतपथी
77	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां	विश्वविद्यालय/ कॉलेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12											07–18		एलीना सामंतराव
78	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अनुसंधान पद्धतियां	विश्वविद्यालय/ कॉलेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	05							18–22						धन्या एम.बी.
79	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां	विश्वविद्यालय/ कॉलेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12								.	13–24				रूमा घोष
बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम कार्यक्रम (सीएलबीएलपी)																	
80	बचाए गए/मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	एनसीएलपी, एसएसए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पीआरआई के प्रतिनिधि, एसएलएसए और डीएलएसए के पैरा लीगल वालंटियर्स और पैनल वकील, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग और डब्ल्यूसीडी के अधिकारी, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता।	01	03	28–30												हेलन आर. सेकर
81	बाल श्रमिकों एवं बंधुआ श्रमिकों की पहचान, बचाव व पुनर्वास तथा अपराधियों के अभियोजन पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम	श्रम विभाग (केंद्र और राज्य) के प्रतिनिधि, सतर्कता समिति के सदस्य, पुलिस (मानव तस्करी–रोधी इकाइयों सहित), राजस्व अधिकारी, एनसीएलपी, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एनजीओ, सीडब्ल्यूसी, जिला टास्क फोर्स, सामाजिक कार्यकर्ता	01	03											16–18		हेलन आर. सेकर
82	बाल श्रमिकों एवं बंधुआ श्रमिकों की पहचान, बचाव व पुनर्वास तथा अपराधियों के अभियोजन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	श्रम विभाग (केंद्र और राज्य) के प्रतिनिधि, सतर्कता समिति के सदस्य, पुलिस (मानव तस्करी विरोधी इकाइयों सहित), राजस्व अधिकारी, एनसीएलपी, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एनजीओ, सीडब्ल्यूसी, जिला टास्क फोर्स, सामाजिक कार्यकर्ता	01	03				28–30									हेलन आर. सेकर
83	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के समापन के लिए संवेदीकरण प्रशिक्षण	श्रम विभाग के अधिकारी, पुलिस और एएचटीयू के अधिकारी, राजस्व अधिकारी, डीएम व एसडीएम आदि सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्य और एनजीओ	01	03					25–27								हेलन आर. सेकर
84	व्यथित प्रवासन, तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के लिए श्रमिकों की स्रोत स्थिति भेद्यता को संबोधित करने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	श्रम विभाग के नोडल अधिकारी, डीएनओ, डीटीएफ के सदस्य, सतर्कता समिति के सदस्य, एनजीओ के प्रतिभागी, पुलिस अधिकारी (एएचटीयू सहित), एसएलएसए और डीएलएसए के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, डब्ल्यूसीडी के प्रतिनिधि, राज्यों से ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और एसआरएलएम के अधिकारी	01	03						01–03							हेलन आर. सेकर
85	बचाए गए बाल श्रमिकों/बंधुआ श्रमिकों/तस्करी वाले श्रमिकों को विधिक सेवा और उनका प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने पर अभिविन्यास कार्यक्रम	जिला कानूनी सहायता अधिकारी और पैरा लीगल वालंटियर्स	01	03							06–08						हेलन आर. सेकर
86	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम	एसएलएसए और डीएलएसए के पैरा लीगल वालंटियर्स	01	03												23–25	हेलन आर. सेकर
87	श्रम के भेद्य रूपों और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता	01	03								24–26					हेलन आर. सेकर
पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम (एनईपी)																	
88	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन नेता तथा एनजीओ	01	05			21–25										ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
89	नई श्रम संहिताओं और नियमों को समझना	पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन नेता तथा एनजीओ	01	05					09–13								संजय उपाध्याय
90	श्रम संहिताएं: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन नेता तथा एनजीओ	01	05								08–12					संजय उपाध्याय
91	श्रम में लैंगिक मुद्दे: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण	पूर्वोत्तर क्षेत्र के सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियन नेता एवं एनजीओ	01	05	05–09												शशि बाला
92	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	पूर्वोत्तर क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेता एवं एनजीओ	01	05				26–30									शशि बाला
93	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण	सरकारी अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता, सिविल सोसायटी	01	05			07–11										एलीना सामंतराय
94	कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना	पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, आईटीआई प्रशिक्षक, ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05		03–07											ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
95	श्रम बाजार एवं रोजगार अवसरों को समझना (एनआईसीएस के लिए वीवीजीएनएलआई में)	पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, प्रशिक्षक, ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05				12–16									ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
96	श्रम बाजार एवं रोजगार अवसरों को समझना (एनआईसीएस के लिए वीवीजीएनएलआई में)	पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, प्रशिक्षक, ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05									13–17				ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
97	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं	पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05										10–14			ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
98	महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05												07–11	धन्या एम.बी.
99	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)	पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि	01	05				19–23									धन्या एम.बी.
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीपी)																	
100	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमआईएलएस, मुंबई)	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और एनजीओ	01	03					18–20								संजय उपाध्याय
101	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात)	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और एनजीओ	01	03								08–10					संजय उपाध्याय
102	नई श्रम संहिताओं को समझना (एसएलआई, ओडिशा)	सरकारी अधिकारी, सीटीयू नेता, शोधकर्ता, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	01	03				07–09									एलीना सामंतराय
103	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एसएलआई, ओडिशा)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04											01–04		अनूप सतपथी
104	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04				06–09									अनूप सतपथी
105	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एमजीलआई, गुजरात)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04					03–06								अनूप सतपथी
106	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (एमआईएलएस, मुंबई)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04						06–09							अनूप सतपथी
107	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (केआईएलई, केरल)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04							11–14						अनूप सतपथी
108	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता विकास कार्यक्रम (केएलआई, कर्नाटक)	राज्य श्रम विभाग और सीएलसी (सी) के अधिकारी	01	04								15–18					अनूप सतपथी
109	लिंग, श्रम कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य (एसएलआई, ओडिशा)	श्रम अधिकारी, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, एनजीओ	01	03									21–23				एलीना सामंतराय
110	लैंगिक और श्रमिक मुद्दे (जीआईडीआर, गुजरात)	श्रम अधिकारी, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, शोधकर्ता और एनजीओ	01	03												08–10	एलीना सामंतराय
111	श्रम एवं वैश्वीकरण (गोवा विश्वविद्यालय)	एम. ए. समाज विज्ञान के छात्र	01	05							25–29						ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
112	श्रम एवं वैश्वीकरण (तेजपुर विश्वविद्यालय)	एम. ए. समाज विज्ञान के छात्र	01	05		24–28											ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
113	पूर्वोत्तर में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा (आईजीएनटीयू, इम्फाल)	सरकारी अधिकारी, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, एनजीओ, अनुसंधान अध्येता	01	05											21–25		ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
114	श्रम एवं वैश्वीकरण (महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा)	एम. ए. समाज विज्ञान के छात्र	01	05				02–06									ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
115	श्रम बाजार विश्लेषण एवं राष्ट्रीय कैरिअर सेवा परियोजना (एनआईसीएस, नौएडा)	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारी	01	05						20–24							ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
116	श्रम बाजार विश्लेषण एवं राष्ट्रीय कैरिअर सेवा परियोजना (एनआईसीएस, नौएडा)	पूर्वोत्तर राज्यों के नियोजन अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारी	01	05												21–25	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
117	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां (अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय)	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के शिक्षक और अनुसंधान अध्येता	01	03	05–07												धन्या एम. बी.
118	केरल के सबक, जॉब चुनौतियां एवं कार्यनीतियां (केआईएलई, केरल)	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, ट्रेड यूनियनें, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठन	01	02									22–23				धन्या एम. बी.
119	भारत में रोजगार चुनौतियां एवं कार्यनीतियां: कोविड–19 के बाद का परिदृश्य (केरल विश्वविद्यालय)	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, ट्रेड यूनियनें, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठन	01	02			23–24										धन्या एम. बी.
120	उभरते श्रम बाजार मुद्दे एवं कार्यनीतिक अनुक्रिया (एनआईसीएस, नौएडा)	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, ट्रेड यूनियनें, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठन	01	03								24–26					धन्या एम. बी.
121	श्रम बाजार विश्लेषण पर अनुसंधान पद्धतियां (अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली)	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के शिक्षक और अनुसंधान अध्येता	01	03		10–12											धन्या एम. बी.
122	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, ओडिशा)	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और ग्रामीण संगठनकर्ता	01	03									22–24				मनोज जाटव
123	बीड़ी कर्मकारों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (एनआईआरडी एंड पीआर)	बीड़ी कर्मकारों के संगठनकर्ता, पीआरआई के प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास पदाधिकारी	01	03			16–18										मनोज जाटव
124	श्रम पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव: चुनौतियाँ एवं शमन (सीएसडी, हैदराबाद)	सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता	01	04						27–30							मनोज जाटव
125	कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)	सरकारी अधिकारी और सीटीयूओ से ट्रेड यूनियन नेता	01	03											01–03		रूमा घोष
126	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां (एमआईएलएस, मुंबई)	विश्वविद्यालय/कॉलेजों के शिक्षक एवं शोधकर्ता	01	05			14–18										रूमा घोष
127	नेतृत्व कौशलों में वृद्धि करना: मत्स्य कामगार (एसएलआई, ओडिशा)	सीटीयूओ से ट्रेड यूनियन नेता/मत्स्य कामगारों के संगठनकर्ता	01	05		17–21											रम्य रंजन पटेल
128	नेतृत्व कौशलों को सुदृढ़ बनाना: बीड़ी उद्योग के प्रतिनिधि (एसएलआई, ओडिशा)	सीटीयूओ से बीड़ी कामगारों की ट्रेड यूनियनों/आयोजकों के प्रतिनिधि	01	05										10–14			रम्य रंजन पटेल
129	नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)	चाय बागानों में कार्यरत ट्रेड यूनियन नेता/कार्यकर्ता	01	03									27–29				रम्य रंजन पटेल
130	रोजगार अवसरों का सृजन: समस्याएं और संभावनाएं (जीआईडीआर, अहमदाबाद)	श्रम एवं रोजगार पर काम करने वाले सरकारी अधिकारी और शोधकर्ता	01	04											01–04		रम्य रंजन पटेल
			130	592													

श्रमेव जयते

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर–24, नौएडा, 201301 (भारत)

दूरभाष : 0120–2411533/34/38, www.vvgnli.gov.in

संपर्क नम्बर और ई–मेल पते

डॉ. एच. श्रीनिवास, भा.रे.का.से.
महानिदेशक
टेलीफोनः 0120–2411470 एक्सटेंशन 232
dg.vvgnli@gov.in

संकाय सदस्य

- **डॉ. एस. के. शशिकुमार**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120–2411022
  मोबाइल : 9818893748
  sasikumarsk2.vvgnli@gov.in
- **डॉ. हेलन आर. सेकर**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120–2412498
  helenrsekar.vvgnli@gov.in
- **डॉ. संजय उपाध्याय**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120–2411736
  मोबाइल : 9210663832
  sanjay.vvgnnli@gov.in
- **डॉ. रूमा घोष**
  फेलो
  फोन : 0120–2411573
  rumaghosh.vvgnli@gov.in
- **डॉ. अनूप कुमार सतपथी**
  फेलो
  फोन : 0120–2411483
  मोबाइल : 9811217966
  anoopsatpathy.vvgnli@gov.in
- **डॉ. शशि बाला**
  फेलो
  फोन : 0120–2411776
  balashashi.vvgnli@gov.in
- **डॉ. एलीना सामंतराय**
  फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 223
  मोबाइल : 9654654282
  ellinasroy.vvgnli@gov.in
- **डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम**
  फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 212
  मोबाइल : 9818107829
  otojit.vvgnli@gov.in
- **श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 251
  मोबाइल : 9873013064
  p.amitav.vvgnli@gov.in
- **डॉ. धन्या एम. बी.**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 204
  मोबाइल : 9582997445
  dhanyamb.vvgnli@gov.in
- **डॉ. रम्य रंजन पटेल**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 323
  rrpatel.vvgnli@nic.in
- **डॉ. मनोज जाटव**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 324
  मोबाइल : 9704296228
  jatav.manoj@gov.in

अधिकारी

- **श्री हर्ष सिंह रावत**
  प्रशासन अधिकारी
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 221
  मोबाइल : 9911361290
  ao.vvgnli@gov.in
- **श्री वी. के. शर्मा**
  सहायक प्रशासन अधिकारी
  फोन : 0120–2411685
  मोबाइल : 9213102817
  vksharma.vvgnli@gov.in
- **श्री शैलेश कुमार**
  लेखा अधिकारी
  फोन : 0120–2411533/34 एक्सटेंशन 205
  मोबाइल : 8192996399
  shailesh.vvgnli@gov.in
- **श्री एस. के. वर्मा**
  सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
  फोन : 0120–2411262
  मोबाइल : 9911191995
  skverma.vvgnli@gov.in

MAKE IN INDIA

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित हैः

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

V.V. Giri National Labour Institute
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
श्रमेव जयते

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301, उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in